ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

वर्ष 54 अंक : 6

अप्रैल 2008

मूल्य : 10 रुपये

किसानों के ऋण माफ

सिंचाई पर जोर

ग्रामीणों को स्मार्ट कार्ड

नए बालिका विद्यालय

मजदूरों के लिए बीमा

बजट 2008-09

तेरह भारतीय भाषाओं में हमारी पुस्तकें

क्षेत्रीय सुगंध से महकता गुलदस्ता

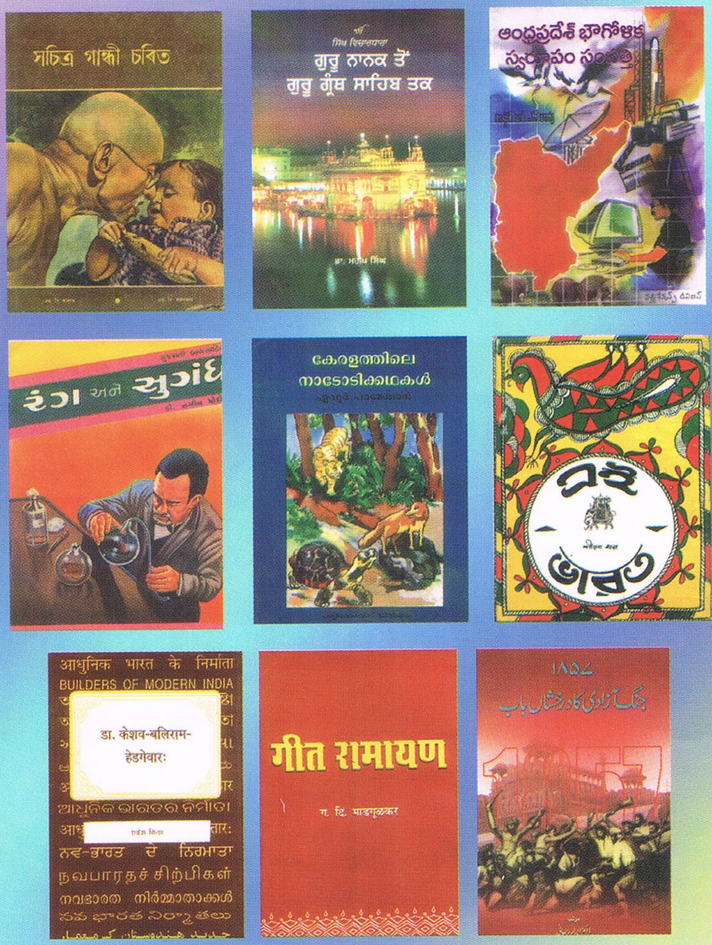

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विक्रय केंद्रः सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, **नई दिल्ली**–110 003. हाल नं0 196, पुराना सचिवालय, **दिल्ली**–110 054. सी–701, केंद्रीय सदन, बेलापुर, **नवी मुंबई**–400 614. 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, **कोलकाता**–700 069. राजाजी भवन, एफ एंड जी ब्लॉक, 'ए' विंग बेसेंट नगर, **चेन्नई**–600 090. बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, **पटना**–800 004. प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस **तिरुअनंतपुरम**–695 001. हाल नं.1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, **लखनउ**–226 024. ब्लॉक नं. 4, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, **हैदराबाद**–500 001. प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, **बंगलौर**–560 034. अम्बिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, **अहमदाबाद**–380 007. हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, **गुवाहाटी**–781 003.

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें – www.publicationsdivision.nic.in

e-mail:dpd@sb.nic.in, dpd@hub.nic.in

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 54 ★ मासिक अंक ★ पृष्ठ : 48

चैत्र वैशाख 1930, अप्रैल 2008

सम्पादक

कैलाश चन्द मीना

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र

कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,

गेट नं. 5, निर्माण भवन

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली–110011

दूरभाष : 23061014, 23061952

फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण एवं सज्जा

संजीव सिंह और रजनी दवे

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

★ केन्द्रीय बजट एवं ग्रामीण विकास–एक विश्लेषण	प्रोफेसर सी.एम. चौधरी	4
★ बजट की प्रक्रिया एवं इसके परिमार्जित स्वरूप	डॉ. उमेश चन्द्र अग्रवाल	7
★ बजट में ग्रामीण क्षेत्र को भागीदार बनाने पर जोर	हरवीर सिंह	11
★ रेल बजट में सबका रखा ध्यान	डॉ. एस.के. मिश्रा	14
★ चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित रहा आम बजट	मयंक श्रीवास्तव	17
★ ग्रामीण विकास को समर्पित केन्द्रीय बजट	दिग्विजय सिंह	21
★ केन्द्रीय बजट : किसानों के हित में	आलोक कुमार तिवारी	26
★ शहर से लेकर गांवों तक रेल बजट का असर	नवीन कुमार	29
★ जहरीले होते ख़ाद्य पदार्थ	नीरज कुमार वर्मा	32
★ भारतीय लोकतंत्र की अनुपम देन– 'पंचायती राज'	डॉ. ऋतु सारस्वत	34
★ गन्ना एक नकदी एवं औद्योगिक फसल	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	38
★ बहु उपयोगी इमली	ईशान देव	44
★ सफलता की कहानी	–	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट एक राजकोषीय उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार की दशा और दिशा इंगित होती है। इसमें सरकार की राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रावधान किया जाता है। हर साल फरवरी माह में बजट को लेकर आम आदमी में कौतूहल बना रहता है और सांस रोककर लोग प्रतीक्षा करते हैं कि वित्तमंत्री के बजट भाषण में रोजमर्रा काम आने वाली वस्तुओं के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे। बजट में सरकार हर तबके को खुश रखने की कोशिश करती है।

आम बजट 2008–09 में किसानों, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं, वृद्धजनों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति–जनजातियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मजदूरों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार ने सिंचाई, शिक्षा तथा रक्षा के बजट में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। लघु और सीमांत किसानों की ऋण माफी के लिए 60,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने की घोषणा की है जिससे करीब चार करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2008–09 के लिए 2,80,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण के लक्ष्य के साथ किसानों को फसल कर्ज के लिए सात प्रतिशत की दर पर 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने वर्तमान बजट में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भी प्रावधान किए हैं। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन बढ़ाकर 12,050 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के लिए 993 करोड़ रुपये तथा पोलियो उन्मूलन के लिए 1042 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। बजट में ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को 596 जिलों में लागू करने तथा राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए राशि को बढ़ाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए वित्तमंत्री ने 644 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। सिंचाई के लिए 14 सिंचाई परियोजनाएं घोषित की गई हैं जिनके लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यह सही है कि इस बजट में सबसे ज्यादा जोर कृषि पर दिया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सबसे ज्यादा रोजगार तथा लोगों की भागीदारी खेती में है। दिनोंदिन कृषि की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में घटती जा रही है और किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। खेती में खर्च बढ़ने और आमदनी कम होने से किसान दुखी है। प्राकृतिक आपदाओं, बैंकों और साहूकारों से कर्ज तथा फसल का सही मूल्य न मिलने से किसान परेशान है। अब सरकार ने कृषकों की सुध ली और शायद भारतीय इतिहास में यह पहला मौका है जब आम बजट पर गांव–गांव में चर्चा हो रही है। सही मायने में इस बजट को किसानों के लिए मील का पत्थर कहा जा सकता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसानों को और आम जन को इस बजट से कितना फायदा होगा।

मत सम्मत

ग्रामीण रोजगार पर आधारित कुरुक्षेत्र का फरवरी अंक अपने विविध लेखों के कारण पठनीय रहा। आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। जो गांवों में सर्वाधिक है। जवाहरलाल गुप्ता का लेख 'ग्रामीण गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप' रोजगार उत्पन्न करने के विविध उपायों पर प्रकाश डालता है। डॉ. उमेशचंद्र अग्रवाल का लेख 'ग्रामीण रोजगार में हस्तशिल्प उद्योग का योगदान' भी अच्छा लगा। हस्तशिल्प प्राचीन काल से ही ग्रामीण जीवन का आधार रहा है। आजादी के बाद सरकार द्वारा उचित महत्व न देने के कारण हस्तशिल्प बड़े उद्योग में परिवर्तित नहीं हो सका। हाल के कुछ वर्षों में सरकार के प्रयास से इस उद्योग को कुछ आधार मिला है। 'चीनी उद्योग समस्याएं और समाधान' लेख के द्वारा लेखक डॉ. नरेंद्र पाल सिंह ने ईमानदारी से ध्यान आकृष्ट किया है। इस अंक के लेखों में समस्या के साथ समाधान भी बताया गया है, जो बेहद प्रभावित करता है।

अमृता पांडेय, गुलाबी बाग, दिल्ली

कुरुक्षेत्र का फरवरी माह का अंक पढा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत सी सामान्य ज्ञान की पत्रिकाओं को पढ़ता हूं, परंतु हमें जो ज्ञान इस पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हुआ, वह किसी अन्य पत्रिका से संभव नहीं। संपादकीय बहुत ही अच्छा था। इस पत्रिका के लेखों को पढ़ने से स्वरोजगार की जानकारी मिलती हैं। ग्रामीण विकास के लिए यह पत्रिका बहुत ही सहयोगी है। "आम आदमी बीमा योजना" पर मोहन कुमार मिश्र का लेख बहुत ही रुचिकर रहा। इस पत्रिका के द्वारा उपर्युक्त सभी जानकारी मिलीं। इसके लिए इस पत्रिका को बहुत–बहुत धन्यवाद! आप से निवेदन है कि बॉयोमॉस जैसे ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत पर जानकारी दें।

हंसराज यादव, राजकीय पॉलिटेक्निक, गोण्डा

ग्रामीण विकास को समर्पित मासिक पत्रिका कुरुक्षेत्र का ग्रामीण गरीबी और रोजगार पर केंद्रित फरवरी 2008 का अंक पढ़ा। मुख्य पृष्ठ पर दिया गया चित्र बेहद ही आर्कषक लगा तथा इसमें सारे आलेख बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर हैं। डॉ. उमेशचंद्र अग्रवाल जी का आलेख ग्रामीण रोजगार में हस्तशिल्प उद्योग का योगदान बेहद ही सराहनीय है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प तथा लघु उद्योगों को संरक्षण तथा बढ़ावा दे कर ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को मिल कर ईमानदारी पूर्वक कार्य करना होगा।

मोहन कुमार मिश्र जी का आलेख आम आदमी बीमा योजना भी ज्ञानवर्धक रहा। इस योजना से गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। इस अंक से सरकार द्वारा चलायी जा रही कई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अंत में कहना है कि इस पत्रिका के माध्यम से चीन, नेपाल, लंका, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के ग्रामों के बारे में भी जानकारी दें जिससे इन देशों के गांवों के बारे में जानकारी मिलेगी तथा कुरुक्षेत्र के अगले अंक में कैलेण्डर भी निकालने की कृपा करें।

प्रवीण कुमार पाठक, करपी, अरवल बिहार

मैं कुरुक्षेत्र पत्रिका का ग्राहक बना हूं और इस पत्रिका का पहला अंक, फरवरी 2008 अंक मुझे मिला। बेहद पसंद आया है। आप द्वारा इस पत्रिका के माध्यम से कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास विशेषकर इस अंक में ग्रामीण गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप का लेख बेहद पसंद आया। मेरा आपसे सुझाव है कि पत्रिका के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करा सकें तो यह पत्रिका मील का पत्थर साबित होगी।

प्रकाश चंद्र शर्मा 'पत्रकार' गांव–जांगिड़ नगर, जिला–करौली

कुरुक्षेत्र का अध्ययन तीन सालों से करता आ रहा हूं और औरों को भी विकास को समर्पित इस पत्रिका को पढ़ने हेतु प्रेरित करता रहता हूं। सच मायने में यह पत्रिका देश की समकालीन समस्या को बेनकाब कर समाधान की दिशा में पहल करती है। 'कुरुक्षेत्र' में जनवरी–2008 का अंक पर्यावरण व प्रदूषण संबंधित समस्या व समाधान विषय पर आधारित पढ़कर मेरी अंतरात्मा के तार झंकृत हो उठे–संपादकीय ज्ञानवर्धक व डॉ. नीरज कुमार राय, राहुल धर द्विवेदी, डॉ. एल.के. इदनानि आदि लेखकों के लेख सटीक व उत्साह वर्धक थे।

जयकरण कुमार 'सत्यार्थी' – भागलपुर (बिहार)

मैं इग्नू से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर कर रहा हूं। फरवरी 2008 अंक में ग्रामीण गरीबी और रोजगार से संबंधित जो लेख प्रकाशित किए गए हैं,वो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण गरीबी तथा रोजगार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया, लेकिन इसमें बहुत कम सफलता हासिल की गई है। इसका एकमात्र कारण देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या है। भारत निर्माण के तहत सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः रोजगार विद्युतापूर्ति योजना; शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान तथा ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण मिशन, कार्यक्रम वर्तमान समय में चलाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण समाज में व्याप्त बेरोजगारी, उद्योग–धंधों, और स्वास्थ्य संबंधी प्रगति हो रही है।

अजय कुमार शर्मा, गिरिडीह, (झारखण्ड)

मैंने फरवरी 2008 का अंक पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। खासकर, इसमें जवाहरलाल गुप्ता जी का लेख "ग्रामीण गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप" तथा आलू वर्ष पर विशेष डॉ. जितेंद्र सिंह जी का लेख "पौष्टिक तत्वों से भरपूर आलू" अच्छा लगा।

मैं बहुत सी सामान्य ज्ञान की मासिक पत्रिका पढ़ता हूं, पर मुझे कुरुक्षेत्र बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे निबंध लिखने की शैली में विकास आता है। पत्रिका की साज–सज्जा अच्छी है, सम्पादकीय बहुत ही अच्छा था। इसमें कृषि में रोजगार पर प्रकाश डालने की कोशिश बहुत अच्छी थी, इसके लिए मैं पत्रिका को धन्यवाद देता हूं।

मोहित कुमार झा, भंगाबांध 'झारखंड'

केन्द्रीय बजट एवं ग्रामीण विकास-एक विश्लेषण

प्रोफेसर सी.एम. चौधरी

बजट एक अल्पकालीन राजकोषीय उपकरण है, जिसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था की दशा, दिशा तथा निर्देशित उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करती है। इससे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रबंधन को स्पष्ट किया जाता है। इस उपकरण से विगत वर्ष में अर्थव्यवस्था की सफलताओं तथा विफलताओं का ब्यौरा भी स्पष्ट होता है। देश की सरकार की राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजट में अनेक प्रावधान किये जाते हैं।

केन्द्रीय बजट 2008–09 भारत सरकार के केन्द्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने 29 फरवरी 2008 को संसद में प्रस्तुत किया। इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए निम्न प्रावधान किये गये हैं:–

कृषि विकास– कृषि विकास दर 2.6 प्रतिशत रही है जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे नीचे स्तर पर है जबकि कृषि क्षेत्र में देश की जनसंख्या का दो तिहाई से भी अधिक हिस्सा कार्यरत है। कृषि की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में घटकर 17.5 प्रतिशत रह गई है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि को हमारे नीति निर्माताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। कृषि विकास के लिए इस बजट में निम्न प्रावधान किये गये हैं :–

बजट में कृषि विकास दर बढ़ाने पर जोर

- **सिंचाई कार्यक्रम –** कृषि आधारभूत संरचना विकास के लिए 14 राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाएं घोषित की गई हैं। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष की तुलना में 9000 करोड़ रुपये सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक व्यय करने की घोषणा की गई।
- **राष्ट्रीय किसान विकास–** इस बजट में पहली बार राष्ट्रीय किसान विकास योजना तैयार की गई है। इसके लिए बजट में 25000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा–** इस बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रावधान किया गया है, जिससे कि खाद्यान्न की कमी होने पर सुरक्षा की तैयारी की जा सके। इस मद पर 500 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

ग्रामीण आधार भूत ढांचा– ग्रामीण क्षेत्र में आधार भूत ढांचा तैयार करने के लिए इस बजट में 14000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि विगत वर्ष में यह 12000 करोड़ रुपये था। इससे राज्य सरकारों को और अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। पिछड़े राज्यों में राज्य सरकारें इस धनराशि का ग्रामीण आधारभूत विकास में उपयोग कर सकेंगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आवंटन में बढ़ोतरी

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) के लिए आवंटन बढ़ाकर 12050 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। लोकसभा में 2008–09 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि एनएचआरएम सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण क्रियाशील, समुदाय आधारित विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली की स्थापना करना है। 462,000 संबद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और लिंक वर्करों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा वे कार्यरत हैं। 177,924 ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समितियां कार्यरत हैं। 232 जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य हाथ में लिया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के लिए 993 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी ओर वर्ष 2008–09 में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 1042 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। (पसूका)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना– इस बजट में इस योजना को जारी रखने की घोषणा की गई है तथा इसके लिए 644 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे एक फसल बीमा योजना का विकल्प तैयार हो सकेगा।

राष्ट्रीय बागान मिशन– इस बजट में राष्ट्रीय बागान मिशन के अन्तर्गत 1100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें नारियल की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पेयजल आपूर्ति– राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत 7300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा में वृद्धि होगी। इसके साथ ही स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पावर सुधार कार्यक्रम– इस बजट में पावर सुधार कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वयन करने हेतु 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए दूरस्थ स्थानों पर पावर ले जाने तथा इसका वितरण करने के लिए एक राष्ट्रीय कोष शुरू किया जाएगा।

स्वनियोजित महिला समूह का अनुदान– इस बजट में स्वनियोजित महिलाओं को जीवन बीमा निगम के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्थाई रूप से अपंग होने पर इस योजना के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

महिला एवं बाल विकास– इस बजट में इस मद पर गत वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक वृद्धि की गई है। इस बजट में 7200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषक ऋण माफ– आजादी के पश्चात् प्रथम बार कृषकों की ऋण ग्रस्तता, व आत्महत्याओं को देखते हुए सरकार ने इस बजट में प्रावधान कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। लघु एवं सीमान्त किसानों के ऋण माफ करने के लिए 50000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है तथा 10000 करोड़ रुपये ऋण के 75 प्रतिशत चुकाने पर 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। इससे 4 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 48.6 प्रतिशत कृषक ऋणग्रस्तता से पीड़ित हैं, जिसमें 61 प्रतिशत एक हैक्टेयर भूमि से कम के मालिक हैं। 57.7 प्रतिशत संस्थागत ऋण कृषक लेते हैं तथा 42.3 प्रतिशत कृषक महाजनों, व्यापारियों तथा रिश्तेदारों से ऋण लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह घोषणा स्वागत योग्य है।

ग्रामीण रोजगार– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना फरवरी 2006 में शुरू की गई थी। गत वर्ष इसमें 12000 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस वर्ष यह योजना देश के सभी 596 जिलों में अप्रैल 2008 से शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 16000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कि अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन संभव होगा।

सर्व शिक्षा अभियान– ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वशिक्षा अभियान के लिए 13100 करोड़ रुपये, मध्यान्ह भोजन हेतु 8000 करोड़ रुपये तथा सैकण्डरी शिक्षा हेतु 4554 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। 410 पिछड़े क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति–जनजाति का ध्यान रखते हुए 20 जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रावधान है। दोपहर के खाने का प्रावधान प्राथमिक विद्यालयों से बढ़ाकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक कर दिया गया है। 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 3 भारतीय तकनीकी संस्थान तथा राष्ट्रीय ज्ञान केन्द्रों के गठन का प्रावधान भी किया गया। शिक्षा पर बजट का 20 प्रतिशत खर्च किया जाएगा। यह 28674 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 34400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवायें– ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा की जा रही है। गत बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा व्यय करने का प्रावधान केवल 9947 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर वर्ष 2008–09 में 12050 करोड़ रुपये कर दिया गया।

भारत निर्माण– गत वर्ष इस मद पर व्यय करने का प्रावधान 24603 करोड़ रुपये था जो अब बढ़ाकर 31280 करोड़ रुपये किया गया है। यह वृद्धि 25 प्रतिशत से अधिक है।

आवश्यक सुझाव– इस बजट में विगत वर्षों के बजटों की तुलना में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास के रूप में इस बजट से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम ऋणग्रस्त कृषकों के ऋण माफ करने का

कृषि क्षेत्र के लिए उत्पाद शुल्क में छूट

वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने संसद में 2008–09 का बजट पेश करते हुए कृषि संबंधी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की।

शुल्क एवं पोल्ट्री आहार के निर्माण की लागत कम करने के लिए विटामिन प्रिमिक्सिज एवं खनिज मिश्रण पर उत्पाद शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। फास्फोरिक अम्ल पर शुल्क साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। बेक्टोफ्यूग्स पर शुल्क साढ़े सात प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे डेयरी उद्योग को फायदा होगा। घरेलू उर्वरक उत्पादन को समर्थन देने के लिए क्रूड और अनरिफाईड सल्फर पर सीमा शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। (पसूका)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मेहनताना बढ़ा

आम बजट 2008–2009 को संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मेहनताना 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इस प्रकार, आंगनबाड़ी सहायकों का मेहनताना 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। अठारह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे। (पसूका)

है, जिसके लिए 60000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण आधारभूत सेवाओं, कृषकों को दिये जाने वाले अनुदान को जारी रखने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को समस्त जिलों में लागू करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का समावेश करके भारत सरकार के वित्त मंत्री ने प्रशंसनीय कार्य किया है। कृषि क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि करने तथा ग्रामीण क्षेत्र का तीव्र विकास कर रोजगार, आय तथा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु बजट के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं :–

- विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित इकाइयों का चयन सही तरीके से किया जाए। इस कार्य में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया जाए। आवश्यक धनराशि की स्वीकृति एवं इसका आवंटन सही समय पर तत्काल किया जाए।
- राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र से मिलने वाली धनराशि को प्राप्त करने के लिए तत्परता से कार्य योजना तैयार करें, जिससे कि धनराशि का सही समय पर पूरा उपयोग संभव हो सके।
- विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि पर निरन्तर निगरानी रखने के लिए एक पृथक पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए जिससे कि अनुत्पादक तथा फिजूलखर्ची पर रोक लगाई जा सके। इससे लाभान्वित इकाईयां अपने संसाधनों के साथ आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर सकें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को देश के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से लागू करने का बजट 2008–09 में प्रावधान कर दिया गया है। यह योजना बड़ी व्यापक तथा रोजगारोन्मुखी / सभी वर्गो के हित में है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रभावी प्रशासन तंत्र तैयार होगा जिससे कि इस योजना के अन्तर्गत लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके तथा स्थाई सामाजिक परिसम्पतियां तैयार की जा सकें।
- राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करना तथा उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना आवश्यक है।
- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच आपसी सद्भाव एवं सद्विश्वास होना आवश्यक है जिससे कि विभिन्न योजनाओं को पक्के इरादे से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
- भारत में आर्थिक नियोजन के लगभग छः दशक के बावजूद भी देश की 30 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है तथा 2 प्रतिशत जनसंख्या भुखमरी के कगार पर है। कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण देश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इस जनसंख्या के लिए रोजी रोटी की वैकल्पिक व्यवस्था करना हमारा सामूहिक दायित्व है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक तंत्र, जन सहयोग तथा राजनीतिक दृढ़ संकल्प आवश्यक है जिससे कि सरकार द्वारा घोषित विभिन्न बजटीय प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। कृषि क्षेत्र का विकास तेज करके सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि करना आवश्यक है। इसके लिए द्वितीय हरित क्रान्ति लाना आवश्यक है।

(लेखक राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध विभाग में प्रोफेसर हैं।)

आम बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष जोर

सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र पर निरन्तर विशेष ध्यान दे रही है और इसके आवंटन में भी वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने संसद में 2008–09 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को 1455 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस प्रकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के आवंटन के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का कुल बजट आवंटन 2007–08 के 14365 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008–09 में 16447 करोड़ रुपये हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र विशेष समस्याओं का सामना करते हैं और उनसे सामान्य तरीकों से या सामान्य स्कीमों से नहीं निपटा जा सकता है। इसलिए सरकार इन क्षेत्रों की त्वरित आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें विशेष व्यवस्था के तहत पूरा करने का प्रस्ताव करती है। इस उद्देश्य हेतु समर्पित निधि में 500 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव है। (पसूका)

बजट की प्रक्रिया एवं इसके परिमार्जित स्वरूप

डॉ. उमेश चन्द्र अग्रवाल

बजट निर्माण एक अत्यन्त विस्तृत एवं जटिल आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों और कई प्रमुख संस्थाओं का योगदान रहता है। हमारे यहां वित्तीय वर्ष की अवधि जिसके लिए बजट बनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की रहती है। वित्तीय वर्ष के लिए प्रयुक्त इस अवधि को देश में काफी पहले अर्थात वर्ष 1867 में अपनाया गया था। इससे पूर्व देश में यह अवधि 1 मई से 30 अप्रैल तक मानी जाती थी।

वेस्टमिंस्टर मॉडल पर स्थापित हमारी संसदीय व्यवस्था में संविधान के अन्तर्गत चुने हुए प्रतिनिधियों को आय और व्यय के फैसले लेने का अधिकार दिया गया है लेकिन उनके द्वारा इन अधिकारों का उपयोग संसद की अनुमति से ही किया जा सकता है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद–265 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश में कानूनी प्रावधानों के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता और न ही उसकी उगाही की जा सकती है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद–266 में कहा गया है कि संसदीय अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय लेखा–जोखा संसद के सामने रखा जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो जाता है। हमारे संविधान में सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह भी बनाया गया है।

इस तरह एक अप्रैल से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष का लेखा–जोखा सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती है, जिसे सामान्य भाषा में "बजट" कहा जाता है। वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले बजट का एक भाग वित्त विधेयक भी होता है जिसमें कर सम्बन्धी प्राविधान दिए होते हैं और सरकार द्वारा बजट पेश करने के बाद 75 दिन की अवधि में इसे संसद से पारित कराना आवश्यक होता है। उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान में परस्पर नियन्त्रण का सिद्धांत सन्निहित है ताकि राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्य में कोई भी निरंकुश न हो सके। भारत में बजट इसलिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि संसद या राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा कानून बनाए बिना कार्यपालिकाएं राजकीय कोश से धन व्यय नहीं कर सकती हैं।

भारत में बजट पद्धति का विकास

भारत में वर्तमान में प्रचलित बजट पद्धति का श्रीगणेश ब्रिटिशकालीन भारत के पहले वायसराय लार्ड केनिंग के समय प्रारम्भ हुआ जो वर्ष 1857 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे। यहां पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को वायसराय की परिषद में पेश किया गया जिसे वायसराय की कार्यकारिणी के वित्त सदस्य "जेम्स विल्सन" ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार विल्सन को भारत में बजट पद्धति का जन्मदाता कहा जा सकता है। स्वतन्त्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन में भारतीय जन प्रतिनिधियों को प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में बहस करने का अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे संविधान के अन्तर्गत जन प्रतिनिधियों को यह अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में सम्पूर्ण देश के लिए केवल एक बजट ही नहीं होता बल्कि अनेक बजट होते हैं। पूरे देश के लिए केन्द्र सरकार एक बजट बनाती है। इसके अतिरिक्त सभी राज्य पृथक–पृथक अपना–अपना प्रादेशिक बजट भी बनाते हैं।

केन्द्रीय स्तर पर भी दो बजट होते हैं– एक "सामान्य बजट" तथा दूसरा "रेलवे बजट"। पारम्परिक रूप से केन्द्र सरकार का आम बजट संसद के दोनों सदनों के सम्मुख सामान्यतया फरवरी महीने की आखिरी तारीख को प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1924 में आकवर्थ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1924 से ही रेल मन्त्रालय का बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता रहा है। बुनियादी रूप से इसका उद्देश्य रेल राजस्व से एक निश्चित योगदान की व्यवस्था कर राजस्व अनुमानों में स्थिरता लाना तथा रेल राजस्व प्रशासन में लोच पैदा करना था। परिणामस्वरूप रेलवे के लिए अनुदान मांगे संसद में अलग से रेल बजट के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। रेल बजट पर विचार, बहस तथा इसके अन्तिम अनुमोदन को भी आम बजट से अलग ही रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद–113 में संसद में बजट अनुमान प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्यविधि का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार, भारत के समेकित कोष पर प्रभारित होने वाले व्ययों को छोड़कर, अन्य व्ययों के व्यय अनुमानों को राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में अनुदान मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। लोक सभा के पास मांगों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने या वर्णित राशि कम करके स्वीकृत करने का अधिकार है।

बजट निर्माण के विविध चरण

केन्द्रीय बजट निर्माण हेतु प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया सामान्यतया 6–7 माह पूर्व अर्थात पूर्ववर्ती वर्ष के अगस्त–सितम्बर माह में प्रारम्भ हो जाती है। बजट निर्माण का कार्य विविध विभागों के परस्पर सहयोग तथा समन्वय का परिणाम है। बजट निर्माण प्रक्रिया को पांच चरणों में बांटा जा सकता है – (1) बजट का प्राक्कलन या रूपरेखा, (2) बजट का दस्तावेज, (3) संसद की स्वीकृति, (4) बजट का क्रियान्वयन, (5) वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण। बजट निर्माण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम वित्त मन्त्रालय द्वारा प्रशासनिक मन्त्रालयों, योजना आयोग तथा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के सहयोग से बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें प्रशासकीय मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त विवरण के आधार पर वित्त मन्त्रालय को प्रशासकीय आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान करते हैं, योजना आयोग योजनाओं की प्राथमिकता के बारे में परामर्श देता है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक बजट का प्राक्कथन तैयार करने हेतु वित्त मंत्रालय को लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय के अनुमानों के परीक्षण के दौरान योजना आयोग से भी परामर्श लिया जाता है। इस प्रकार व्ययों के अनुमान तैयार हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी आय अथवा राजस्व के अनुमान तैयार किए जाते हैं। इस हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग तथा केन्द्रीय उत्पादन कर विभाग से विगत वर्ष में संग्रह की गई धनराशि के आंकड़ों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सम्भावित आय का अनुमान लगवाया जाता है जिसके आधार पर आगामी वर्ष में करों की दरों के पुनर्निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाता है। दूसरे चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा समस्त विभागों की मांगों को एकत्रित करके तथा वित्तीय नीति सम्बन्धी मामलों में सम्पूर्ण मंत्री–परिषद में निर्णय लेकर दो अलग–अलग भागों में आय और व्यय का विवरण तैयार किया जाता है जो बजट दस्तावेज कहलाता है। वित्त मंत्री द्वारा इस दस्तावेज को सामान्यतया फरवरी माह के अन्तिम कार्य दिवस में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण दिया जाता है जिसमें जनता, राजनेता, कर्मचारी तथा व्यापारी वर्ग आदि सभी वर्गों के लोग बड़ी उत्सुकता रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अभी तक संसद में प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्रियों तथा तत्समय पदारूढ़ रहे प्रधानमंत्रियों का विवरण **तालिका** में दिया गया है।

तालिका
बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री

क्र.सं.	अवधि	वित्त मन्त्री	प्रधानमंत्री
1.	1947–49	आर.के. शंखमुखम चेट्टी	जवाहरलाल नेहरू
2.	1949–51	जॉन मथाई	जवाहरलाल नेहरू
3.	1951–58	सी.डी. देशमुख	जवाहरलाल नेहरू
4.	1957–58	टी.टी. कृष्णामचारी	जवाहरलाल नेहरू
5.	1958–59	जवाहरलाल नेहरू	जवाहरलाल नेहरू
6.	1959–64	मोरारजी देसाई	जवाहरलाल नेहरू
7.	1966–67	टी.टी. कृष्णामचारी	लाल बहादुर भास्त्री
8.	1966–67	सचिन्द्र चौधरी	इन्दिरा गांधी
9.	1967–70	मोरारजी देसाई	इन्दिरा गांधी
10.	1970–71	इन्दिरा गांधी	इन्दिरा गांधी
11.	1971–75	वाई.बी. चाव्हाण	इन्दिरा गांधी
12.	1975–77	सी. सुब्रह्मण्यम	इन्दिरा गांधी
13.	1977–78	एच.एम. पटेल	मोरारजी देसाई
14.	1979–80	चरण सिंह	चरण सिंह
15.	1980–82	आर. वेंकिटरामन	इन्दिरा गांधी
16.	1982–85	प्रणव मुखर्जी	इन्दिरा गांधी
17.	1985–87	वी.पी. सिंह	राजीव गांधी
18.	1987–88	राजीव गान्धी	राजीव गांधी
19.	1988–89	एन.डी. तिवारी	राजीव गांधी
20.	1989–90	एस.बी. चाव्हाण	राजीव गांधी
21.	1990–91	मधु दण्डवते	विश्वनाथ प्रताप सिंह
22.	1991–92	यशवन्त सिन्हा	चन्द्रशेखर
23.	1992–96	मनमोहन सिंह	पी.वी. नरसिम्हाराव
24.	1996–98	पी. चिदम्बरम्	एच.डी. देवगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल
25.	1998–03	यशवन्त सिन्हा	अटल बिहारी बाजपेई
26.	2003–04	जसवन्त सिंह	अटल बिहारी बाजपेई
27.	2004–05	पी. चिदम्बरम	मनमोहन सिंह
28.	2005–06	पी. चिदम्बरम	मनमोहन सिंह
29.	2006–07	पी. चिदम्बरम	मनमोहन सिंह
30.	2007–08	पी. चिदम्बरम	मनमोहन सिंह

बजट के नवीन स्वरूप

अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के बदलते आयामों, उद्देश्यों व परिस्थितियों आदि के फलस्वरूप बजट की प्रक्रिया और स्वरूपों में समय–समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। मोटे तौर पर पारम्परिक बजट के अतिरिक्त प्रचलन में आए बजट के विभिन्न स्वरूपों में परफॉर्मेन्स बजट, जीरोबेस बजट, जेण्डर बजट, आउटकम बजट आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पारम्परिक बजट आज के आम बजट का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है। इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण स्थापित

करना रहा है। इसके अनुसार बजट को मुख्यतः वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें तथा उपकरण आदि के रूप में किए जाने वाले व्यय तथा विभिन्न मदों में होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है उसी का उल्लेख होता था किन्तु इस व्यय के खर्च से क्या–क्या परिणाम प्राप्त करने हैं उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता था। इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियन्त्रण करना था न कि तीव्र गति से विकास तथा विकास कार्यों को अंजाम देना।

जीरोबेस बजट से तात्पर्य बजट की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद अर्थात जीरो मानते हुए उसका नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। जीरोबेस बजट निर्माण करने के लिए प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग अथवा संगठन को नितान्त रूप से अपरिहार्य होता है कि वह बजट में अपने पूर्व के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं अथवा कार्यकलापों का मूल्यांकन और समीक्षा क्रमबद्ध तरीके से उतनी ही गहराई से करे जैसा कि किसी भी प्रस्तावित नए कार्यक्रम, योजना अथवा कार्यकलाप के लिए किया जाना आवश्यक होता है। इसमें इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग अथवा संगठन के आगामी बजट वर्ष के लिए लक्ष्य का निर्धारण, क्रियात्मक दिशा–निर्देश तथा खर्चों के लिए लेखा–जोखा तैयार कर लिया जाए। बजट की प्रक्रिया में विभिन्न विभागों द्वारा धन की मांग को लागत–लाभ (कास्ट–बेनीफिट) तथा लागत प्रभाविकता (कास्ट–इफैक्टिवनैस) के आधार पर तय किया जाता है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में जीरोबेस बजटिंग लागू करने के लिए विस्तृत मार्ग दर्शक नियम बनाने हेतु वित्तीय सलाहकारों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा तैयार दिशा–निर्देशों के आधार पर वर्ष 1987–88 का बजट बनाते समय केंद्र सरकार के सभी विभागों द्वारा जीरोबेस पद्धति पर बजट बनाने का प्रयास किया गया। इस वर्ष जीरोबेस बजटिंग के आधार पर कुछ सुरक्षा संस्थानों, सरकारी प्रिन्टिंग प्रेस, कुछ आर्डिनेन्स कारखानों, खाद्य एवं रसद विभाग, इस्पात विभाग, दूरसंचार विभाग, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स, विदेश संचार निगम तथा सरप्लस एवं डिस्पोजल विभाग के आकार और क्रियाओं में भारी कटौती करने का निर्णय लिया गया। इस प्रणाली की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसके बाद के वर्षों में भी इसको प्रयोग में लाने पर जोर दिया जाता रहा है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी बढ़ते सरकारी खर्चों और अनुपयोगी होती जा रही अनेक स्कीमों और कार्यक्रमों पर होने वाले भारी–भरकम व्ययों को कम करने के उद्देश्य से इसको प्रयोग में लाना प्रारम्भ किया गया है।

आउटकम बजट के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना सम्भव हो सके। केंद्र सरकार द्वारा बजट की इस नई पद्धति की शुरूआत की घोषणा वर्ष 2005–06 के बजट में की गई और देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 25 अगस्त, 2005 को आउटकम बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। इस आउटकम बजट में वित्त मंत्री द्वारा 44 मन्त्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन के साथ–साथ उन लक्ष्यों का निर्धारण भी किया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006–07 और 2007–08 के बजट में इस व्यवस्था को अधिक कारगर तरीके से लागू करने पर बल दिया गया। आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों ने क्या और कैसे उपयोग किया? आउटकम बजट इसका रिपोर्ट कार्ड हो सकता है। यह मन्त्रालयों और विभागों के कार्य–प्रदर्शन में एक मापक का भी काम कर सकता है जिससे सेवा, निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और परिणामों को बेहतर बनाया जा सकता है। इस प्रकार आउटकम बजट के अपनाए जाने से वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा बड़े–बड़े कार्यक्रमों जैसे– सर्वशिक्षा अभियान, ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय पेयजल एवं ग्रामीण स्वच्छता मिशन, समंवित बाल विकास कार्यक्रम, बड़ी–बड़ी सड़क परियोजनाएं तथा भारत निर्माण जैसे अनेक महत्वपूर्ण व बड़े–बड़े बजट वाले कार्यक्रमों के समुचित अनुश्रवण के माध्यम से उनकी प्रगति की तीव्र गति को सुनिश्चित होने की आशा भी जगी हैं। आशा की जानी चाहिए कि आउटकम बजट के माध्यम से अब जनता भी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और स्तर से रूबरू हो सकेगी।

जेण्डर बजट की शुरूआत भी देश में महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट के माध्यम से की गई है। जेण्डर बजटिंग के अंतर्गत सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और

कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्राविधान किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि बजट के तमाम प्राविधान पुरुष और स्त्री को अलग–अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। दोनों के उत्तरदायित्व, भागीदारी व क्षमताएं किसी भी समाज में अलग–अलग होती हैं। ऐसे गांव में जहां पीने के पानी की समस्या हो वहां कुआं खुदवाने पर किया गया खर्च पुरुषों से ज्यादा महिलों को प्रभावित करता है क्योंकि इसे महिलाओं के लिए घरेलू कामकाज हेतु दूर जाकर तालाब या नदी से पानी भरकर लाने में व्यय किए गए समय की बचत होती है।

यह निश्चित है कि संसद में और विधानमण्डलों में महिलाओं को आरक्षण दिलवाने और लिंग आधारित बजट व्यवस्था सुनिश्चित कर तथा बजट के माध्यम से आयकर में महिलाओं को विशेष छूट दिलवाने जैसी व्यवस्थाओं के साथ–साथ इस दिशा में अन्य विशेष कदम उठाते हुए बहुआयामी जेण्डर बजटिंग की व्यवस्था भारत जैसे एक विकासशील देश में महिला सरोकारों को ज्यादा अच्छी तरह से लाभान्वित किया जा सकेगा। लेकिन यह तभी सम्भव है जब इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों में जेण्डर संवेदनशीलता को जागृत किया जाए। यह इसलिए भी जरूरी है कि जिस देश में हर साल निःशुल्क सरकारी प्रसूति स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद एक लाख महिलाएं प्रसव के कारण काल का ग्रास बनती हों, पांच वर्ष की आयु के नीचे मरने वालों में लड़कों के मुकाबले दोगुनी लड़कियां हों, जहां स्त्री–पुरुष साक्षरता अनुपात 53:75 हो और तमाम प्रयासों के बावजूद देश भर में महिला–पुरुष अनुपात घटता जा रहा हो, जहां महिला सुरक्षा से सम्बन्धित तमाम नियम कानूनों के होते हुए भी बलात्कार, यौन–शोषण, हिंसा, बाल–विवाह, सती महिमामंडन और स्त्रियों के भाग्य का पर्यायवाची हो गया हो, ऐसे देश में जेण्डर बजटिंग जैसा नया प्रयोग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे को आर्थिक नजरिए के साथ–साथ इसके गैर आर्थिक आयामों पर भी समुचित प्रकार से विचार करने की महती आवश्यकता है।

बजट का व्यावहारिक मूल्यांकन

किसी भी वर्ष के "बजट" के व्यावहारिक पहलुओं अर्थात उसके आम आदमी के लिए गुण–दोषों के बारे में समझने के लिए सबसे पहले इसमें संदर्भित वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय के प्राविधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे ही देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली या विकास का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों के बजट के आंकड़ों से यह पता चलता है कि सरकार द्वारा इन वर्षों में आय और व्यय का कोई सन्तुलन नहीं रखा गया है और नियमित रूप से आय से अधिक व्यय किया जाता रहा है। इस प्रकार "घाटे का बजट" हमारी विशेषता रही है। यद्यपि घाटे का बजट हर परिस्थिति में बुरा नहीं माना जाता लेकिन यह आवश्यक है कि घाटे का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि उत्पादक कार्यों में निवेश करने के कारण घाटा रहता है तो यह चिन्ताजनक स्थिति नहीं होती लेकिन सरकारी खर्चों के बढ़ते जाने के कारण घाटा होता है तो यह अत्यधिक चिंताजनक बात होती है। इससे सरकारी खर्चों की पूर्ति करने के लिए बैंकों के ऊपर दबाव बढ़ता है और देश में मुद्रास्फीति भी बढ़ती है।

दूसरे, देश में विकास के लिए विदेशी संस्थाओं से ऋण की निर्भरता और उसकी समझी जा रही निरन्तर आवश्यकता के बारे में बजट में की गई व्यवस्थाओं का हिसाब–किताब भी देखा जाना चाहिए। यदि विदेशी ऋणों के बहुत बड़े भाग का उपयोग सरकारी खर्चों को पूरा करने में किया जाता रहे या फिर देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर उसका कुप्रभाव पड़े अथवा सरकार की आय का बहुत बड़ा भाग केवल उसके ब्याज की अदायगी में ही खर्च होता रहे तो इसे अशुभ संकेतों का सूचक ही माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से राजकोषीय खर्चों में निरन्तर होती जा रही बढ़ोतरी में कमी करने के लिए सरकार पर प्रत्येक स्तर से दबाव भी पड़ते रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो पा रहा है।

बजट के गुण–दोषों के संबंध में आंकलन करने का तीसरा प्रमुख आधार इसके आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों से सम्बन्धित हो सकता है। अर्थात इसमें किए गए कराधानों पर नजर डालने से यह स्पष्ट हो सकता है कि बजट के कारण गरीबों को राहत मिलेगी या अमीरों और उद्योगपतियों को, शहरी लोगों को इससे अधिक अवसर मिलेंगे अथवा ग्रामीण लोगों, इससे महंगाई बढ़ेगी या आर्थिक बदहाली होगी और यदि महंगाई बढ़ेगी तो गरीबों को लाभ मिलेगा या अमीरों को आदि–आदि। पिछले कई वर्षों से बजट में सामान्यतया अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का बोझ बढ़ाया जा रहा है। भले ही प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, कम्पनी कर, सम्पत्ति कर आदि का बोझ कम किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से सामान्य उपभोक्ताओं तक पर अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक करों का बोझ डाला जा रहा है, जो उचित नहीं कहा जा सकता।

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान में संयुक्त निदेशक हैं।)
ई–मेल : umeshagarwal215@yahoo.in

बजट में ग्रामीण क्षेत्र को भागीदार बनाने पर जोर

हरवीर सिंह

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 2008–09 के बजट में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की दर को बरकरार रखने की कोशिश की है। इसके साथ ही पिछले चार साल में रही सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 8.8 फीसदी की औसत विकास दर के बावजूद विकास के मोर्चे पर पीछे छूट गये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाने पर सबसे अधिक जोर दिया है। इसके लिए देश के करीब चार करोड़ किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा के साथ भारत निर्माण, स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम और शिक्षा व ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं के आवंटन को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की पिछले कुछ महीनों में हो रही आलोचना के बावजूद इसके लिए आवंटन में बढ़ोतरी की है। उन्होंने बजट में दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पिछले चार साल में लगातार मजबूत होती गई अर्थव्यवस्था के फायदे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है।

आगामी साल के बजट में वित्त मंत्री ने आयकर के मोर्चे पर भारी छूट देकर मध्य वर्ग को भी खुश किया है। कर छूट सीमा में 40,000 रुपये की बढ़ोतरी की और कर की दरों को नये सिरे से समायोजित किया। अपने इस कदम के जरिये वह मध्य वर्ग को काफी हद तक खुश कर गये। महंगाई पर अंकुश लगाने और औद्योगिक उत्पादन को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री ने उत्पादन शुल्क की उच्चतम दर में दो फीसदी कटौती की। साथ ही कई उत्पादों पर शुल्क दर घटाकर कई ऐसे कदम उठाये हैं जो उद्योग जगत के लिए मांग बढ़ाने में सहायक होंगे। लेकिन बजट का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण फैसला रहा है किसानों की कर्ज माफी। जिसका फायदा चार करोड़ किसानों को मिलने का दावा किया गया है। दो हैक्टेयर तक की जमीन के मालिक सीमांत और छोटे किसानों को बैंकों से मिले 31 मार्च, 2007 तक के कर्ज माफ करने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसका फायदा तीन करोड़ किसानों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। जबकि जो किसान इस पैकेज के तहत नहीं आ रहे हैं उनके लिए कर्ज के भुगतान की एक मुश्त निपटान योजना लागू की जाएगी। जिसमें कर्जों के भुगतान में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। इससे करीब एक करोड़ किसानों को 10,000 करोड़ रुपये की राहत से पूरा पैकेज 60,000 करोड़ रुपये का होगा। कर्ज माफी की योजना को जून, 2008 तक लागू करने की बात कही गयी है। ताकि किसान अगली खरीफ फसल के लिए कर्ज हासिल करने की पात्रता हासिल कर सके। बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने वित्तीय समावेश पर गठित समिति की दो सिफारिशें मंजूर की हैं। जिनके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण और उपग्रामीण शाखाओं में कम से कम 250 ग्रामीण परिवारों का खाता खोलना होगा। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति बैंक अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को व्यवसाय सुविधाकारक व ऋण सलाहकार के रूप में नियुक्ति की जाए। यह कदम किसानों और ग्रामीणों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति कर संगठित वित्तीय तंत्र से कर्ज लेने की ओर ले जाने वाला साबित हो सकता है। इस मुद्दे पर गठित रंगराजन समिति ने कहा कि करीब 27 फीसदी ग्रामीण ही संगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों तक पहुंच रखते हैं। इसलिए बकाया 73 फीसदी लोगों को इसके तहत लाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।

इसके साथ ही 2008–09 में कृषि कर्जों के लिए 2,80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। कृषि ऋण के चालू साल में भी लक्ष्य से अधिक रहने की संभावना है। किसानों के लिए फसल ऋण पर सात फीसदी की ब्याज दर बरककार रखी है। जिसके लिए 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा कृषि ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती कर इसे चार फीसदी पर लाने की सिफारिश पर वित्त मंत्री ने बजट में अमल नहीं किया है।

कृषि क्षेत्र को विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत 27,148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए किया गया 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान काफी अहम है। इसके जरिये 24 बड़ी और मध्यम दर्जे की व 753 छोटी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की बात कही गई है। चालू साल में इसके तहत 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वहीं वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए 348 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जबकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए 644 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन कृषि बीमा योजना में जिस बड़े बदलाव की जरूरत बतायी जा रही है उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ी है। साथ ही एक सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना

की घोषणा की है जो सिंचाई परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का काम करेगा। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की शुरुआती इक्विटी देने की बात ही बजट में कही है।

कृषि के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत और सामाजिक सुविधाओं की मजबूती पर वित्त मंत्री ने काफी हद तक जोर दिया है। उन्होंने भारत निर्माण के लिए 31,200 करोड़ रुपये दिये हैं तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए 34,400 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। यूपीए सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में अहम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को देश के सभी 596 ग्रामीण जिलों में लागू करने की घोषणा के साथ इसके लिए 16,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी तरह राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए 7300 करोंड़ रुपये का प्रावधान किया है। आयोजना के लिए बजटीय सहायता को 38,286 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2,43,386 करोड़ रुपये कर दिया है। ताकि विभिन्न योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके। ग्रामीण अवसंचरना निधि (आरआईडीएफ) को बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें ग्रामीण सड़कों के लिए 4000 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान है। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछड़े क्षेत्र के लिए प्रावधान बढ़ाकर 5800 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसका सबसे अधिक फायदा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मजबूत करने को लेकर कृषि कारोबार को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इसके लिए कुछ उत्पादों पर शुल्क में कटौती भी की गई है।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का यह बजट यूपीए सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इसलिए इसमें की गई घोषणाओं को चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है। बजट में कई अहम प्रावधान हैं जिनकी आलोचना विपक्ष द्वारा चुनावी बजट बताकर की जा रही है। लेकिन यह बात भी सच है कि पिछले चार साल में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के चलते जिस तरह से राजस्व संग्रह छह लाख करोड़ रुपये के आसपास पहुंचा है उसके चलते ही सरकार कृषि ऋणों की माफी और करों के मोर्चे पर राहत देने की कोशिश कर सकी है। इसके साथ ही यह एक कड़वा सच है कि नौ फीसदी की दर से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र दो से ढाई फीसदी की विकास दर पर ही अटका हुआ है और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 18.5 फीसदी पर आ गयी है जबकि इस पर अभी भी 60 फीसदी से अधिक आबादी का बोझ है। इसके साथ ही कृषि विकास दर ही एक ऐसा हथियार है जो विकास में समावेश और गरीबी उन्मूलन में सबसे अधिक प्रभावी है।

इसी को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने बजट में कई अहम फैसले लिये हैं। इन फैसलों के लागू होने पर किस तरह का फायदा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा यह तो आने वाले दिनों में ही सामने आयेगा। लेकिन भले ही यह फैसले चुनावी हों और वोट बैंक को ध्यान में रखकर किये गये हों, फिलहाल तो इनको ग्रामीण भारत के लिए फायदे मंद ही माना जा रहा है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है।)

आम बजट 2008-09 की मुख्य विशेषताएं

- 60,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण राहत पैकेज, लघु और सीमांत किसानों के लिए संपूर्ण ऋण माफी, चार करोड़ किसानों को लाभ वर्ष 2008-09 के लिए 2,80,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य, अल्पकालीन फसल ऋण 7 प्रतिशत ब्याज पर जारी।
- सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम की स्थापना करना, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3,966 करोड़ रुपये की योजना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत निधि के लिए 18,983 करोड़ रुपये।
- सभी 90 अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों के लिए बहुविध क्षेत्रीय विकास योजनाएं।
- बैंकों से जुड़े सभी महिला स्वसहायता समूहों के ऋण जनश्री बीमा योजना के दायरे में।
- सभी 596 ग्रामीण जिले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दायरे में।
- वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत।
- असंगठित क्षेत्र में बीपीएल श्रेणी के अधीन कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
- दोपहर भोजन योजना का सभी प्रखंडों में उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं तक विस्तार।
- पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था।
- सरकार द्वारा सोलह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना।

- तीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, दो आई आई एस ई आर और दो प्लानिंग और आर्किटेक्चर स्कूलों की स्थापना।
- विज्ञान में नवीनता का बढ़ावा देने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना।
- प्रत्येक जिले में एक नेहरू युवा केन्द्र।
- पानी की कमी वाले बसावटों में स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था।
- इंदिरा आवास योजना के अधीन मैदानी क्षेत्रों में सब्सीडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये किया गया और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में सब्सीडी 27,500 रुपये से बढ़ाकर 38,500 रुपये।
- आम आदमी बीमा योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन आवंटन को 2,392 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,443 करोड़ रुपये करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य सब्सीडी के लिए 32,667 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कौशल विकास के लिए एक गैर लाभकारी निगम की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 300 आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के उन्नयन के लिए 750 करोड़ रुपये का आवंटन।
- सरकार की ओर से केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 16,436 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता और 3,003 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए 5,800 करोड़ रुपये, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को कुल राशि का लगभग 45 प्रतिशत भाग मिलेगा।
- आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने का प्रस्ताव;
- डेढ़ लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत,
- तीन लाख रुपये से पांच लाख रुपये की आमदनी पर 20 प्रतिशत और पांच लाख रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव।
- महिलाओं के लिए कर से छूट की सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,25,000 रुपये करने का प्रस्ताव
- कारपोरेट आयकर दरों और उपकर में कोई परिवर्तन नहीं।
- सीमा शुल्क की उच्चतम दर अपरिवर्तित
- परियोजना आयात पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इस्पात और अल्यूमीनियम स्क्रैप पर शुल्क समाप्त औषधि क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- छोटी कारें, दुपहिया और तिपहिया वाहन, बसें और उनकी चेसिसें सस्ती होंगी।
- फिल्टररहित सिगरेटें महंगी होंगी, गैर फिल्टर एवं फिल्टर सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क एक समान।
- चार और सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव।
- लघु सेवा प्रदाताओं के लिए छूट की सीमा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख करने का प्रस्ताव।
- अयस्क और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- क्रोम अयस्क पर निर्यात शुल्क 2,000 रुपये प्रति मी. टन से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव।
- सभी वस्तुओं पर सेनवैट 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- केन्द्रीय बिक्री कर में अप्रैल 2008 से 2 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव।
- थोक सीमेंट और पैकेटबंद सीमेंट पर उत्पाद शुल्क एक समान।
- किलकरों पर 150 रुपये प्रति मी. टन उत्पाद शुल्क।
- वित्त बाजार में सभी लेन–देन के लिए पैन (स्थाई खाता संख्या) अनिवार्य।
- रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 10 प्रतिशत की वृद्धि, 96,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,05,600 करोड़ रुपये।
- राजस्व घाटा 55,184 करोड़ रुपये रहने का अनुमान।
- वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक सीमित। (पसूका)

रेल बजट में सबका रखा ध्यान

डॉ. एस.के. मिश्रा

रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा संसद में पेश किया गया रेल बजट 2008–09 न केवल विकास का प्रतीक अथवा जनोन्मुखी कहा जा सकता है। बल्कि इस बजट में विश्वस्तरीय भारतीय रेल के निर्माण के साथ ही उसके रूप परिवर्तन की अथाह झलक भी दिखाई पड़ती है। यही रेल बजट लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री बनने से पूर्व इस मंत्रालय के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है और हमने वर्ष–प्रति–वर्ष यात्री भाड़े के साथ ही साथ माल भाड़े में वृद्धि होते ही देखा है। ऐसे कौन से परिवर्तन रेल प्रशासन के मामले में विगत पांच वर्षों में आये हैं, जिससे पूर्व के वर्षों का घाटेवाला बजट एक बड़ी राशि के फायदे के बजट में बदल चुका है। यही वह भारतीय रेल है जो कुछ वर्षों पूर्व तक विभिन्न कर्त्तव्यों को पूरा करने के बहाने उपभोक्ताओं की सुविधा को दरकिनार कर मात्र लाभ–हानि का समीकरण बनने में पूरा साल बिता दिया करती थी, आज वही रेल और उसी रेलवे प्रशासन के मंत्री लालू प्रसाद यादव बड़े–बड़े मैनेजमेन्ट (प्रबंधन) विशेषज्ञों को भी अपनी ओर आकर्षित होने पर विवश कर रहे हैं। विगत चार वर्षों से इस मसखरे कहे जाने वाले रेल मंत्री ने सिद्ध कर दिखाया है कि वह संसद में किसी भी रूप में देखा या तौला जाये, आम–उपभोक्ता उसे "गरीबों का मसीहा" ही मानते हैं।

रेल बजट सन् 2008–09 का समाज के लगभग सभी वर्गों द्वारा तहे–दिल से स्वागत् किया जा रहा है। मौजूदा रेल बजट में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही साथ गरीब वर्ग की यात्रा को और भी अधिक सुलभ बनाते हुए रियायतों की घोषणा क़ी है। रेल प्रशासन की व्यवस्था को देख रहे इस चतुर मंत्री ने माल भाड़े में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी न कर व्यापारियों को भी खुश रखने में सफलता पायी है। रोजमर्रा की साधारण यात्रा टिकटों में छूट के साथ ही वातानुकूलित वर्गों में भी 7 प्रतिशत तक रियायती घोषणा से उच्च वर्ग का भी दिल जीतने में कामयाब रहा है। महंगाई की मार झेल रहे ग्रामीण तबके एवं औसत दर्जे के लोगों को लालू की रेल अब ज्यादा लुभावनी लग रही है। बुजुर्ग महिलाओं को यात्रा टिकटों में 50 फीसदी की छूट देना मंत्रालय के मुखिया का बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए यात्रा में छूट देना युवाओं के साथ किया एक सकारात्मक प्रयोग कहा जा सकता है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्यों को देखते हुए बजट में इन दोनों इंधनों के परिवहन भारक में वृद्धि न करना भी रेल मंत्री की दूर दृष्टि को स्पष्ट करता है। कुलियों के मामले में रेल मंत्री ने स्थायी नौकरी के रूप में गैंग मैनों के पद पर नियुक्ति देने की बात कहकर "गरीबों का मसीहा" को सही ठहराया है।

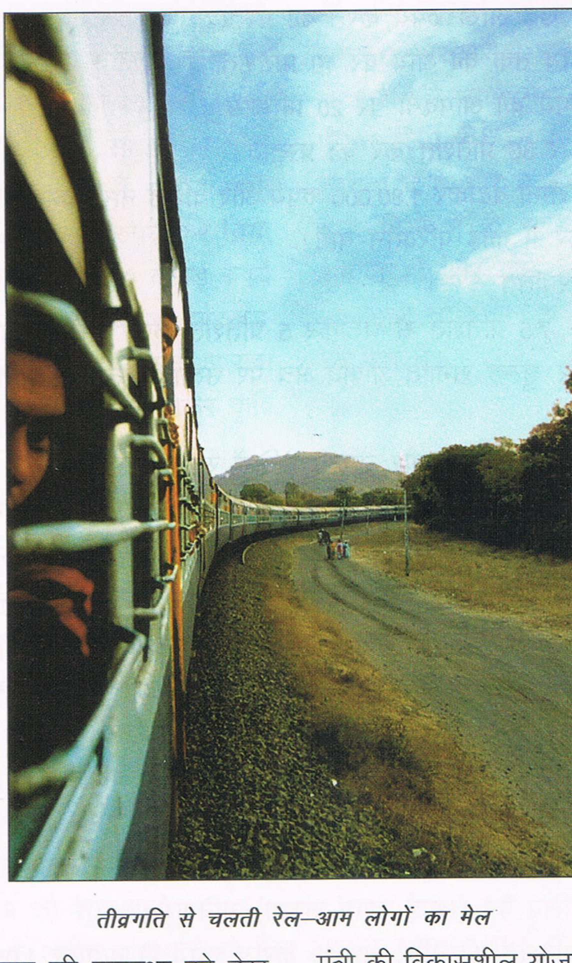

तीव्रगति से चलती रेल–आम लोगों का मेल

पेश किये गये रेल बजट में रेलवे के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूती प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत वर्ष के चार बड़े रेलवे स्टेशनों को सर्वसुविधा युक्त श्रेणी में लाने के अलावा उपलब्ध सुविधाओं को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाना पूरे बजट का मुख्य आकर्षण रहा है। मुंबई के सी.एस.टी. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को सजावटी रूप देते हुए विशेष प्रकार से आकर्षक बनाते हुए विश्व स्तरीय दर्जा दिलाने का किया गया प्रावधान देश ही नहीं वरन् विदेशों में भी लालू यादव की सोच को सराहने के लिए विशेष मुद्दा होगा। इसी प्रकार देश के तीन अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों क्रमशः नई दिल्ली, पटना एवं कोलकाता को विश्वस्तरीय सुविधा से जोड़ते हुए अधिक निखारने की योजना ने रेल मंत्री की विकासशील योजनाओं के प्रति गंभीर सोच को जनमानस के लिए उजागर किया है। छत्रपति शिवाजी टर्मीनल की ईमारत जो लगभग 120 वर्ष पुरानी है। सन् 1888 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनायी

स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त मासिक सीज़न टिकट

रेल यात्राओं के दौरान रियायतों की घोषणा की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को मुफ्त मासिक सीजन टिकट, वरिष्ठ महिला नागरिकों को छूट, अशोक चक्र विजेताओं को छूट और एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को भी छूट दी गई है।

छात्राओं को स्नातक स्तर तक और छात्रों को 12वीं कक्षा तक यात्राओं में रियायत दी जाएगी। फिलहाल छात्राओं को 12वीं कक्षा तक और छात्रों को 10वीं कक्षा तक द्वितीय श्रेणी के मासिक सीजन मुफ्त टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह सुविधा घर से स्कूल तक जाने के लिए है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ने यह घोषणा की कि वरिष्ठ महिला नागरिकों को सभी श्रेणियों में यात्री किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे पहले यह छूट 30 प्रतिशत थी।

भारतीय वायु सेना के अशोक चक्र विजेताओं को उनके कार्ड पास पर अब राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। एड्स के मरीजों को द्वितीय श्रेणी के किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है ताकि वो निर्धारित एआरटी केंद्र में जाकर अपना ईलाज करा सकें।

राजीव गांधी फाउंडेशन और भारतीय रेलवे के सहयोग से मातृ–शिशु स्वास्थ्य एक्सप्रेस पायलट आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें सात कोच होंगे। यह माता और शिशु को चिकित्सा सेवा मुहैया कराएगी। यह रेल रियायती किराये के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें प्रसव ऑपरेशन कक्ष और शिशु स्वास्थ्य केंद्र भी होगा। (पसूका)

गयी इस इमारत में आमूल चूक परिवर्तन के साथ निखार लाने का प्रावधान एक अच्छा कदम बताया जा रहा है।

वर्तमान रेल बजट में लालू प्रसाद यादव द्वारा शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए बारहवीं तक शिक्षा ग्रहण करने वाले समस्त छात्र/छात्राओं को आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था तथा स्नातक स्तर की छात्राओं को मुफ्त पास देना भी इस बात का द्योतक है कि रेल सुविधाओं के माध्यम से रेल मंत्री ने शिक्षा के यज्ञ में भी आहुती दी है। इस प्रकार उन्होंने ट्रेन में सफर कर रही गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए जच्चा–बच्चा ट्रेन चलाने की घोषणा की है। एड्स से पीड़ित मरीजों के लिए दूसरे दर्जे के किराये में 50 प्रतिशत छूट देना भी सेवा क्षेत्र में किया गया योगदान है। अशोक चक्र से सम्मानित लोगों को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में भी पास की सुविधा देना रेल मंत्री के सम्मान की भावनाओं को दृष्टिगोचर करता है। रेलों के टायलेट की सुविधा को एयरोप्लेन की तर्ज पर "ग्रीन टायलेट" की तरह बनाने के लिए 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, रेलवे को गंदगी से बचाते हुए सफाई के प्रति उच्च विचारों को प्रदर्शित करता है। रेल मंत्री ने अपने पांचवें बजट में यात्रियों को विशेष सुविधा देते हुए मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में एल ई डी "आन लाइन कोच इंडिकेशन डिस्पले बोर्ड" लगाने की घोषणा की है जिससे यात्रियों को आने वाले स्टेशन और उसकी दूरी की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस प्रकार की उच्च स्तरीय सुविधा से विशेषकर रात्रि में सफर कर रहे यात्री लाभान्वित होंगे।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह बजट प्रशंसनीय कहा जा सकता है। मुसाफिरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रेनों में सुरक्षा बलों को बढ़ाने के साथ ही साथ विशेष रूप से महिला कांन्सटेबल की ड्यूटी अब महिलाओं को सहायता पहुचाएगी। रेलवे की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए रेल मंत्री ने ट्रेनों में होने वाली टक्कर को रोकने की विशेष तकनीक अपनाने की योजना को अमल में लाने की बात कही

11 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि

माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने संसद में रेल बजट प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित 11 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने की घोषणा की है।

• 2425/2426 नई दिल्ली–जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन) • 2203/2204 सहरसा–अमृतसर गरीब रथ (सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन) • 2449/2450 निजामुद्दीन मड़गांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन)। • 6513/6514 बागलकोट यशवंतपुर बासवा एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)। • 3403/3403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस वाया अंडाल (सप्ताह में पांच दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)। • 2891/2892 बारीपदा–भुवनेश्वर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)। • 2151/2152 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हावड़ा समरसता एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन)। • 2421/2422 भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन)। • 2947/2948 अहमदाबाद–पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन)। • 2431/2432 निजामुद्दीन–तिरूवनंतपुर राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर तीन दिन)। • 5109/5110 वाराणसी राजगीर बुद्धपूर्णिया एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन)। (पसूका)

16 गाड़ियों का विस्तार

● 8611/8612 वाराणसी – रांची का वाया राऊरकेला – सम्बलपुर तक विस्तार (सप्ताह में दो दिन) ● 2677/2678 बैंगलोर – कोयमबटूर एक्सप्रेस का एर्णाकुलम तक विस्तार। ● 4207/4208 दिल्ली – रायबरेली पदमावत एक्सप्रेस का प्रतापगढ़ तक विस्तार। ● 7405/7406 तिरूपति – निजामाबाद कृष्णा एक्सप्रेस का आदिलाबाद तक विस्तार। ● 3225/3226 दानापुर – दरभंगा एक्सप्रेस का जयनगर तक विस्तार। ● 2855/2856 नागपुर – रायपुर एक्सप्रेस का विलासपुर तक विस्तार। ● 2691/2692 चैन्नई – बैंगलोर एक्सप्रेस का श्री सत्य साईं प्रशांति निलायम तक विस्तार। ● 6733/6734 मदुरई–मनमाड एक्सप्रेस का एक दिशा में रामेश्वर तथा दूसरी दिशा में ओखा तक विस्तार। ● 2141/2142 राजेन्द्र नगर टर्मिनल – लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक विस्तार। ● 2409/2410 निजामुद्दीन – विलासपुर – गोंडवाना एक्सप्रेस का रायगढ़ तक विस्तार। ● 4201/4202 मथुरा – लखनऊ एक्सप्रेस का पटना तक विस्तार। ● 2083/2084 कोयमबटूर – कुंबकोणम जनशताब्दी एक्सप्रेस का मईलादुतुरई तक विस्तार (गेज परिवर्तन के बाद) ● 1423/1424 शोलापुर – बाकलकोट एक्सप्रेस का गड़ग तक विस्तार (गेज परिवर्तन के बाद) ● 571/572 बैंगलोर – सेलम पैसेंजर का नागौर तक विस्तार (गेज परिवर्तन के बाद) ● 724/775 तूतीकोरिन – तिरूनेलवैल्ली पैसेंजर का तिरूचेंदुर तक विस्तार। ● 356/367 धारवाड़ – गड़ग पैसेंजर का बीजापुर तक विस्तार (पसूका)

है। इसी प्रकार स्टेशनों में सी.सी.टी.वी और मेटल डिक्टेटर भी लगाये जाऐंगे जिससे अपराधियों की धरपकड़ में सहायता प्राप्त हो सकेगी। ट्रेनों में भीड़ के कारण होने वाली दुर्घटना जो यात्रियों के लटक कर यात्रा करने के कारण हुआ करती थी, उन्हें रोकने के उद्देश्य से 300 नई लोकल गाड़ियों का चलाया जाना एक अच्छा कदम है। ग्यारह ट्रेनों के फेरे बढ़ाना, 16 ट्रेनों का विस्तार करना भी बहुत हद तक दुर्घटना रोकने में कामयाबी को प्राप्त करेगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश को रेल मंत्री ने जरूर एक बार पुनः निराश किया है, किन्तु इस बार बिलासपुर–पुणे एक्सप्रेस, एवं भुवनेश्वर मुंबई वाया रायपुर, सम्बलपुर एक्सप्रेस देकर मरहम लगाने का जरूरी काम किया है। इसी प्रकार नागपुर–रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को बिलासपुर तक तथा बिलासपुर ह० निजामुद्दिन गोंडवाना सुपर फास्ट को रायगढ़ तक बढ़ाकर मिठाई की जगह रेवड़ी बांटी है। कुर्ला–हावड़ा समरसता एक्सप्रेस अब एक के बजाये सप्ताह में दो दिन चलकर भी कुछ राहत अवश्य देगी। निर्माण कार्यों के मद्दे नजर भी सरोना में फ्लाई ओव्हर ब्रिज, रायपुर–टिटलागढ़ के मध्य महानदी पर पुल, दुर्ग–गोंदिया के मध्य आटोमेटिक सिग्नल,डोगरगढ़–कोटा के लिए नई रेल लाइन को मंजूरी तथा किरन्दुल से जगदलपुर तक दोहरी रेल लाइन प्रदेश वासियों के लिए बहुत अधिक नहीं तो कम बड़ा उपहार भी नहीं है। कुल मिलाकर रेल मंत्री के पांचवें बजट में सबके लिए रेवड़ी का प्रावधान जरूर किया गया है।

दस नये गरीब रथ, 53 नई ट्रेनों के साथ सुविधा का विस्तार अवश्य होगा। जयपुर–चंडीगढ़ गरीब रथ, बैंगलोर–मुचरौली गरीब रथ, जश्वंतपुर–पांडिचेरी गरीब रथ, जबलपुर–मुंबई गरीब रथ, पुणे–नागपुर गरीब रथ के साथ अन्य मार्गों पर यह सुविधा महत्वपूर्ण है।

(लेखक वाणिज्य संकाय में व्याख्याता हैं।)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर *निदेशक, प्रकाशन विभाग* को नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित रहा आम बजट

मयंक श्रीवास्तव

वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को प्रदर्शित करने वाला वित्तीय वर्ष 2008–09 का बजट पेश हो चुका है। बजट सामान्यतः आय व्यय का लेखा–जोखा होता है जो वर्तमान वर्ष के साथ–साथ पिछले दो वर्ष से भी संबंधित होता है। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री हमेशा यह ध्यान रखता है कि इसमें आम आदमी और साथ–साथ किसानों का भी ध्यान रखा जाये। इसी फंडे पर चलते हुए वित्तमंत्री ने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया और शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को छोड़कर न ही किसी टैक्स दर में बढ़ोतरी की गई। सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ता करने का ऐलान किया गया। जहां टाटा ने अभी कुछ दिन पहले बाजार में लखटकिया कार उतार कर आम जन और ग्रामीणों का दिल जीता वहीं पी. चिदम्बरम ने एक्साइज ड्यूटी में 4 प्रतिशत की कटौती करके आम आदमी के कार से चलने का सपना साकार कर दिया। एक महान अर्थशास्त्री ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए कर्ज तले दबे और जहर खाकर मौत को गले लगा रहे लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करते हुए 60 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफी पैकेज का ऐलान किया।

यह बजट तो ऐसा रहा जैसे शापिंग माल में एक के साथ एक फ्री पुरस्कारों की घोषणा हो रही हो। विपक्ष तो इस बजट को केवल मूक दर्शक और श्रोता बनकर सुनते भर रह गये। बजट इतिहास में यह पहली बार हुआ है जिसमें कि आम आदमी का इतना ध्यान रखा गया है। जहां किसानों ने इस बजट को दोनों हाथों से लूटा तो नौकरीपेशा लोग भी पीछे नहीं रहे और आयकर में मनचाही रियायत और बैंक से पैसा निकालने पर कर से माफी जैसा तोहफा पाकर निहाल हो गये। शिक्षा की भी इस बजट में अनदेखी नहीं की गई है। शिक्षा को बजट बाजार में इस बार ज्यादा जगह मिली है, खासतौर पर छात्रों के लिए तरह–तरह के वजीफों की लंबी सूची यहां लगी है। इसके अलावा इस बार सामाजिक क्षेत्र, रोजगार, गरीबी उन्मूलन में कोई नया खास उत्पाद बजट बाजार में नहीं आया है। उद्योग को कुछ खास नहीं मिला लेकिन सेवा क्षेत्र के लिए यह खुशी की बात है कि 65 हजार छोटी सेवा कंपनियां कर चुकाने के झंझट से मुक्त हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में होटल और अस्पताल खोलने पर पांच साल तक कर की छूट का तोहफा मिला है, जाहिर है इससे निवेश में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। तमाम रियायतों की रौनक से बजट का बाजार जमकर गुलजार है, और शायद यही वक्त की दरकार है। वैसे हो सकता है कि किसी को इस शापिंग माल की किसी पैकिंग में उम्मीदों से कम माल मिले, अगर ऐसा हो तो गम न मनाइए, बस यूं ही समझिए कि 'सियासत की अपनी अलग इक जबां है, लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना।'

करदाताओं के लिए फीलगुड

इस साल का बजट करदाताओं के लिए फीलगुड देने जैसा है। आय कर छूट की सीमा 1.10 लाख रुपए से बढ़ा कर 1.50 लाख रुपए कर दी है, बजट में मिले आयकर के तोहफे से 1.50 लाख रुपए तक की आय वाले करदाता को कम से कम चार हजार रु. का फायदा होगा। इस नए ढांचे में करीब 1.50 लाख रु. से पांच लाख रु. की आय वालों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वित्तमंत्री ने कहा कि 1.50 लाख रु. की आमदनी पर कोई कर नहीं देना पडेगा। तीन लाख से पांच लाख रु. कमाने वालों को अब 20 फीसदी की दर से कर देना पडेगा। पांच लाख से ऊपर की वार्षिक आय पर दर 30 प्रतिशत होगी। कर रियायतों का यह सिलसिला यहीं नहीं खत्म होता, महिलाओं को ज्यादा कर छूट देने की अपनी मुहिम जारी रखते हुए वित्तमंत्री ने उनके लिए कर छूट की सीमा 1.45 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी है तथा वरिष्ठ नागरिकों को आदर सहित कर छूट की मौजूदा सीमा 1.95 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए कर दी गई है। वित्तमंत्री ने आय करदाताओं के कर छूट संबंधी कुछ और प्रावधान किये हैं जैसे माता–पिता के स्वास्थ्य बीमा के लिए अदा की गई 15 हजार रु. तक की राशि को 80 डी के तहत कर छूट के योग्य करार दिया गया है।

किसानों की भी रही चांदी

सरकार ने सीमांत और छोटे किसानों के कर्ज को माफ करने की योजना बनाई है। कर्ज माफी के दौरान कुल 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ होगा, वहीं एक बारगी समझौता कर कर्ज चुकाने की छूट पर 10,000 करोड़ रु. का लोन माफ होगा, यानि कि कुल 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा। व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिव ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए उन कर्ज को माफ किया जाएगा, जिसे किसानों ने 31 मार्च 2007 तक लिया है। सीमांत किसानों और छोटे किसानों के पूरे कर्ज को माफ किया जाएगा, जिसे 31 दिसंबर 2007 तक चुकाना था।

	बजट का सार			आंकडे करोड़ रु. में
	2006–07 वास्तविक	2007–08 बजट अनुमान	2007–08 संशोधित अनुमान	2008–09 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	4,34,387	4,86,422	5,25,098	6,02,935
पूंजीगत प्राप्तियां	1,49,000	1,94,099	1,84,275	1,47,949
कुल प्राप्तियां	5,83,387	6,80,521	7,09,373	7,50,884
आयोजना भिन्न व्यय	4,13,527	4,75,421	5,01,849	5,07,498
आयोजनागत व्यय	1,69,860	2,05,100	2,07,524	2,43,386
कुल व्यय	5,83,387	6,80,521	7,09,373	7,50,884
राजस्व घाटा	80,222	71,478	63,488	55,184
राजकोषीय घाटा	1,42,573	1,50,948	143,653	1,33,287
प्रारंभिक घाटा	–7,699	–8,047	–28,318	–57,520

ढांचागत क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ा

वर्ष 2008–09 के बजट में ऊर्जा, परिवहन और संचार जैसे प्रमुख ढांचागत क्षेत्रों के लिए आवंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी की है। चिदम्बरम ने इन योजनाओं के नतीजों पर जोर देते हुए केंद्रीय नियोजित योजना निगरानी प्रणाली के दायरे में 2008–09 में 1,000 योजनाएं आएंगी जिनकी निगरानी योजना आयोग करेगा। बजट में ऊर्जा क्षेत्र के आवंटन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 93,815 करोड़ रुपये कर दिया है। बजट में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 5500 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है, जबकि त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। संचार क्षेत्र के लिए किए गए आवंटन को 22 प्रतिशत बढ़ाकर 84,177 करोड़ रु. कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के अनुमानों के मुताबिक यह आंकडा 68,930 करोड़ रु. है। साथ ही बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए 14,000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है तथा सरकार ने सिचांई क्षेत्र को दी जाने वाली राशि को वर्ष 2008–09 के दौरान 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 20,000 करोड़ रु. करने की घोषणा की है।

चार नए क्षेत्र सेवा कर के दायरे में

बजट में सेवा कर के दायरे को बढ़ाकर चार और सेवाओं को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें शेयर और जिंस एक्सचेंज यूनिट संबद्ध बीमा योजनाओं को प्रदान करने वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। बजट के अनुमानित सेवा कर के मुताबिक इस मद में चालू वित्त वर्ष में 64,460 करोड़ रुपये की उगाही करने का लक्ष्य है। यह पिछले साल 50,603 करोड़ रुपये था। इस लिहाज से इसमें 27.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब सेवा कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं की संख्या 104 हो गयी है जो पहले 100 थी। ध्यान रहे कि कुल सकल घरेलू उत्पाद का 55 प्रतिशत हिस्सा सेवा कर से आता है। इसलिए उन्हीं क्षेत्रों पर यह कर लगाया जा रहा है जो प्रगति की राह पर है। सेवा कर की दर में कोई परिवर्तन न करते हुए इसे 12 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा गया है। यूनिट लिंक्ट्ड बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदाता क्षेत्रों पर भी सेवा कर लगाया गया है। वित्त कानून 2008 के लागू होने के साथ ही स्टॉक, जिंस एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउसेस पर भी सेवाकर लगना आरंभ हो जाएगा। भौतिक सामान, जिस पर वैट नहीं लगता है, उसको सेवा कर के दायरे में लाया जाएगा। पैकेज्ड सॉफटवेयर और आईटी सेवाओं पर 12 प्रतिशत सेवाकर लगाया जाएगा। साथ ही रुपये का आदान प्रदान करने वालों पर, लॉटरी जैसे पैसा कमाने वाले क्षेत्रों और कांट्रेक्ट मालवाहक गाड़ियों पर भी सेवा कर लगेगा। बजट में छोटे स्तर पर सेवा प्रदान करने की निम्न सीमा को 8 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इससे उम्मीद है कि 65,000 छोटे कर प्रदाता इस कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

रक्षा व्यय में बढ़ोतरी

देश में पहली बार रक्षा बजट का आंकडा एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। वित्त मंत्री ने वर्ष 2008–09 के लिए वित्तीय बजट पेश करते हुए रक्षा मद में बढ़ोतरी की घोषणा की है। चिंदम्बरम ने कहा की आने वाले वर्ष के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 1,05,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले साल के व्यय 96,000 करोड़ की तुलना में यह 10 फीसदी ज्यादा है। हालांकि अगर ध्यान से देखें तो यह बढ़ोतरी 14.16 प्रतिशत है क्योंकि पिछले साल केवल 92,500 करोड़ रुपये ही खर्च किया

जा सका था। भले ही रक्षा बजट में इस बार खासी बढ़ोतरी की गई है पर अभी भी रक्षा खर्च मात्र जी०डी०पी० का 2 प्रतिशत ही है जो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन की तुलना में काफी कम है। हालांकि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इस पर खुशी जताई है और कहा है कि आधुनिकीकरण की गाड़ी अपनी पूरी गति के साथ चलेगी। अब रक्षा बजट में बढ़ात्तरी तो हो गई लेकिन आवश्यकता है सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की और सैनिकों को आधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस करने की।

गरीब मजदूरों की सेहत का भी रखा ख्याल

इस बार बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की कुछ कोशिश की गई है। इस उपेक्षित किंतु बहुत बड़े वर्ग के लिए वित्त मंत्री ने बीमा और स्वास्थ्य योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नाम की एक नई योजना शुरू की जा रही है। आगामी एक अप्रैल से लागू यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए होगी। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के बीपीएल कामगार और उसके परिवार को तीस हजार रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना को भी दुरूस्त किया जा रहा है। पहले साल में 30 सितंबर तक भारतीय जीवन बीमा निगम एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। वित्तमंत्री के मुताबिक एल.आई.सी को इसके लिए पहले ही एक हजार करोड़ गरीब परिवारों को योजना के दायरे में लाया जाएगा। वित्तमंत्री ने जीवन बीमा निगम को एक हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की है।

ग्रामीणों के लिए अब स्मार्ट कार्ड

राशन दुकानों से अनाज लेने के लिए अब लाल, पीले राशन कार्डों से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। सरकार ने उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड से जोड़ने का फैसला किया है। योजना को पूरे देश में लागू करने से पहले पायलट परियोजना के रूप में इसे हरियाणा व चंडीगढ़ में चलाया जाएगा। वित्तमंत्री का मानना है कि इससे राशन प्रणाली चुस्त दुरूस्त होगी और खाद्य साब्सिडी में सेंध लगाने वालों पर अंकुश लगेगा। माना जा रहा है कि स्मार्ट कार्ड को सरकार की अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।

ग्रामीणों को दिल खोलकर दिया जाएगा लोन

वित्तमंत्री ने बैंकों को साफ कर दिया है कि वे गरीब ग्रामीणों के खाते खोलने में आनाकानी न करें और हर हाल में उनके खाते खोलें, भले ही इसके लिए घर–घर जाकर गुहार क्यों न लगानी पड़े। वर्ष 2008–09 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने संदेश दिया कि गांवों व गरीबों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त तथा सक्षम बनाना पड़ेगा। अब सभी बैंकों की ग्रामीण एवं कस्बाई शाखाओं को हर साल अपने आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के कम से कम 250 खाते खोलने होंगे। इससे ग्रामीण बैंकों को अपना व्यवसाय बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि इस संबंध में ग्रामीण बैंकों को अपने सहयोगी बैंकों से सीख लेनी चाहिए और जनता की कर्ज संबंधी जरूरतें पूरी करने में लग जाना चाहिए। खासकर स्वयं सहायता समूह को कोताही नहीं करनी चाहिए। गांवों के लोग चाहे कारोबार के लिए कर्ज मांगे या पढ़ाई, शादी अथवा मकान बनाने के लिए, उन्हें कर्ज देने में आनाकानी ठीक नहीं।

बैंकों से निकाले बेधड़क पैसा

दो साल पहले लगाये गये बैंकों से बड़ी मात्रा में नगदी निकालने पर कर को इस बजट में समाप्त करने का फैसला किया गया जिससे मध्यम वर्ग को काफी लाभ पहुंचने की उम्मीद है। वैसे, यह प्रावधान अप्रैल 2009 से लागू होगा। मौजूदा प्रावधानों के तहत 50 हजार रु. से ज्यादा की राशि एक बार में बैंक खाते से निकालने पर 0.1 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। वैसे बैंक नगद निकासी कर का उद्देश्य महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करना था और सरकार का यह मकसद पूरा हो गया है। यानी जिन लोगों ने पिछले दो वर्षों में अपने खाते का खूब इस्तेमाल किया है, और कर अदायगी में चतुराई दिखायी है उन्हें थोड़ा सचेत रहने की जरूरत होगी। इसके साथ ही अब सभी प्रकार के वित्तीय लेन–देन में स्थायी खाता संख्या का जिक्र करना अनिवार्य कर दिया गया है। वित्तमंत्री ने शेयर बाजार के निवेशकों को कोई कर रियायत नहीं दी है। यही नहीं, कमोडिटी वायदा बाजार पर तिरछी नजर रखी है। अब कमोडिटी वायदा बाजार में होने वाले लेन देन कर दायरे में आएंगे। इसके अलावा हाल ही में शुरू किए गए आप्शन व फ्यूचर उत्पादों पर लागू कर प्रावधानों में बदलाव करने का भी प्रस्ताव किया है।

शिक्षा भी हुई निहाल

सरकार ने शिक्षा के बजट में जो किया है अगर उस पर वह उतनी ही ईमानदारी से अमल करा सके तो वाकई शिक्षा को काफी फायदा होगा। पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत बजट बढ़ गया है। प्राइमरी के साथ ही अपर प्राइमरी में भी बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना और उसकी भी गुणवत्ता में सुधार लाना है। पहली बार उच्च उत्कृष्टता वाले 6000 माडल स्कूल ब्लाक स्तर पर खोले जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 650 करोड़ रु. का इंतजाम भी कर दिया है। प्रतिभाशाली छात्रों की आठवीं और 12वीं तक की पढ़ाई में कोई बाधा न पड़े इसके लिए राष्ट्रीय योग्यता सह साधन छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। देश के सभी ब्लाकों में अब आठवीं तक के छात्रों को मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा। इससे 2.5 करोड़ अतिरिक्त

बच्चों को लाभ होगा। विज्ञान की पढ़ाई में बहुत ही कम बच्चे रुचि लेते हैं। लिहाजा इस क्षेत्र में कैरियर को प्रोत्साहन, के लिए इनोवेशन इन साइंस परसुइट इन साइंस (इन्सपायर) नाम से एक नई योजना शुरू होगी। सरकार ने इनके लिए 130 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

उच्च शिक्षा में बेहतर अवसरों के मद्देनजर आगामी वित्तीय वर्ष में उन राज्यों में 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जहां अभी ये नहीं है। बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक–एक आईआईटी, तथा भोपाल व तिरूवनंतपुरम में भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे। देश में आधुनिक शिक्षा के सबसे पुराने संस्थान डक्कन स्नातकोत्तर कालेज एवं अनुसंधान संस्थान पुणे को पांच करोड़ रु. दिए जाएंगे। सरकार ने पहली बार शिक्षा में सूचना तकनीक को अपने एजेंडे पर खासतौर से लिया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर अमल करते हुए सभी हाई प्रोफाइल शिक्षण संस्थानों के बीच संसाधनों के आदान प्रदान और साझे अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक डिजिटल ब्राडबैंड नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बच्चों की पढ़ाई की ओर खासतौर से जोर दिया है। इन समुदायों की लड़कियों को ज्यादा बेहतर अवसर के लिए 410 नए कस्तूबा गांधी बालिका विद्यालय तो खुलेगें ही साथ ही उनके छात्रावासों व मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 80 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

बाघों को भी मिली सुरक्षा

आप ये मत सोचिए कि बजट सिर्फ मनुष्यों के लिए ही होता है बल्कि यह जानवरों के लिए भी है। जब बात बाघों की हो तो बजट कोताही कैसे कर सकता है। यही वजह है की वित्तमंत्री ने विलुप्ति से बचाने के लिए राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा बल के गठन का प्रस्ताव किया है। देश में जब मात्र 1411 बाघ बचे हो तो चिंता भी लाजमी है। खतरे से बचाने के लिए 50 करोड़ रु. के अनुदान की घोषणा की गयी है। मौसम बदलाव पर चिंता जताते हुए वित्तमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के उपाय को लागू करने की जरूरत बतायी। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देने, ईंधन कुशलता बढ़ाने तथा सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रणाली विकसित की जाएगी।

पूर्वोत्तर के विकास का वादा

समस्याग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य भी वित्तमंत्री के भाषण में कुछ राहत तलाश सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को 1455 करोड़ रु. देने के साथ ही यह रकम बढ़ाने का वादा भी किया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं की पहचान के लिए 500 करोड़ रु. अलग से दिये। वित्तमंत्री का यह मानना है कि पूर्वोत्तर विकास में सरकार विशेष ध्यान देगी।

ग्रामीण रोजगार पर रहा ज्यादा ध्यान

बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को ध्यान में रखा गया और इस कार्यक्रम को देश के सभी 596 जिलों में शुरू करने की घोषणा की है। इन नये जिलों में यह योजना एक अप्रैल 2008 से लागू हो जाएगी। इस काम के लिए 16 हजार करोड़ रु. आवंटित किया गया है। जबकि पिछले साल इस योजना के लिए 12 हजार करोड़ रु. जारी किया गया था तब यह योजना सिर्फ 330 जिलों में लागू थी। वित्तमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस योजना के लिए सरकार सभी जरूरी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि पिछले साल दिसम्बर तक इस योजना के लिए जारी की गई राशि में से केवल 60 फीसदी रकम का ही इस्तेमाल किया जा सका। जब तक देश 8.5 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है, हमें हर सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाना ही होगा। इस बार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए 2150 करोड़ रु. दिए गए हैं।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार तथा बजट विश्लेषक हैं।)
ई–मेल: mayank129@rediffmail.com

250 जिलों में चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने संसद में 2008–09 का बजट पेश करते हुए देश के 250 जिलों में मार्च, 2009 तक प्रत्येक जिले में चलती–फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। ये प्रयोगशालाएं सभी उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित होंगी। इसके लिए कृषि मंत्रालय को 75 करोड़ रुपए का एकमुश्त आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी एवं सरकारी क्षेत्र में 500 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी और प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए सरकार 13 लाख रुपये की सहायता देगी।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नारियल, काजू और काली मिर्च जैसी फसलों के पुनरुज्जीवन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए बागवानी मिशन को 1100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन अब 18 राज्यों और 2 संघ राज्यों के 340 जिलों में लागू है। बागवानी फसलों के तहत 2 लाख 76 हजार हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया है तथा 56 हजार हैक्टेयर में पुरानी बागानों का पुनरुद्धार किया गया है। (पसूका)

ग्रामीण विकास को समर्पित केन्द्रीय बजट

दिग्विजय सिंह

वित्तमंत्री पी0 चिदम्बरम् ने यू0पी0ए0 सरकार का पांचवीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना का दूसरी बार बजट, 29 फरवरी 2008 को संसद में पेश किया। बजट सरकार के हाथ में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण अस्त्र है, जिसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक चरों जैसे रोजगार, उत्पादन, आय, कीमत स्तर आदि को प्रभावित करती है। सरल रूप में बजट, सरकार की समग्र नीतियों को प्रतिबिम्बित करने वाला ऐसा आइना है, जो देश के प्रत्येक घटक और प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करता है ।

ग्रामीण विकास यू0पी0ए0 सरकार के 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' का अहम पहलू रहा है। सरकार ने प्रारम्भ से ही ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी। बजट पूर्व, इस बार सरकार के समक्ष कृषि क्षेत्र की निम्न वृद्धि दर, किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती दर आदि प्रमुख चुनौतियां थीं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पी साईनाथ ने महाराष्ट्र के सन्दर्भ में अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि यहां औसतन आठ घन्टे में एक किसान आत्महत्या करता है। किसानों की दुर्दशा के मुद्दे पर कठघरे में खड़ी सरकार को बचाने का भरसक प्रयास वित्तमंत्री ने इस बजट में किया है। वर्तमान बजट में ग्रामीण विकास के लिए निम्न प्रावधान किये गये हैं –

कृषि क्षेत्र

- कर्ज के बोझ से दबे किसानों को राहत देने के लिए वित्तमंत्री चिदंबरम् ने 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफी पैकेज की घोषणा की है । इसके तहत एक हेक्टेयर तक की जोत वाले सीमान्त और दो हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों का 31 मार्च 2007 तक का कर्ज माफ किया जाएगा। जबकि दो हेक्टेयर से बड़ी जोत वाले दूसरे किसानों के लिए ओटीएस अर्थात वन टाइम सेटलमेन्ट योजना के तहत उनकी कुल देनदारी का 25 फीसदी केन्द्र सरकार देगी बशर्ते बाकी 75 फीसदी वे एकमुश्त खुद चुकाएं। व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के कृषि ऋण इस पैकेज के दायरे में आयेंगे। वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस पैकेज का लाभ हर हाल में आगामी 30 जून तक दे दिया जाएगा। कर्ज माफी के इस पैकेज का लाभ कुल मिलाकर 4 करोड़ किसानों को होने की आशा है ।
- वित्तमंत्री ने 25 हजार करोड़ रुपये परिव्यय वाली **'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'** तथा 4842 करोड़ रुपये परिव्यय वाली **'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'** की घोषणा की है। ये दोनों योजनाएं ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना के दौरान क्रियान्वित की जायेंगी ।
- वित्तमंत्री ने कृषि ऋणग्रस्तता पर गठित आर0 राधाकृ णन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2008–09 के लिए कृषि साख का लक्ष्य 280000 करोड़ रुपये रखा है।
- जल संसाधन के प्रबन्धन और संवर्धन के लिए सरकार ने 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' (ए0आई0बी0पी0) और 'रेनफेड एरिया डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम' पर बड़ी मात्रा में निवेश किया है। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक ए0आई0बी0पी के तहत 24 बड़ी तथा मध्यम सिंचाईं परियोजनाएं तथा 753 छोटी परियोजनाएं पूर्ण हो जायेंगी। इसके फलस्वरूप पांच लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। वर्ष 2008–09 के लिए इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये परिव्यय होगा। इसमें राज्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान 5550 करोड़ रूपये होगा। रेनफेड

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सभी 596 ग्रामीण जिलों में लागू किया जाएगा

वर्ष 2008–09 के आम बजट में अग्रगामी कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए आबंटित राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए श्री पी. चिदम्बरम ने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार की वैध गारंटी को पूरा करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी 596 ग्रामीण जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। शुरू में इसके लिए 16 हजार करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएगें।

वर्ष 2008–09 के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए 6,866 करोड़ रुपए आवंटित किए गये हैं जबकि पिछले वर्ष यह राशि 5,482 करोड़ रुपए थी।

इसी प्रकार राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए भी वर्ष 2008–09 में 7300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2007–08 में 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

वर्ष 2008–09 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। (पसूका)

एरिया डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम' के लिए वर्ष 2008–09 में 348 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- इस वित्तीय वर्ष में 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' रबी और खरीफ दोनों फसलों पर लागू रहेगी। वित्तमंत्री ने वर्ष 2008–09 के लिए इस योजना पर 644 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त पांच राज्यों के कुछ चयनित क्षेत्रों में 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' भी चालू रखी जायेगी। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
- 'राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन' के अन्तर्गत 18 राज्यों तथा दो संघ राज्यों के 340 जिले कवर किए जायेंगे । 276000 हेक्टेयर क्षेत्र हॉर्टीकल्चर के अन्तर्गत लाने का सरकार का लक्ष्य है। इस हेतु वित्तमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ।

भारत निर्माण

आगामी चार वर्षों (2009 तक), ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए 174000 करोड़ रुपये वाली **भारत निर्माण योजना** को बजट 2005–06 में प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2007–08 में इसके लिए बजटीय आवंटन 24,603 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2008–09 के लिए 31,280 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्तमंत्री ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति पर सन्तोष जताया तथा स्पष्ट किया कि योजना के तहत प्रत्येक दिन 290 अधिवासों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है तथा 17 अधिवासों को सड़कों से जोड़ा गया है। प्रत्येक दिन 52 गांवों में टेलीफोन सुविधा तथा 42 गांवों को विद्युतिकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त वर्ष के प्रत्येक दिन 4113 ग्रामीण आवासों का निर्माण हुआ है ।

आधारभूत संरचना

ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी अस्त्र 'ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड' (आर0आई0डी0एफ0) रहा है । यह राज्य सरकारों में बेहद लोकप्रिय योजना सिद्ध हुआ है। वित्तमंत्री ने वर्ष 2008–09 में इसके लिए 14000 करोड़ रुपये आवंटित किए । वित्तमंत्री ने इस बार इसके तहत एक अलग खिड़की ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए खोली। इसके लिए बजट में अलग से 4000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

- 'नेशनल हाइवे डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम (एन0एच0डी0पी0) के सभी चरणों की प्रगति सन्तोषजनक ढंग से हुई है। स्वर्णिम चतुर्भुज का 94.48 प्रतिशत निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा उत्तरी–दक्षिणी तथा पूर्वी–पश्चिमी कॉरीडोर का 23.36 फीसदी काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2007–08 में एन0एच0डी0पी0 के लिए बजट आवंटन 10867 करोड़ रुपये था जिसे बढ़ाकर वित्तमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 12,966 करोड़ रुपये कर दिया है।

शिक्षा

वास्तव में शिक्षा एवं स्वास्थ्य दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें प्रगति करके ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है । वित्तमंत्री ने इस बजट में शिक्षा पर बल देते हुए, शिक्षा क्षेत्र में हुए कुल आवंटन में 20 फीसदी वृद्धि की है ।

- सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तमंत्री ने 13,100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं । इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के लिए 4554 करोड़ रुपये का आवंटन भी प्रोत्साहक है ।
- अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए वित्तमंत्री ने चयनित 20 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है । इसके लिए 130 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में हुआ है ।
- बालिकाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से 410 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पिछड़े ब्लाकों में खोले जाएंगे। इस समय तक 1754 ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। ये विद्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी तथा अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
- 'मिड डे मील' योजना को इस वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक विस्तारित कर दिया गया है । इसके फलस्वरूप शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लाकों के 2.5 करोड़ अतिरिक्त विद्यार्थियों को दोपहर का खाना उपलब्ध हो सकेगा । इस योजना के तहत अब कुल 13.9 करोड़ विद्यार्थी आ गये हैं।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य क्षेत्र पर वित्तमंत्री ने पिछले वर्ष के मुकाबले 15 फीसदी बजटीय आवंटन बढ़ाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ नागरिक ही देश की अमूल्य सम्पत्ति होते हैं ।

- 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन', अप्रैल 2005 से आरम्भ की गई

अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए करों में छूट

आम बजट 2008–09 में बीज उत्पादन तथा कृषि उपकरणों के विनिर्माण आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट सूची में लाने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे कारोबारों में लगी कंपनियों को अब आतंरिक अनुसंधान में किसी भी प्रकार के व्यय पर 150 प्रतिशत भारित कटौती की अनुमति दी जाएगी। अभी तक यह छूट कुछ ही कंपनियों को प्राप्त है।

अनुसंधान की आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी कंपनियों को किये जाने वाले किसी भी भुगतान पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

पौधशाला में पौध लगाकर अथवा बुवाई करके उगाये गये पौधों से अर्जित आय को कृषि आय के समान कर में छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। (पसूका)

महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य की नियमित देखरेख तथा ग्रामीण लोगों तक विकेन्द्रित स्वास्थ्य सुविधाओं को सरलता से पहुंचाना ही मिशन का लक्ष्य है। मिशन के तहत अब तक 462000 आशा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वित्तमंत्री ने इस योजना के लिए 12050 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की घोषणा की है।

- पोलियो उन्मूलन के लिए वित्तमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में 1042 करोड़ रुपये परिव्यय की घोषणा की है ।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन – यापन कर रहे, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वर्ष 2008–09 में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारम्भ की गई है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक गरीब श्रमिक को 30000 रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जायेगा।

रोजगार

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के समुचित अवसर सृजित करना यू0पी0ए0 सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना रही है। वित्तमंत्री ने इस बजट में इस योजना कों विस्तारित किया है। इसके तहत अब देश के सभी 596 ग्रामीण जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसके लिए वित्तमंत्री ने 16000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है ।

पेयजल

ऐसे क्षेत्रों में जहां पेयजल की गुणवत्ता निम्न है या जलाभाव है, सरकार राजीव गांधी पेयजल मिशन द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रही है। इस मिशन में जलाभाव वाले क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को भी सम्मिलित किया गया है। इस मिशन के लिए वित्तमंत्री ने बजटीय आवंटन 65000 करोड़ (वर्ष 2007–08) से बढ़ाकर 73000 करोड़ रुपये कर दिये हैं ।

वित्तमंत्री ने **जेन्डर बजटिंग** की सर्वव्यापकता एवं विश्वसनीयता को स्पष्ट करते हुए, सदन को याद दिलाया कि महिलाएं जनसंख्या का आधी हिस्सा हैं तथा सभी मामलों में हमारी सहभागी हैं। वित्तमंत्री ने महिला एवं शिशु विकास को प्राथमिकता देते हुए 'महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय' को 7200 करोड़ रुपये आवंटन करने की घोषणा की। यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 24 फीसदी ज्यादा है ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वित्तमंत्री ने इस बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। कृषि ऋण माफी, ग्रामीण आधारसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि पर बजटीय आवंटन बढ़ाकर वित्तमंत्री ने देश के विकास में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को अहम माना है। यह बजट यू0पी0ए0 सरकार के 'समावेशी विकास' के लक्ष्य की दिशा में उचित कदम माना जा सकता है। यद्यपि वित्तमंत्री ने ग्रामीण किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयास किए हैं परन्तु अब सरकार के लिए समस्या के दीर्घकालीन समाधान के बारे में सोचना भी अपरिहार्य हो गया है। सरकार को कृषि लागत में कमी, फसलों के उचित मूल्य, किसानों तक समय पर सूक्ष्म वित्त तथा संस्थागत ऋण की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। जिससे कि किसान महाजनी के दुश्चक्र में न फंसे और मानसिक शान्ति से सुचारू रूप से जीवन यापन कर सकें ।

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में शोधकर्ता हैं।)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 5,500 करोड़ रुपए की मंजूरी

सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 28 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2008–09 में इस योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए (एनईआर सहित) आबंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

त्वरित विद्युत विकास परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। पारेषण और वितरण का खस्ता हाल इस क्षेत्र के लिए बाधक बना हुआ है। पारेषण और वितरण में भारी निवेश की जरूरत है लेकिन यह मूलभूत सुधारों से संबद्ध होना चाहिए। अतः पारेषण और वितरण के लिए एक राष्ट्रीय निधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बारे में ब्यौरा जल्दी ही तैयार हो जाएगा और घोषणा भी कर दी जाएगी। (पसूका)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख वरिष्ठ संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

श्रीमती सोनिया गांधी
माननीया अध्यक्ष
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन

डॉ. मनमोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री

श्रीमती रेणुका च
माननीया महिल
बाल विकास राज
(स्वतंत्र प्रभा

8 मार्च, 2008 को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी, माननीया अध्यक्ष, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कारों का वितरण

सामाजिक विकास के क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए इन महिलाओं को 15 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :

श्रीमती शैक शमशाद बेगम (आंध्र प्रदेश), **श्रीमती वनगुरी सुवस्था** (आंध्र प्रदेश), **श्रीमती शमशाद बेगम** (छत्तीसगढ़), **श्रीमती संध्या रमन** (नई दिल्ली), **श्रीमती निगत शफी पंडित** (जम्मू व कश्मीर), **श्रीमती कल्पना सरकार** (मध्य प्रदेश), **डॉ. (श्रीमती) रानी बांग** (महाराष्ट्र), **श्रीमती त्रिवेणी बालकृष्ण आचार्य** (महाराष्ट्र), **श्रीमती सैल्मिन लिंगडो** (मेघालय), **सुश्री सेनु सुबह** (नागालैंड), **श्रीमती कविता श्रीवास्तव** (राजस **श्रीमती डी. संथि** (तमिलनाडु), **श्रीमती मनमोहिनी देवनाथ** (त्रिपुरा), **श्रीमती नीता बहादुर** (उत्तर प्रदेश), **सुश्री पिंकी विरानी** (दिल्ली)

ये पुरस्कार निम्नलिखित सुविख्यात महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं :

- प्रशासनिक कौशल हेतु **देवी अहिल्याबाई होल्कर**
- व्यथित महिलाओं के उत्थान हेतु **कण्णगी**
- मातृत्व की भावना हेतु **माता जीजाबाई**
- जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान हेतु **रानी गैंदिल्यू जेलियांग**
- साहस हेतु झांसी की **रानी लक्ष्मी बाई**

THE INCOMPARAB

अनन्या

महिला महोत्सव

कार्यक्रम

8-9 मार्च, 2008
सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम
नई दिल्ली
में स्वास्थ्य प्रदर्शनी

8-10 मार्च, 2008
इंडिया गेट के मैदान
नई दिल्ली
में पोषण प्रदर्शनी

9 मार्च, 2008
सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल
'चमेली' (पूर्वाह्न : 9.30 बजे) तथा 'डोर'(अप
फिल्मों का प्रदर्शन
(पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निःशु

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

8 मार्च, 2008

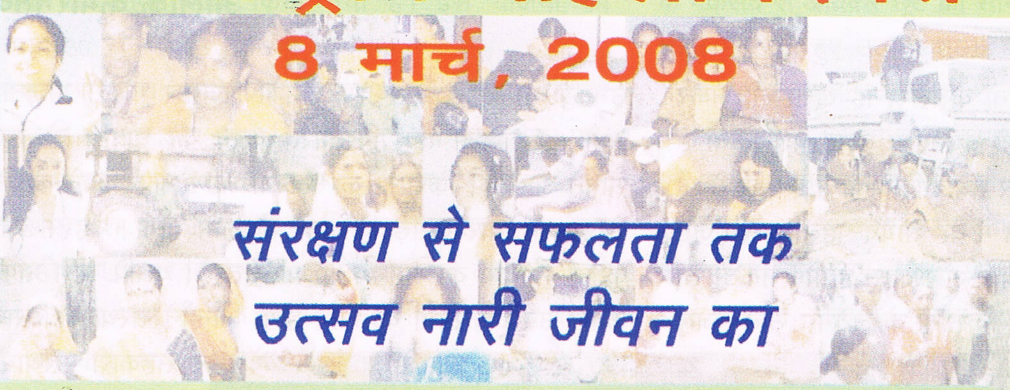

संरक्षण से सफलता तक उत्सव नारी जीवन का

सशक्त नारी सशक्त समाज

- 10 लाख से भी अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि – विश्व भर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या से भी अधिक।
- स्वयंसिद्धा के अंतर्गत 69,690 स्व-सहायता दल गठित। 90 प्रतिशत स्व-सहायता दलों के बैंकों में खाते हैं।
- भावनात्मक, मौखिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार के विरुद्ध महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 तथा नियम, 2006

सशक्त बालिका सशक्त नारी

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2008 के अवसर पर 'धनलक्ष्मी' स्कीम का शुभारंभ।
- देह-व्यापार पीड़ित महिलाओं को राहत, बचाव और पुनर्वास हेतु 'उज्ज्वला' स्कीम का शुभारंभ।
- प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं एवं बालकों के बीच विद्यमान अंतर को कम किया गया तथा स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भारी कमी।

सत्यमेव जयते

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

नए समाज की ओर

davp 46101/13/0061/0708

KH-4/08/1

केन्द्रीय बजट : किसानों के हित में

आलोक कुमार तिवारी

आम बजट 2008–09 किसानों के लिए नई खुशहाली लेकर आया है। वित्तमंत्री ने पहली बार ऐसा बजट पेश किया है जिसे किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे भी अधिक, आजाद भारत के इतिहास में यह शायद पहला आम बजट है जिस पर गांव की चौपालों में चर्चा और बहस होगी। संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को सहारा देने के लिए किसानों के लगभग साठ हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों को नया जीवन मिल सकता है। वित्तमंत्री ने यह कदम एक ऐसे समय उठाया है जब प्रति घंटे दो किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की योजनाओं की जरूरत आज से 3–4 साल पहले से थी। अगर ऐसा हुआ होता तो आज विदर्भ में किसानों को इस भयावह स्थिति का सामना न करना पड़ता। जून 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों का कब्रगाह साबित हो रहे विदर्भ का दौरा किया और 3750 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। किसानों की समस्या से खुद को असहज महसूस कर रहे प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों के हित में जो कदम उठाए गए हैं उनका प्रभाव छह माह बाद दिखाई देगा। लेकिन छह महीने बाद तो स्थिति और गंभीर हो गई। किसानों की आत्महत्या दर दोगुनी हो गई। तब हर आठ घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा था, लेकिन यह औसत अब हर चार घंटे में एक किसान की आत्महत्या का है।

प्रधानमंत्री ने किसानों की राहत के नाम पर ऐसा पैकेज तैयार किया था जो किसानों की अपेक्षा बैंकों के लिए अधिक मददगार था। आश्चर्य नहीं, जिन अनेक समितियों ने विदर्भ कृषि पैकेज के निष्प्रभावी सिद्ध होने का अध्ययन किया वे इसकी असफलता के मूल कारण को रेखांकित करने में असफल रही हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि अच्छी अर्थव्यवस्था का संबंध केवल औद्योगिक लाभों से ही नहीं है, बल्कि यह मानव समाज की रक्षा से भी जुड़ी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की 72 प्रतिशत आबादी को रोजगार देने वाले कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर संप्रग सरकार ने कृषि के गंभीर संकट का समाधान करने की वास्तविक पहल की है। किसानों के अतिरिक्त चिंदबरम ने अपने इस बजट के जरिए लाखों भूमिहीन श्रमिकों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश है। उनकी यह कोशिश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सभी 596 जिलों तक विस्तारित करने की घोषणा के रूप में सामने आई है। किसानों का बकाया ऋण माफ करने के निर्णय से लगभग चार करोड़ किसानों को लाभ होगा। यह संख्या पूरे कृषक समुदाय का लगभग 40 प्रतिशत है। यद्यपि ऋण माफी से केवल उन्हीं किसानों को लाभ होगा जिन्होंने संस्थागत संस्थानों, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थानों से ऋण लिया, लेकिन फिर भी यह एक अच्छी शुरूआत है।

एक बात और सोचनी चाहिए थी कि जिन किसानों ने आढ़तियों, साहूकारों और महाजनों से ऋण लिया है उनका क्या होगा क्योंकि वास्तव में शोषण उन्हीं का होता है। सरकार ने जो कर्ज माफी की घोषणा की है इससे सरकारी खजाने पर 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कर्जदार किसान नया ऋण भी ले सकते हैं। सीमान्त किसान और छोटे किसानों के अलावा अन्य किसानों का 25 प्रतिशत कर्ज माफ कर दिया गया है। इसके लिए उन्हें एक मुश्त बकाया 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। ऋण भुगतान माफी का प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद ये किसान बैंकों से नया ऋण भी हासिल कर सकते हैं। अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि बैंकों के ऋण माफी की भरपाई किस प्रकार की जाएगी। सरकार ने किसानों की ऋणग्रस्तता के मसले पर विचार करने के लिए आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने इस बारे में कई सुझाव दिए थे हालांकि उनका कहना था कि कर्ज माफी जैसे उपायों से बचना चाहिए। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि यह फैसला सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करने के बाद किया गया है। इस कदम से लगभग 3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। योजना के तहत सीमांत किसान उन्हें बताया गया जिनके पास एक हेक्टेयर तक जमीन है जबकि छोटे किसान वे हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर तक जमीन है।

सरकार ने अन्य किसानों के लिए एक बारगी निपटान योजना (ओ.टी.एस.) की घोषणा की है। इसके तहत उन्हें 25 प्रतिशत की छूट हासिल होगी बशर्ते वे अपने बकाया कर्ज के 75 फीसदी का भुगतान कर दें। बकाया ऋण पर ओ.टी.एस. रियायत देने से राजकोष पर 10,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी समितियों की ओर से 31 मार्च 2007 तक दिए गए सभी कृषि ऋणों और जिनका भुगतान 31 दिसम्बर 2007 तक होना था उन सभी को इस स्कीम के तहत कवर किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक हो जाएगा।

प्रतिकूल मौसम व अन्य वजहों से फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में सीमांत और छोटे किसान बैंकों को कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं होते है। यही वजह है कि कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में देश के कई हिस्सों में किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। यही नहीं, अगर किसान पहले से लिए कर्ज को नहीं चुका पाते हैं, तो उसे आगे भी बैंक से कर्ज नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में कई बार किसानों को सूदखोरों के चंगुल में मजबूरी में फंसन्ना पड़ता है, जो काफी उच्च ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। एनएसएसओ की ओर से 2002 में कराए गए ऑल इंडिया डेट ऐंड इन्वेस्टमेंट से पता चला है कि किसानों को गैर संस्थागत स्रोतों से मिलने वाले कर्ज 1951 में जहां 92.7 फीसदी था, वही 1991 में गिरकर 30.6 फीसदी पर आ गया, जबकि 2002 में इसमें बढ़ोत्तरी देखी गई और यह 38.9 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बजट में कर्ज माफी से खुश है किसान

कर्ज माफी और एक बार कर्ज चुकाने पर छूट से करीब तीन करोड़ छोटे, जबकि एक करोड़ सीमांत किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही कर्ज अगर माफ हो गया, तो किसानों को नया कर्ज भी आसानी से मिल जाएगा। हालांकि कर्ज माफी से राजस्व पर पड़ने वाले असर के बारे में सरकार पर यह दबाव होगा कि वह किसानों के लिए फंड जमा करने के उपाय सोचे। बैंकों को कहा गया है कि इससे उनका 60,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई तीन साल में कर दी जाएगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कोआपरेटिव संस्थाएं ही किसानों को सर्वाधिक ऋण मुहैया कराती हैं, जिनका प्रतिशत करीब 35 प्रतिशत है। इसके साथ ही अन्य बैंकों की तुलना में सर्वाधिक नुकसान भी इन्हीं का होता है, क्योंकि इसे किसान चुका नहीं पाते।

विशेषज्ञ आर.स्वामीनाथन ने इस बजट को कृषि के हित में बताया है, क्योंकि वित्तमंत्री ने किसानों के कर्ज माफी जैसा उचित कदम उठाया है। इसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ाने के मकसद से आयकर छूट की सीमा बढ़ाई गई है, वहीं महंगाई को ध्यान में रखते हुए उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है।

बजट में ग्रामीण इलाकों में बैंकों के विस्तार की योजना बनायी गयी है। प्रत्येक व्यावसायिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आम लोगों व ग्रामीणों को 250 खातों की सुविधा और बैंकों का अपने कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के लिए बैंकिंग सेवाओं के प्रसार के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में वित्तीय संलग्नीकरण एजेंडा जिसके तहत सभी समूहों तक एक निर्धारित समय में सस्ती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। स्टेट बैंक के नेतृत्व में सरकारी बैंक देश भर में अपनी सेवाओं की पूरी पहुंच पर काम रही हैं। अब निजी और विदेशी बैंकों को राज्यों और गांव में प्रसार पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें संपूर्ण वित्तीय संलग्नीकरण पर जोर देना चाहिए। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सभी अनुसूचित बैंकों को कुछ सरकारी बैकों को अनुसरण कर अपना प्रसार करना चाहिए ताकि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की सभी जरूरतें पूरी हो जाएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह और कर्ज की आवश्यकताएं। यूनियन बैंकों के अध्यक्ष का कहना है कि ये कदम वित्तीय संलग्नीकरण समिति के सुझावों का एक हिस्सा है। बैंक अपने कारोबार के प्रसार में जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनमें यह है कि गरीब ग्रामीण एक दिहाडी कमाने वाला आदमी होता है।

स्मार्ट कार्ड की मदद से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए बैंकों के पूर्व कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जाएगा। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी में संपूर्ण संलग्नीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। गुजरात, केरल और

कर्नाटक ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं और एक साल में वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ उत्तरांचल आदि राज्यों को इस दिशा में कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय संलग्नीकरण को बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री ने नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी के प्रसार करने की भी अनुशंसा की है। इन तीनों बैंकों के स्रोतों को बढ़ाने के लिए इन्हें प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में डाला जाएगा। इसके लिए नाबार्ड को 5000 करोड़, सिडबी को दो किश्तों में 2000 करोड़ और एनएचबी के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ताकि ये बैंक ग्रामीण और अर्ध–सरकारी क्षेत्रों में अपने प्रसार को बढ़ा सकें।

इस बजट में असंगठित क्षेत्र कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने की कुछ कोशिश की गई है। इस उपेक्षित किन्तु बहुत बड़े वर्ग के लिए वित्तमंत्री ने बीमा और स्वास्थ्य योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नाम की एक नई योजना शुरू की जा रही है। आगामी एक अप्रैल से यह योजना लागू हो जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए होगी। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के बीपीएल कामगार और उसके परिवार को तीस हजार रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना को भी दुरूस्त किया जा रहा है। पहले साल में 30 सितम्बर तक भारतीय जीवन बीमा निगम एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इस सुविधा के लिए जीवन बीमा निगम को एक हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की है।

देखा जाये तो यह बजट आम आदमी के साथ–साथ किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः आम जनता के साथ–साथ किसानों को इस आम बजट का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कृषि में 25000 करोड़ का निवेश भले ही कृषि की विकास दर दोगुनी करने का भारी भरकम प्रयास नजर आए, लेकिन 29 राज्यों के लिए औसत समर्थन एक हजार करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। इससे भी अधिक, जिस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा वह यह है कि कृषि संकट का विकास दर से कोई लेना–देना नहीं है। यह संकट कृषि की स्थिरता में आ रही गिरावट और किसानों की अर्थव्यवस्था बिगड़ते जाने से संबंधित है। राज्य कृषि से संबंधित कोई भी योजना शुरू क्यों न करें, तब तक कुछ विशेष नहीं हासिल किया जा सकता जब तक कृषि से होने वाली आय वास्तव में ऊपर न जाए। पंजाब को देश में खाद्यान्न उत्पादन का गढ़ माना जाता है। यहां कृषि से संबंधित समस्त ऋणग्रस्तता लगभग 26000 करोड़ रुपये है। यह राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए आवंटित धन से भी अधिक है। फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए कितनी भी बड़ी राशि कारगर नहीं हो सकती जब तक किसानों की आय नहीं बढ़ाई जाती और बर्बादी के दौर से गुजर रहे प्राकृतिक संसाधनों की पुनर्स्थापना नहीं की जाती। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 14 सूत्रीय जो प्रस्ताव घोषित किया है और इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया है। उसका तभी अर्थ है जब टिकाऊ कृषि और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। 2008 के आर्थिक सर्वेक्षण में रासायनिक खादों के अत्यधिक इस्तेमाल से जमीन की सेहत को हो रहे भयानक नुकसान का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट में इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई।

उर्वरकों के इस्तेमाल के मामले में खेती के परंपरागत तौर तरीकों की ओर लौटने की अत्यधिक आवश्यकता है और जमीनी हकीकत को समझने की भी आवश्यकता है। बेहतर होता कि सरकार कर्ज माफी के बजाय टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने की व्यापक कार्ययोजना पेश करती ताकि किसानों के ऋण के जाल में फंसने का सिलसिला समाप्त होता और सरकार को हर चार–पांच वर्ष बाद उनके बकाया ऋण माफ करने की जरूरत शायद न पड़ती। पुराने ऋणों का माफ करना बेशक सही कदम है पर इसके साथ ही सरकार को ऐसी योजना भी पेश करनी चाहिए जिससे कृषि का ढांचा मजबूत हो। जैसे किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी किसानों को सीधे प्रदान की जा सकती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार का कर्ज माफी का कदम दोषपूर्ण है, बेशक यह प्रभावी कदम है लेकिन जरूरत है किसानों द्वारा इसके उचित उपयोग की, जो संभव नहीं लग रहा है। क्योंकि इससे किसानों में ऋण लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी और किसान आलसी हो जाएंगे। जिस दिन बजट पेश हुआ हमारे पड़ोसी ने हमसे पूछा कि क्या अब कर्ज लिया जाये तो नहीं माफ होगा। यह बात साफ–साफ किसानों और लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि व किस तरह से सरकार की योजनाओं का दुरूपयोग करते हैं। सरकार कब तक आपके पीछे लगी बैशाखी लेकर खड़ी रहेगी, अपने पैरों पर चलना सीखिए और आत्मनिर्भर होइए।

(लेखक लघु उद्योग पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं।)

ई–मेलः alaktiwari 2004 @yahoo.com

शहर से लेकर गांवों तक रेल बजट का असर

नवीन कुमार

रेल बजट भी उसी तरह की पहचान बनाता है जिस तरह आम बजट। अन्तर सिर्फ इतना है कि यह सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की आय–व्यय का लेखा जोखा रखता है और आम बजट पूरी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखता है। यह बात इसी से साफ हो जाती है कि कुछ सालों पहले यह आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था। लेकिन 1921 से इसे आम बजट से अलग कर दिया गया। हर साल रेल बजट पेश करते समय रेलमंत्री यह ध्यान रखता है कि इसमें आम जनता को ध्यान में रखा जाये और खास कर के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है।

वर्ष 2008–09 का रेल बजट रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लगातार रिकार्ड बनाते हुए 5वीं बार कुछ अपने ही अनोखे अंदाज में शेरों शायरी के ही साथ पेश किया और इस बार भी बजट से ज्यादा आकर्षण, लालू का खुद का अपना भाषण रहा। हालांकि अपने बजट पर आपत्ति जताने वालों को उन्होंने यह बताया कि समाज का हर तबका संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रेल को दुधारू कामधेनु की संज्ञा दे डाली, आखिर क्यों न दें उन्होंने इस क्षेत्र में बादशाहत जो हासिल कर ली है। जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम लालू ने कर दिखाया। पूर्व रेलमंत्री और उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इसे एक राजनीतिक और आंकडों का खेल बताते हुए यह भी कहा कि बजट भाषण काफी लंबा और उबाऊ है। हालांकि रेल मंत्री ने गांवों से लेकर शहरों तक सभी का ध्यान रखा है।

बजट में रहा 25,000 करोड़ रुपये का असंभावित अतिरेक

रेलवे ने वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान लाभांश पूर्व 2500 करोड़ रुपये का अतिरेक हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया है, जबकि परिचालन अनुपात 76.3 प्रतिशत हो गया है। यह रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। इस योजना के तहत 2008–09 में 37,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 21 प्रतिशत अधिक है। रेलवे का शुद्ध राजस्व 18416 करोड़ रुपये होने और लाभांश भुगतान के बाद शुद्ध अतिरेक 13,534 करोड़ रुपये होने की संभावना है। साथ ही रेलवे का फंड बैलेंस वर्ष के अंत तक 20,483 करोड़ रुपए होने की संभावना है जो बजट लक्ष्य की तुलना में 27 प्रतिशत होगा। यह लाभ रेल मंत्री की अपनी कुशलता को दर्शाता है, और इस बात को भी साबित कर देता है कि कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे तो सफलता उसी के कदम आकर चूमेगी।

मालभाड़े और यात्री भाड़े में छूट

रेलमंत्री ने इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ उद्योगों का भी ध्यान रखा और रेल तथा माल दोनों भाड़ों में कटौती करने की घोषणा की। रेलमंत्री ने पार्सल और सामान यातायात की वर्तमान आधार दरों को यथावत रखने का भी ऐलान किया। हालांकि उन्होंने डीजल पेट्रोल मालभाड़े में लगभग पांच प्रतिशत और फलाई ऐश के मालभाड़े में 14 प्रतिशत की कमी करने की घोषणा की। डीजल और पेट्रोल मालभाड़े में कमी के पीछे इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती मुद्रास्फीति से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि मालभाड़े में आयी कमी से परिवहन लागत में भी कमी आएगी। इससे जो मुद्रास्फीति की मार झेलनी पड़ रही है, उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी। अंग्रेजों के समय 16 अप्रैल 1853 को पहली बार मुंबई से ठाणे तक 21 मील की दूरी तय करने वाली भारतीय रेल आज अपने विकास के नए मुकाम पर है। वैसे भी एशिया में रेलवे की दास्तान भारत से ही शुरू होती है। आज 63000 किलो मीटर की दूरी तय करने वाला भारतीय रेल विश्व के दूसरे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में शुमार है। अपनी क्षमताओं के विस्तार के संदर्भ में फ्रेट कारिडोर और नये लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण पर एक बड़ी राशि खर्च होगी।

रेल परिचालन अनुपात में सुधार एक बड़ी उपलब्धि

रेलवे के रिकॉर्ड लाभ से साफ है कि 2007–08 में उसका परिचालन अनुपात बेहतर हो गया है। 2006–07 के 78.3 प्रतिशत की तुलना में इस बार परिचालन अनुपात 2.4 प्रतिशत अंक सुधरकर 76.3 प्रतिशत हो गया है। परिचालन अनुपात रेल की क्षमता का एक मापक है। तीन साल पहले यह अनुपात 90 प्रतिशत से ज्यादा हुआ करता था। आगामी बजट में परिचालन अनुपात बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसमें कहा गया है कि अगले साल यह अनुपात 81. 4 प्रतिशत हो जाएगा। दरअसल छठे वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के चलते वेतन में वृद्धि के मद्देनजर यह आशंका जताई जा रही है। परिचालन अनुपात प्रति 100 रुपये पर कमाए गए लाभ को दर्शाता है। अगर 76.3 प्रतिशत परिचालन अनुपात है तो इसका मतलब होता है कि रेलवे ने 100 रुपये में 23.7 रुपये का लाभ कमाया। इस हिसाब से पिछले साल रेल को प्रति 100 रुपये पर 21.3 रुपये का फायदा हुआ।

2007–08 में रेलवे में 14.5 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इस साल प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 1.27 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि पिछले साल 1.02 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति

कर्मचारी राजस्व कमाया गया था। रेलमंत्री लालू प्रसाद के मुताबिक पिछले चार साल में माल ढुलाई में 23 करोड़ 30 लाख टन वृद्धि हुई। इससे 1400 करोड़ का लाभ अर्जित हुआ। यह वैगन टर्नअराउंड और ज्यादा लदान बढ़ने से संभव हुआ है। विश्लेषकों के मुताबिक अब गतिशीलता को बढ़ाने और टर्नअराउंड समय को कम करना संभव नहीं है। पिछले तीन साल में वैगन टर्नअराउंड टाइम साढ़े पांच दिन रहा है। वर्ष 2004–05 में यह सात दिन था। एक विशेषज्ञ ने कहा कि डिब्बों के फेरे बढ़ाने की गुंजाइश है। हालांकि मौजूदा टाइम बहुत अच्छा है और इसमें अचानक बहुत कमी नहीं की जा सकती।

सार्वजनिक क्षेत्र भी हुआ मालामाल

रेल मंत्रालय के नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने वर्ष 2006–07 में 8758 करोड़ का कारोबार किया था। इस लिहाज से इस कारोबार में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, पिछले साल के कुल लाभ 818 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह लाभ 1368 करोड़ तक पहुंच गया। 2006–07 में इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ने 1543 करोड़ रुपये का करोबार किया था और उसे 76 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, इरकान ने मलेशिया में रेल लाइन के निर्माण के तहत 4000 करोड़ रुपये भी जुटाए है। कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने 3000 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जो पिछले साल 2489 करोड़ था। इस तरह कंपनी को 526 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। दूसरे उपक्रम इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन ने 2284 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। बजट अनुमान के मुताबिक रेल योजनाओं के पोषण के लिए आई.आर.एफ.सी. को 6907 करोड़ रुपये जुटाने है, जबकि विभिन्न रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड 293 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगा। रेल के 9 उपक्रमों ने समेकित रूप से काफी पैसे जुटाए हैं और अपनी अलग पहचान भी विकसित की है।

अगले साल शुरू होगा फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण

रेलमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि पूर्वी और पश्चिम फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का कार्य वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान शुरू हो जाएगा। पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना लुधियाना से कोलकाता के निकट दानकोनी तक और पश्चिमी कॉरिडोर की स्थापना दिल्ली से मुम्बई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक की जाएगी। इस परियोजना के तहत कुल 2743 किमी० लम्बी रेल लाइन बिछाई जाएगी। दोनों परियोजनाओं को कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुकी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 28030 करोड़ रुपये है और इसके लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड नाम से एक विशेष उद्देशीय कोष का गठन किया जा चुका है। फ्रेट कॉरिडोर के दौरान 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तैयार होने के बाद कोयला तथा लोहा की ढुलाई करने वाले और बंदरगाहों को जोड़ने वाले 20,000 किमी० लम्बे व्यस्त नेटवर्क पर दबाव काफी कम होने का अनुमान है। रेलवे को इससे आमदनी की उम्मीद है।

रेल की नौकरी दे कुलियों पर करम

रेलवे की नौकरी बांट कर कुलियों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। ये कुली इस मांग को कई बार उठा चुके हैं, यह ध्यान रहे कि केवल लाइसेंसधारी कुलियों को ही रेलवे में गैंगमेन और चतुर्थ वर्ग के पदों पर नौकरी देने का ऐलान किया गया है। रेलवे में इन सभी 18 हजार पदों पर भर्ती होनी है। कुलियों पर रहम करते हुए पूर्व रेलमंत्री रामविलास पासवान ने अपने पद पर रहते हुए इन्हें फ्री पास देने की घोषणा थी उसी का जवाब लालू ने कुछ इस ढंग से दिया है।

रेलवे सुरक्षा बल में जवानों के 5700 पद खाली पड़े हैं। जबकि उप निरीक्षकों के 993 पद खाली हैं। इन्हें भी भरने की घोषणा रेलमंत्री ने की है।

10 गरीब रथ, 53 नई रेलगाड़ियां, 16 का विस्तार

इस बार के रेल बजट में 10 गरीब रथ, 53 नई रेलगाड़ियां, 16 गाड़ियों के विस्तार और 11 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि का ऐलान किया गया है। जिससे आम जनता लाभान्वित होगी। नई गरीब रथ में जयपुर चंडीगढ़ के बीच सप्ताह में तीन दिन, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच तीन दिन, बेंगलूर कोचुवेलि के बीच तीन दिन, रांची दिल्ली दो दिन, जम्मूतवी काठगोदाम साप्ताहिक, यशवंतपुर पुदुचेरी तीन दिन, जबलपुर मुंबई दो दिन, दिल्ली जयनगर दो दिन तथा पुणे और नागपुर के बीच सप्ताह चलने वाली रेल गाडियां शामिल हैं।

11 गाड़ियों के फेरे में वृद्धि की गई है जिनमें नई दिल्ली–जम्मू राजधानी, सहरसा–अमृतसर गरीब रथ, बारीपदा–भुवनेश्वर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से हावड़ा, भुवनेश्वर से नई दिल्ली राजधानी, अहमदाबाद–पटना, तथा निजामुद्दीन–तिरूवनंतपुरम राजधानी आदि गाडियां शामिल हैं।

रेल बजट एक नजर में

हर बार की तरह इस बार भी बजट में घोषणाओं का अम्बार लगा रहा। हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की गई है। यह बात अलग है कि यह घोषणाएं किस सीमा तक अपने अंजाम तक पहुंचती है। फिलहाल बजट के दौरान तो यही देखा जाता है कि रेलमंत्री ने कितनी घोषणाएं की, खासकर के जब राजनीतिक माहौल गर्म हो।

रेल हुआ मालामाल

- 37,500 करोड़ की सबसे बड़ी वार्षिक योजना के रूप में यह उभरकर सामने आयी।

- 2007–08 में 25 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा।
- परिवहन राजस्व में 72755 करोड़ रुपये की आय।
- अगले वर्ष 82000 करोड़ रुपये की आय का रखा लक्ष्य।
- पांच वर्ष में कुल 60 हजार करोड़ रुपये की कमाई।

यात्रियों का भी सफर हुआ सुहाना

- 50 रुपये तक के किराये में एक रुपये की कमी का ऐलान।
- लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर कोच में कुल 6 प्रतिशत कमी की घोषणा।
- एसी–1 में 7 और एसी–2 में 4 प्रतिशत की कमी।
- वरिष्ठ महिलाओं, एड्स रोगियों को 50 प्रतिशत की छूट।
- स्नातक स्तर तक की छात्राओं को फ्री पास।

कुलियों का भी रहा बोलबाला

- 18000 लाइसेंसी कुली रेलवे कर्मचारी बनेंगे।
- कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ, कर्मचारियों को 70 दिन का बोनस मिलेगा।
- 5700 आर.पी.एफ. जवानों की नियुक्ति होगी।
- 993 उप निरीक्षकों को भी नियुक्त किया जाएगा।
- चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति परीक्षा उर्दू में भी होगी।

ग्राहक सुविधा में भी हुआ इजाफा

- मोबाइल पर मिलेगी टिकट बुकिंग की सुविधा।
- वेटिंग टिकट में भी ई–टिकटिंग की व्यवस्था।
- आन लाइन डिस्प्ले बोर्ड लगाने की घोषणा तथा जन उद्घोषणा प्रणाली।
- मल्टी लेबल पार्किंग, माड्यूलर शौचालय बनेंगे।
- स्वचालित सीढ़ियां और ऊंचे प्लेटफार्म बनाने का ऐलान।
- मदर चाइल्ड हेल्थ एक्सप्रेस शुरू होगी।

उद्योग भी रहा फायदे में

- पेट्रोल और डीजल की भाड़ा दरों में 5 फीसदी कमी की घोषणा।
- फ्लाई ऐश की ढुलाई दरों में 14 प्रतिशत कमी की घोषणा।
- पूर्वोत्तर तक माल भाड़े में 6 प्रतिशत की कमी।
- केरल में नई कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा।
- रेलवे बोर्ड में इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप बनेगा।
- विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का भी काम होगा तेज।

महिलाओं पर मेहरबान

- साठ साल से अधिक उम्र की महिलाओं को सभी श्रेणियों के आरक्षित टिकट पर पचास फीसदी की छूट का ऐलान।
- सात बोगियों वाले मदर चाइल्ड केयर ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव।
- स्नातक की छात्राओं और 12वीं में पढने वाले छात्रों को द्वितीय श्रेणी में निशुल्क रेल यात्रा की छूट दी जाएगी।
- आर.पी.एफ. की नियुक्ति में महिलाओं के लिए पांच प्रतिशत और उप निरीक्षकों की नियुक्ति में दस फीसदी पद आरक्षित होंगे।

कुल मिलाकर कहें तो इस बजट में रेलवे समेत सभी शेयरधारकों का रेलमंत्री ने ख्याल रखा है। साथ ही बजट में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। अभी कुल सफर करने वाले यात्रियों में से 40 फीसदी रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रेलवे और बढ़ाना चाहता है। हर संगठन की यह चाहत होती है अगर उसे मुनाफा हो रहा है तो इसका लाभ सब को मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्री किराए को स्थिर रखा है। इसके बावजूद राजस्व में 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊंची श्रेणी की यात्रियों से होने वाली आय और उनके सफर करने के आंकडे में 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। वातानुकूलित श्रेणी के लिए किराये में कमी किए जाने से रेलवे कड़ी प्रतिस्पर्द्धा पेश कर सकेगा। मालवाहक गलियारे को लेकर भी सही कदम उठाए गए है और मैं आशा करता हूं कि पिछले बजट में जिन गलियारों की पहचान की गई थी, उसे लेकर स्थिति और साफ हुई होगी। यात्रियों को ध्यान में रखकर कई सारे कदम उठाए गए हैं। जिनमें स्टील की बाडी वाले कोच, बड़ी हुई सीटें, डिसपोजबेल शौचालय का निर्माण शामिल है। साथ ही साथ इस बजट से जहां एक ओर उम्मीद से ज्यादा बचत की बात की वहीं दूसरी ओर बेहतर परिचालन अनुपात को भी सामने रखा। कुल मिलाकर भारतीय रेल के वर्ष 2007–08 के वित्तीय नतीजे और 2008–09 के लिए घोषणा बजट दोनों ही हर पहलू पर लाजवाब है। बजट से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय रेल विकास की पटरी पर दौड़ रही है और ऐसे प्रयास जारी रहे तो दौड़ती रहेगी। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पिछले तीन वर्ष भारतीय रेल के स्वर्णिम वर्ष रहे हैं।

(लेखक रेल विभाग में वरिष्ठ पद पर कार्यरत है।)
ई–मेलः tiwari222@yahoo.co.in

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

जहरीले होते खाद्य पदार्थ

नीरज कुमार वर्मा

रसायनों, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के चलते हमारे सभी खाद्य पदार्थ विषैले हो रहे हैं। यहां बात पेयपदार्थों की नहीं की जा रही है बात हर घर में प्रयोग किये जाने वाले फलों, सब्जियों, मांस–मछलियों, दूध और अन्य सभी खाद्य पदार्थों की जा रही है। कोक पेप्सी पर तो कई बार अंगुलियां उठीं, कुछ दिन तक हाय तौबा मचा और स्थिति जहां के तहां।

अपने देश में अब तक लगभग 190 प्रकार के रसायनों, कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का पंजीयन हुआ है जिनमें से केवल 50 दवाओं की बर्दाश्त क्षमता से हम भिज्ञ हैं। शेष के बारे में हम अब भी अंधेरे में हैं। इनके अलावा नकली दवाओं की लम्बी सूची है। हमारा ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 नकली दवा बनाने वालों के प्रति कठोर है। शायद इसलिए मासेलकर समिति की सिफारिश पर संसद के आगामी बजट में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। डी.डी.टी., बी.एच.सी., इण्डोसल्फान, डेलड्रीन जैसे रसायन कृषि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में धड़ल्ले से प्रयोग किये जा रहे हैं, जो बाहर प्रतिबन्धित हैं। अपने देश में कुछ 40 ऐसी दवाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में प्रयोग में लाई जा रही हैं, विदेशों में प्रतिबन्धित हैं। हमारे देश में कीटनाशकों का प्रयोग जिस प्रकार लापरवाही से किया जा रहा है उससे न केवल प्रयोगकर्ता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है,अपितु हवा, पानी और सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ विषैले हो रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मां के दूध में डी.डी.टी. की मात्रा मनुष्य के शरीर के लिए निर्धारित सामान्य मात्रा से 77 गुना अधिक हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिखित मानक कमजोर हैं, कुछ रसायनों, धातुओं के मामलों में यूरोपीय देशों की तुलना में यह ज्यादा कठोर हैं। पर मानकों का अनुपालन या निगरानी न होने के कारण कम्पनियां लापरवाह बनी हुई हैं। जैसे कि डिब्बा बंद पेय जल के लिए भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा प्रति लीटर पानी में तांबे की मात्रा 0.5 मिली ग्रा., फ्लोराइड की 1 मिली ग्रा. और सल्फेट की 200 मिली ग्रा. तय की गई है। जबकि यूरोपीय देशों में तांबे की मात्रा 2 मिली ग्रा. फ्लोराइड की 1.5 मिली ग्रा. और सल्फेट की 250 मिली ग्रा. तय की गई है। इसके बावजूद तमाम मानकों का, बोतल बंद पानी वाली कंपनियां अनदेखी करती रही हैं। कीटनाशकों के प्रयोग के कारण सिंचाई में प्रयुक्त पानी विषैला हो रहा है। यही विषैला पानी भूगर्भ के पानी को विषैला कर रहा है। पानी के विषैले होने के कारण जमीन की उर्वरता घट रही है। पानी में जहर घुलने के कारण उसमें रहने वाले तमाम उपयोगी जीव–जन्तु जैसे घोंघा, सीप, मेंढक और छोटी–छोटी मछलियों की प्रजातियां हमेशा के लिए समाप्त हो रही हैं। कुछ जीव–जन्तु ऐसे होते हैं जो हानिकारक कीड़ों को खाकर हमें लाभ पहुंचाते हैं पर रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से ऐसे जीव समाप्त हो रहे हैं। गांव से संबंध रखने वाले इस तथ्य से भिज्ञ हैं कि बरसाती पानी में, नदी–नाले या तालाबों में जो सैकड़ों प्रकार की छोटी मछलियां देखी जाती थीं, वे लुप्त हो गई हैं।

राष्ट्रीय मानक ब्यूरों के वैज्ञानिकों ने अभी हाल में गोमती नदी की

किसानों को लघु अवधि के ऋण सात फीसदी ब्याज दर पर

वित्त मंत्री श्री पी चिदमबरम ने संसद में 2008–09 का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए बैंक ऋण बढ़ाकर 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ कमियों के बावजूद कृषि ऋण में अच्छी वृद्धि हुई है और इसके लिए वाणिज्यक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इन बैंकों ने किसी भी वर्ष के दौरान करीब 75 से 79 प्रतिशत कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य हासिल किया, इसलिए वर्ष 2008–09 के लिए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अल्पावधिक फसल ऋण 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर संवितरित किए जाते रहेंगे और 2008–09 में ब्याज सहायता के लिए 1600 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कृषि में निवेश की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब कृषि में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2003–04 में जीडीपी के सापेक्ष कृषि में सकल पूंजी निर्माण 10. 2 प्रतिशत था जो 2006–07 में बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए इसे 16 प्रतिशत करने की जरूरत है।

सरकार ने वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है और वर्ष 2008–09 में इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए 348 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने अतिरिक्त 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य के लिए 2008–09 मे 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया। (पसूका)

मछलियों की जांच में पाया कि कारखाने के विषैले कचरे और गंदे नालों के रासायनिक अवशेषों के गोमती नदी में मिलने के कारण मछलियों का डी.एन.ए. खतरे में पड़ गया है। विगत दो–तीन वर्षों से गर्मियों के दिनों में गोमती नदी की मछलियां अपने आप मरी देखी जा रही हैं। घरों से पार फुटकने वाली गौरैया लुप्त होने के कगार पर हैं। जाहिर है कि पशु पक्षी भी विषैले खाद्य पदार्थों और वनस्पतियों को खा रहे हैं। डिक्लोफनक नामक दवा से जानवरों के मांस जहरीले हो गये हैं। मृत जानवरों के मांस खाने से गिद्धों के गुर्दे नष्ट हो गये। इसका परिणाम यह हुआ कि अब गिद्ध लुप्त हो गये हैं। वन शोध संस्थान देहरादून के संग्रहालय से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अब तक पक्षियों में से इस सदी के अंत तक प्रति माह लगभग 10 प्रजातियां लुप्त होने लगेंगी। अर्थात प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी।

हमारे देश के ज्यादातर किसान अशिक्षित हैं। तमाम कीटनाशकों की खरीद और प्रयोग वे दूसरे किसानों से पूछकर करते हैं। कृषि अधिकारियों की सेवाएं गांव–गांव में उपलब्ध नहीं हैं, बिना जांचे परखे कीटनाशकों का चयन किया जाता है। पानी और उनमें मिलाए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा उचित मात्रा में नहीं रखी जाती है। दवाओं के साथ दिये गये निर्देशों को ज्यादातर किसान पढ़ नहीं पाते। अंदाज से घोल तैयार किए जाते हैं। छिड़काव के दौरान जरूरी सावधानियां नहीं बरती जातीं है। सब्जियों के ऊपर कीटनाशकों को छिड़कने के कितने दिनों के बाद बाजार में लाया जाना चाहिए, इसका ख्याल नहीं रखा जाता। किसान को अपना मुनाफा या अपनी आवश्यकता जरूरी लगती है न कि दूसरे का स्वास्थ्य। फलों को प्राकृतिक ढंग से पकने नहीं दिया जाता है। जल्द मुनाफा कमाने के चक्कर में उन्हें कार्बाइड से पकाया जाता है। आम और पपीते में कार्बाइड बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। केले पकाने में क्लोरोथाइल फास्फोनिक एसिड का प्रयोग कर उसे जहरीला बना दिया गया है। इस प्रकार सब्जियों और फलों के छिलकों में घुला कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंच रहा है।

दुधारू पशुओं के स्तनों में आक्सीटोक्सिन सुई लगाकर दूध निकाला जा रहा है जो हारमोन्स असंतुलन, गुर्दे की खराबी, कैंसर और बच्चों में मानसिक विकृतियां पैदा कर रहा है। यद्यपि पशुक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12 के अनुसार यह अपराध है, फिर भी ऐसे अपराधों को प्रायः होते हुए देखा जा सकता है। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2250 गायों और भैंसों के दूध का परीक्षण करने पर पाया कि 85 प्रतिशत जानवरों में कीटनाशकों की मात्रा भारतीय ब्यूरो द्वारा निर्धारित मात्रा से ज्यादा है। खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की अधिकता के कारण हमारा निर्यात प्रभावित हो रहा है। जर्मनी ने भारतीय चाय में कीटनाशकों की मात्रा ज्यादा होने के कारण आयात पर रोक लगा दी है। वर्ष 2004 में महाराष्ट्र के अंगूरों में ज्यादा मात्रा में कीटनाशक पाए जाने पर जापान ने अंगूर लदा जहाज लौटा दिया।

सब्जियों को ताजा या हरा दिखाने के लिए दुकानदार उन्हें हानिकारक कृत्रिम रंगों से रंग रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के आसपास सीवर, प्रदूषित नदी नालों के गन्दे पानी से तथा औद्योगिक कचरे पर उगने वाली सब्जियों में हानिकारक पदार्थ मौजूद होते हैं। इसलिए कच्चा सलाद जो कभी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता था अब हानिकारक हो गया है। कीटनाशक बनाने वाली कम्पनियों के दबाव में सुलभ और सस्ती खेती को हतोत्साहित किया जा रहा है। कुतर्क यह दिया जाता है कि विश्व की तुलना में भारत में केवल 2 प्रतिशत कीटनाशकों का प्रयोग होता है। जबकि खाद्यान्न उत्पादन में भारत का हिस्सा 16 प्रतिशत है। इन तथ्यों को नजरअंदाज किया जाता है कि विदेशी कम्पनियां कुप्रभावों से अनभिज्ञ हैं।

देश की 6 फसलों में कुल 81 प्रतिशत कीटनाशकों का प्रयोग होता है जिनमें से कपास में 32 प्रतिशत, धान में 23 प्रतिशत, सब्जियों में 9 प्रतिशत, दालों में 6 प्रतिशत, मिर्च में 5 प्रतिशत और वृक्षारोपण में 6 प्रतिशत कीटनाशकों का प्रयोग होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होता है। इसके बाद पंजाब में 16.2 प्रतिशत, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में 8 प्रतिशत तथा हरियाणा में 7 प्रतिशत कीटनाशकों का प्रयोग होता है।

खेती–बाड़ी में कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हमारे देश में गुर्दे, त्वचा, बांझपन, अल्सर और कैंसर की बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। इसलिए जरूरी है अविलम्ब खेती को बढ़ावा देने की। नीम, राख और तम्बाकू में कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने तम्बाकू और लहसुन के पानी का प्रयोग कर फसलों को कीड़ों से बचाना शुरू कर दिया है। बहरहाल, जब तक किसानों को प्रशिक्षित कर सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से कीटनाशकों के प्रयोग करने की हिदायत तो दी ही जानी चाहिए जिससे हम अपने और अपनी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रख सकें एवं आगे एक स्वस्थ्य भारत की कल्पना कर सकें।

(लेखक ब्रह्मानंद कृषि महाविद्यालय हमीरपुर में रिसर्च स्कालर हैं)

ई–मेलः nkverma1061@rediffmail

शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ा

वर्ष 2008–09 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 34400 करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह पिछले वर्ष के बजट 28674 करोड़ रुपये से 20 प्रतिशत अधिक है। सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य जोर प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने, छात्रों की उपस्थिति को बनाये रखने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को आकर्षित करने पर होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2008–09 में आदर्श स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले 6000 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। इस नई योजना के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। (पसूका)

भारतीय लोकतंत्र की अनुपम देन- 'पंचायती राज'

(24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर)

डॉ. ऋतु सारस्वत

स्वातंत्र्योत्तर काल के छः दशकों के दौरान भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की और इस उन्नति का आधार भारत का लोकतंत्रात्मक शासन बना। यहां प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के समुचित विकास का बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्राप्त है। भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में विकास की प्रक्रिया में सभी की सहभागिता को महत्वपूर्ण माना गया है और इस सोच को बेहतर ढंग से 'मानेसर घोषणा' की आधारभूमि के द्वारा समझा जा सकता है। विकास की प्रक्रिया अन्तर्निहित रूप से राजनीतिक है और इसलिए यदि यह असमानतापूर्ण तथा गैर–सहभागितापूर्ण है, तो इससे निर्धनता उत्पन्न हो सकती है। निर्धनता को समाप्त करने के उद्देश्य को एक ऐसे संघर्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है। जहां निर्धनता में रह रहे लोगों को इस सीमा तक सशक्त कर दिया जाये कि वह अपने संसाधनों एवं जीवन पर स्वयं नियन्त्रण स्थापित कर सके।

निर्धनता में रह रहे लोग, जिनमें से अधिकांशतः महिलाएं हैं, निर्धनता को बढ़ाने वाले संरचनात्मक कारकों को चिन्हित कर सकने में सक्षम है। इसीलिए यही लोग इन कारकों का समाधान खोजने और तदनुसार निर्धनता को समाप्त करने की कार्यनीति तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस घोषणा में सहभागितापूर्ण विकास की अवधारणा का वह महत्व स्पष्ट हो जाता है जिसे भारत के लोकतंत्र ने न केवल स्वीकार किया अपितु इसको पल्लवित एवं पुष्पित करने हेतु अथक प्रयास भी किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वराज्य की अवधारणा को सारगर्भित तभी माना जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर उसे जमीनी स्तर तक लाया जाए जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय की भूमिका बढ़ सके। भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद–40 में व्यवस्था दी कि "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।"

भारत में पंचायती राज विकास की लंबी प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसके विस्तार का विश्लेषण पांच चरणों में किया जा सकता है। 1950 से 1960 तक, 1961 से 1964 तक, 1965 से 1985 तक, 1986 से 1992 तक और 1993 से अब तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में ग्राम योजना तथा जिला विकास परिषदों के विचार को अंगीकार किया गया वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकेन्द्रीकृत आयोजना पर विशेष बल दिया गया लेकिन आयोजना तंत्र न होने के कारण आर्थिक विकास में पंचायती राज संस्थाएं कोई महत्ती भूमिका नहीं निभा पाई। इसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी पंचायती राज को बल नहीं मिला। 1977 में भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे के साथ ही राजकोषीय घाटे में सुधार

वर्ष 2008–09 के बजट प्रस्तावों में 750884 करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है। इसमें से योजना व्यय 243386 करोड़ रुपए का है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में यह 32.4 प्रतिशत होगा। आयोजना भिन्न व्यय का अनुमान 507499 करोड़ रुपए है। मौजूदा वर्ष के लिए राजस्व घाटा 1.4 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत के.ब.अ. की तुलना में) और राजकोषीय घाटा 3.1 प्रतिशत (3.3 प्रतिशत के.ब.अ. की तुलना में) होगा।

वर्ष 2008–09 के लिए केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्ति 602820 करोड़ रुपए अनुमानित है और 658118 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय होने का अनुमान लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप 55298 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत है। 133900 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत है।

बजट अनुमान का मानना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और गजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा। राजस्व घाटे के मामले में 0.5 प्रतिशत के वार्षिक घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तथापि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यय में सचेत परिवर्तन के कारण इसके लिए एक वर्ष का समय चाहिए। (पसूका)

परीक्षण करने तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव देने के लिए 'अशोक मेहता समिति' का गठन किया।

1978 में इस समिति ने पंचायती राज को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए अनेक सिफारिशें की। तत्पश्चात् पंचायती राज के वित्त एवं संसाधनों की समस्याओं के अध्ययन के लिए 'सन्थानम समिति' की नियुक्ति की गई परन्तु इन सबके बावजूद पंचायती राज व्यवस्था सुगठित नहीं हो पाई। पंचायती राज व्यवस्था में सकारात्मक दृष्टि से परिवर्तन (स्व.) राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आया। उन्हीं के शब्दों में "आइए, हम भारत की जनता को अधिकतम लोकतंत्र एवं अधिकतम हस्तांतरण सुनिश्चित करें। सत्ता के दलालों को हटाना होगा। लोगों को सशक्त बनाना होगा"–(लोकसभा, 15 मई, 1989)। अपने कार्यकाल में उन्होंने जवाहर रोजगार योजना के तहत गांवों के विकास के लिए आवंटित धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तान्तरित करवा दी। जिसका सीधा परिणाम सत्ता के वास्तविक विकेन्द्रीकरण के रूप में हुआ क्योंकि इससे पूर्व यह अधिकार ग्राम पंचायत की सामान्य सभा के पास था, और इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व ग्राम पंचायत समिति का था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति क्षीण रही परन्तु पूर्व प्रधानमंत्री (स्व.) राजीव गांधी की पहल पर पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई उसकी परिणति संविधान के (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में हुई जो कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई।

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992

- यह किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा, पंचायतों के समूह के रूप में ग्राम सभा का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इससे सामुदायिक भागीदारी सहित प्रत्यक्ष लोकतंत्र की घोषणा होती है।
- इससे 'गांव', 'मध्यवर्ती' एवं 'जिला' के तीन स्तरों पर पंचायतों का गठन होता है। (सिवाय इसके कि 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों के भीतर मध्यवर्ती स्तर को अलग कर दिया जाये)।
- यह इन पंचायतों में नियमित पंचवर्षीय चुनाव का अधिकार प्रदान करता है लेकिन यदि पंचायत किसी कारण से भंग हो जाती है तो चुनाव छः महीने के भीतर होंगे।
- इसमें महिलाओं और ऐतिहासिक रूप से समाज के अलाभकारी वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं सहित अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनज़ातियां।
- इसमें राज्य निर्वाचन आयोगों और राज्य वित्त आयोगों (जिनकी सिफारिशों को राज्य विधान सभाओं द्वारा स्वीकार किया जाये, नामंजूर किया जाये, अशोधित किया जाये) की अनिवार्य स्थापना की व्यवस्था है।
- इसके अंतर्गत जिला आयोजना समितियों (डीपीसी) के गठन की व्यवस्था की गयी है।
- इसमें पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायती राज उपबंधों को लागू करने के लिए केन्द्रीय पंचायती राज कानून की व्यवस्था की गई है।
- इसमें छठी अनुसूची क्षेत्रों और कतिपय अन्य विशिष्ट क्षेत्रों जैसे दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद का क्षेत्राधिकार के संबंध में पंचायती राज संबंध उपबंधों से छूट दी गयी है।

पंचायती राज मंत्रालयः– 73वें संशोधन विधेयक के लागू होने के लगभग 11 साल तक पंचायती राज का संचालन ग्रामीण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में किया जाता रहा। पंचायती राज संस्थाओं की आधारभूमि को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से 22 मई 2004 में तत्कालीन सरकार ने पंचायती राज के संवैधानिक अधिदेश के परिचालन पर ध्यान देने एवं व्यवस्था की पूर्ति के लिए पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया।

पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई 2004 के बीच राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सात गोलमेज बैठकों का आयोजन किया। इन सम्मलेनों में 150 दिनों के लिए 150 सूत्री कार्यक्रम बिंदुओं को कार्रवाई के लिए चुना गया। योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना के लिए यह अधिदेशित किया है कि प्रत्येक राज्य वार्षिक योजना का समेकन, जिला आयोजन समितियों के माध्यम से समेकित जिला विकास योजना के प्रारूप पर किया जाएगा। एन सी ए ई आर ने पंचायतों के कार्यों, वित्तों एवं कार्यकर्ताओं के अंतरण पर राज्य के प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक वर्किंग इन्डेक्स विकसित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से पंचायत महिला शक्ति अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है एवं इसे सात राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। नेहरू युवक केन्द्र संगठन के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे पंचायत युवा शक्ति अभियान (पी वाई एस ए) को पांच राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में प्रारम्भ किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में 'पंचायतों की स्थिति' पर प्रथम व्यापक आधार रेखा (वेस लाइन) रिपोर्ट नवम्बर, 2006 में प्रकाशित की है। यह अब एक वार्षिक कार्य बन चुका है। वर्तमान में पंचायतों में दस लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं जो चुने हुए व्यक्तियों का 38 प्रतिशत से अधिक है।

पंचायती राज की वर्तमान स्थिति

– वर्तमान समय में देश में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंच के चुनाव क्षेत्र में लगभग 70 परिवार या 340 व्यक्ति शामिल हैं। यह आंकड़े इस तथ्य को स्वतः ही उद्घाटित कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र विशाल एवं दृढ़ है।

– देश में 22 लाख से अधिक चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से चयनित हुए हैं। इनमें से 42 प्रतिशत महिलाएं और 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 11 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं।

– वर्तमान समय में यदि आंकड़ों की दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था को देखा जाए तो 234676 ग्राम पंचायत, 6097 मध्यवर्ती पंचायत तथा 537 जिला पंचायत सहित कुल 241310 पंचायत संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का अपना एक स्थान है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 40, मध्यवर्ती स्तर पर 43 एवं जिला स्तर पर 41 प्रतिशत है। पंचायतों में कुल 9 लाख महिला प्रतिनिधियों का वर्चस्व है जिसमें से कुल 59 हजार से ज्यादा (तीन स्तरों पर) महिलायें अध्यक्ष है।

राज्यों में पंचायती राज का संस्तरण

एक स्तरीय पंचायत प्रणाली वाले राज्य– सिक्किम, मणिपुर, केरल, त्रिपुरा तथा जम्मू–कश्मीर ये वह राज्य हैं जिनमें केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही पंचायत संस्थाएं काम कर रही हैं। नगालैंड, मेघालय तथा मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां एक स्तरीय पंचायत के आधार पर जनजातीय परिषद अस्तित्व में है।

द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली वाले राज्य– कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम राज्य में ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति अर्थात् द्विस्तरीय पंचायत संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली वाले राज्य: गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश यह वह राज्य हैं जिनमें ग्राम पंचायत, खंड या पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद अर्थात् त्रिस्तरीय पर पंचायत संस्था कार्य कर रही हैं।

चार स्तरीय पंचायत प्रणाली वाले राज्य: केवल पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां पर चार स्तरीय आधार पर पंचायत राज्य का अस्तित्व है। ये स्तर हैं– ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद् तथा जिला परिषद।

पंचायत के कार्य: संशोधन अधिनियम में पंचायतों को संविधान की ग्यारहवीं सूची में दिए गए 29 विषयों से संबंधित आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के अधिकार और दायित्व देने के प्रावधान हैं। इसी नीति का पालन करते हुए राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे इन 29 विषयों में संकलित कार्यों के साथ–साथ पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी सौंप देगी।

पंचायतों को अधिकार देने के संदर्भ में केरल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

केन्द्र सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों से पंचायत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संबंध में अपेक्षाएं

- केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें राज्य संचित निधि के माध्यम से राज्य क्षेत्र एवं पंचायत क्षेत्र को धनराशि अंतरित कर सकते हैं।
- राज्य सरकारें गतिविधि मानचित्रण को अधिसूचित करने के बारे में अनिश्चयी है अतः गतिविधि मानचित्रण से राज्य सरकारों से चुनी गयी पंचायतों तक कार्यकलापों का मार्ग प्रशस्त होगा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 43 जेड डी के प्रावधानों के तहत जिला आयोजना समितियों का गठन करने की आवश्यकता है जिसमें की पंचायतों को विकेन्द्रीकृत किया जा सके।

ग्रामसभा को सशक्त करने के निम्नलिखित उपाय करें:

- यह सुनिश्चित किया जाए कि हर तीन महीने में एक बार और यदि संभव हो तो स्वाधीनता दिवस, मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती पर ग्राम सभा की बैठक हो।
- ग्रामसभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों की प्राथमिकता तय करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए।
- पंचायत अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) 1996 के अंतर्गत ग्रामसभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, स्वामित्व तथा नियंत्रण का अधिकार प्रदान करके सशक्त किया जाए।
- ग्रामसभाओं को विकास कार्यक्रमों का सामाजिक परीक्षण कराने की प्रक्रिया तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- पंचायतों की सुस्पष्ट तौर पर ग्रामसभा के प्रति जवाबदेही हो।
- ग्रामसभा सदस्यों को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरुक किया जाए: साथ ही सामूहिक भागीदारी विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के कदम उठाए जाएं।

वित्त सहयोग– वर्तमान में पंचायतों को तीन स्रोतों से धनराशि प्राप्त होती है। ये हैं– (अ) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप स्थानीय निकाय अनुदान (ब) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए धनराशि; और (स) राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली निधि। 11वें वित्त आयोग ने स्थानीय स्वशासन इकाइयों के लिए 8000 करोड़ रु. आवंटित किए। ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 42, 874 करोड़ रु. का और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 76, 774 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।

12वें वित्त आयोग ने देश की पंचायतों के लिए 2005 से 2010 के लिए कुल 20 हजार करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा की है। इस कुल राशि में से विभिन्न राज्यों को पांच कारकों के आधार पर आवंटित करने की एक प्रणाली भी निर्मित की गई है, यह है– 40 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर, 20 प्रतिशत उच्चतम से प्रति व्यक्ति आय के अंतराल के आधार पर, 10 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र

के आधार पर, 10 प्रतिशत वंचित के सूची के आधार पर तथा शेष 20 प्रतिशत राजस्व के प्रयास के आधार पर।

पंचायतीराज और विभिन्न राज्यों के परिदृश्य

- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश देश के सबसे अधिक पंचायती राज संस्थाओं वाले राज्य हैं।
- हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में दो बच्चों के नियम लागू हैं। सर्वप्रथम राजस्थान ने दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन पर रोक लगाने की पहल की और इस नियम की अवहेलना होने पर, लगभग 2,000 प्रतिनिधियों को तीसरी संतान होने के कारण पद से हाथ धोना पड़ा।
- दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरपंच या उप सरपंच का चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले हरियाणा के 1994 के पंचायती राज कानून को सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी परन्तु अंततोगत्वा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस नियम को वैधता दी गई।
- देश की पहली ई–पंचायत आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई। हैदराबाद के समीप मंडल जिले की रामचंद्रपुरम् ग्राम पंचायत में प्रथम बार पंचायत के सभी कामों को कम्प्यूटर के माध्यम से सहजता से सम्पन्न किया जा रहा है।

देश में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास के लाभ को देश के निचले पायदान पर बैठे लोगों तक उन्हीं के सहयोग से पहुंचाना है। कमजोर, पिछड़े हुए वर्ग, महिलाओं की भूमिका को विशेषरूप से महत्ता प्रदान की गई। 1993 में हुए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार पंचायतों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके परिणामस्वरूप 13 लाख भारतीय महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश पा चुकी हैं। लगभग 14 हजार महिलाएं पंचायतों के लिए चुनी गई और केरल तथा मध्य प्रदेश में महिलाओं ने आरक्षित सीटों से अधिक पर जीत हासिल की। भारतीय महिलाओं को मिली यह सफलता परोक्ष रूप से उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लायेगी। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा बढ़ता महिलाओं का वर्चस्व पितृसत्तात्मक समाज के तथाकथित सामंती वर्ग के लिए अस्वीकार्य हो रहा है और यही कारण है कि येन–केन–प्रकारेण वह महिला सरपंचों को उनके पद से हटाने का प्रयास करते रहे है। इस दिशा में भी केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में महत्वपूर्ण कमद उठाने की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि महिला सरपंचों को डेढ़ साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से न हटाया जा सके। देशभर से आई शिकायतों के बाद केन्द्र इस नतीजे पर पहुंचा है कि लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की इस पहली पायदान (ग्राम पंचायत) में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान अक्सर निर्वाचित महिला सरपंचों को हटाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि महिला सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो यह सुनिश्चित करें कि रिक्त पद कोई महिला ही संभाले। अगर संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था का आंकलन किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट होता है कि सरकारी स्तर पर प्रयासों में कहीं कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात है कि पंचायती राज संस्थायें स्वयं अपने उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की दिशा की ओर प्रयत्नशील हो और लोकतंत्र विकेन्द्रीकरण की इस अद्भुत व्यवस्था के माध्यम से जन–जन का हित करें

(लेखिका पीजी महाविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रवक्ता हैं।)
ई–मेल : sarswatritu@yahooco.in

उर्वरक उत्पादन, दुग्ध तथा कुक्कट उद्योग के लाभ के लिए उपाय

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने वर्ष 2008–09 के आम बजट में घरेलू उर्वरक उत्पाद में सहायता के लिए कच्चे और परिष्कृत सल्फर पर सीमा शुल्क पांच फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने का प्रस्ताव किया है।

पोलीमर के निर्माण में उपयोग होने वाले नेफ्था से शुल्क छूट वापस ले ली है। इस पर 5 प्रतिशत की सामान्य दर पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेफ्था का आयात पोलीमर निर्माताओं के द्वारा किया जाता है, जिससे उसमें विकृति आ जाती है। हालांकि उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित नेफ्था को आयात शुल्क से छूट मिलती रहेगी।

बेक्टोफ्यूज पर शुल्क बिल्कुल हटा दिया गया है। इससे दूध के भण्डार और उसके उपयोग होने की अवधि बढ़ जाएगी। इससे डेयरी उद्योग को फायदा होगा।

पशु तथा कुक्कट खाद्य सामग्री के निर्माण की लागत को घटाने के लिए विटामिन प्रीमिक्सेज तथा खनिज मिश्रण पर शुल्क को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी करने और फॉस्फोरिक एडिस पर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने किया है। (पसूका)

गन्ना एक नकदी एवं औद्योगिक फसल

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

गन्ना हमारे देश की एक प्रमुख नकदी एवं औद्योगिक फसल है जिसका भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान है। यह लगभग पूरे वर्ष खेत में रहती है। गन्ने का प्रयोग गुड़, शक्कर, चीनी, खांड, इथेनाल और बिजली बनाने में किया जाता है। गन्ने की खोई का प्रयोग कागज उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है। गन्ने से प्राप्त होने वाला एक प्रमुख उत्पाद शीरा है जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से शराब बनाने, सीट्रिक अम्ल बनाने व पशुओं को खिलाने के रूप में किया जाता है। गन्ने का अगोला पशुओं के लिए स्वादिष्ट व पौष्टिक चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। चीनी मिलों से प्राप्त प्रैसमड का प्रयोग क्षारीय व लवणीय मृदाओं के रूप में किया जा सकता है। भारत में चीनी उद्योग कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा बड़ा उद्योग है जो बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारतीय चीनी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत लोकप्रिय है परन्तु अधिकांश उत्पादित चीनी अपने देश में ही प्रयोग कर ली जाती है। विश्व में गन्ने के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है।

बंधाई अवस्था के बाद गन्ने की खड़ी फसल

चीनी उत्पादन में भी भारत का विश्व में पहला स्थान है। हमारे देश में गन्ना 41.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर उगाया जाता है। भारत में गन्ना उगाने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात व बिहार है। भारत में समस्त क्षेत्रफल का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र अकेले उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में गन्ने की पैदावार 40–65 तथा दक्षिण भारत में 90–130 टन प्रति हैक्टेयर प्राप्त होती है। देश के कई राज्यों में गन्ना किसानों की आय के लिए एक मुख्य फसल बन चुकी है। प्रस्तुत लेख में गन्ने की फसल से अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए नवीनतम उन्नत तकनीक दी जा रही है जिसको अपनाकर किसान भाई अपनी फसल से उत्तम गुणवत्ता की अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं।

गन्ने की पैदावार में गिरावट के मुख्य कारण

- किसानों में व्यापक आर्थिक तंगी के साथ–साथ तकनीकी ज्ञान की कमी।
- गन्ने की फसल प्रणाली में अन्य फसलों के साथ स्पर्धा।
- गन्ने की उन्नतशील प्रजातियों के बीज की पर्याप्त अनुपलब्धता।
- उत्तर भारत में गन्ने की उचित समय पर बुवाई न करना।
- क्षेत्र विशेष के लिए उचित प्रजातियों का अभाव।
- खाद व रासायनिक उर्वरकों का अपर्याप्त, अनुचित व असंतुलित प्रयोग करना।
- गन्ने की फसल पर कीटों व बीमारियों का बढ़ता प्रकोप।
- गन्ने की पेड़ी पर सामान्यतः किसान अधिक ध्यान नहीं देते हैं।
- अपर्याप्त परिवहन व विपणन व्यवस्था का ठीक न होना।
- गन्ने की फसल की कटाई समय पर न करना।
- गन्ना उत्पादन तकनीक का उचित प्रचार–प्रसार न होना।
- गन्ना मूल्य भुगतान का समय पर न होना।

फसल चक्र

उत्तर भारत में गन्ना सामान्यतः गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, आलू या सरसों के बाद बोया जाता है। गन्ने के साथ आमतौर पर निम्न फसल चक्र अपनाए जाते हैं।

- मक्का–गेहूं–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष
- मक्का–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष
- धान–सरसों–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष
- धान–मसूर/चना–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष
- कपास–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष

- बाजरा–मूंगफली–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष
- ज्वार–आलू–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष
- ज्वार–गेहूं–गन्ना–पेड़ी–गेहूं 3 वर्ष
- मक्का–गन्ना + आलू–मक्का 2 वर्ष
- धान–गन्ना + गेहूं–मक्का 2 वर्ष

जलवायु

हमारे देश में गन्ने की खेती विभिन्न जलवायु क्षेत्रों एवं परिस्थितियों के साथ–साथ विभिन्न ऋतुओं में की जाती है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। गन्ने की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए साधारणतया अधिक तापमान एवं चमकीली धूप आवश्यक है। गन्ने में अधिक शर्करा निर्माण के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु भी आवश्यक है। गन्ना उपोष्ण जलवायु परिस्थितियों के कारण शरदकालीन, बसन्तकालीन एवं ग्रीष्मकालीन मौसमों में ज्यादा प्रचलित है। गन्ने के अच्छे विकास के लिए आमतौर पर 25–35 सें.ग्रे. तापमान उत्तम होता है।

मृदा

गन्ना सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है फिर भी दोमट व मटियार दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो गन्ने की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। बुवाई के समय मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।

बीज व प्रजातियों का चुनाव

गन्ने की अधिक पैदावार लेने हेतु बीज का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

- ❖ बीज किसी विश्वसनीय संस्थाओं से ही लेना चाहिए।
- ❖ अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए।
- ❖ बीज स्वस्थ व रोगरहित होना चाहिए।
- ❖ क्षेत्र विशेष की मिट्टी और सिंचाई जल की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किस्मों का चयन करें।
- ❖ क्षेत्रीय गन्ना मिलों की मांग एवं साधन सीमा के अनुसार ही प्रजातियों का चुनाव करें।
- ❖ नवीनतम एवं उन्नतशील प्रजातियों का ही चुनाव करें।
- ❖ बीज को यदि किसी अन्य स्थान पर ले जाना हो तो उसे पत्तियां हटाने से पूर्व ही स्थानान्तरित करना चाहिए।
- ❖ पेड़ी का गन्ना बीज हेतु प्रयोग न करें।
- ❖ अधिक उपज लेने हेतु बीज सदैव 10 माह की रोग रहित फसल का प्रयोग करना चाहिए।
- ❖ गन्ने की बुवाई हेतु 2/3 ऊपरी भाग ही बुवाई में प्रयोग करना चाहिए। इससे जमाव अच्छा व जल्दी होता है।

उन्नतशील प्रजातियां

गन्ने की प्रजातियों को उनकी आयु, रस में शर्करा की मात्रा तथा परिपक्वता के अनुसार दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

- **जल्दी पकने वाली प्रजातियां:–** ये प्रजातियां सामान्यतः 10 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इनके रस में कम से कम 16 प्रतिशत शर्करा होती है। इनमें प्रमुख रूप से को० से० 95435, 95436, 98231, करन–1 (को०98014), को०शा० 8436, 95255, 96268, 687, सी.ओ. जे. 64,को.पन्त 84211 सम्मिलित हैं।

किसानों को कर्ज माफी और कर्ज राहत योजना

वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने संसद में 2008–09 का बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के लिए कर्ज माफी और कर्ज राहत योजना की घोषणा की। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थान की ओर से 31 मार्च, 2007 तक वितरित तथा 31 दिसम्बर, 2007 तक अतिदेय सभी कृषि ऋणों को इस योजना के तहत लाया जाएगा। सीमान्त और छोटे किसानों के जो ऋण 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय हो गए थे और 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे वे सभी ऋण माफ कर दिए जाएंगे। अन्य किसानों के संबंध में एक बारगी निपटान योजना होगी। एक बार निपटान योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत शेष के भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कर्ज माफी और कर्ज राहत योजनाएं 30 जून 2008 तक पूरी कर ली जाएंगी। कर्ज माफी तथा एक बारगी निपटान के अन्तर्गत कर्ज राहत के समझौते पर हस्ताक्षर होने पर किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए कृषि ऋण लेने के हकदार होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार वर्ष 2004–06 के दौरान पुनर्संरचित और पुनर्निर्धारित किए गए कृषि ऋण भी इस योजना के तहत एक बारगी निपटान या माफी के पात्र होंगे।

इस योजना से लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमान्त किसान तथा एक करोड़ अन्य किसान लाभान्वित होंगे। माफ किए जा रहे अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50 हजार करोड़ रुपए अनुमानित है तथा एक बारगी निपटान में 10 हजार करोड़ रुपए के अतिदेय ऋणों को राहत मिलने का अनुमान है। (पसूका)

● **मध्यम एवं देर से पकने वाली प्रजातियां:–** गन्ने की ये प्रजातियां 12 से 14 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। इस श्रेणी में को० शा० 8432, 88216, 90269, 21230, 92263, 91248, 86218, 94257, को. पन्त 84212, को० से० 92423, 93232, 93234, 95422, यू.पी. 9529, 9530 एवं को. जे. 84 प्रजातियां प्रमुख हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है उन क्षेत्रों के लिए को०से० 96436, यू.पी. 9529 तथा यू.पी. 9530 जातियां लाभकारी पाई जाती हैं।

बीज की मात्रा

बीज की मात्रा बुवाई के समय व प्रजातियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। गन्ने की शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए 70–75 क्विंटल तथा देर से पकने वाली जातियों के लिए 60–65 क्विंटल बीज प्रति हैक्टेयर पर्याप्त होता है। इसके लिए औसतन दो तीन आंखों वाली 40,000 से 45,000 बीजू टुकड़ों की प्रति हैक्टेयर आवश्यकता होती है

गन्ने की फसल में निराई–गुड़ाई करते किसान

बीजोपचार

बीज को रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए एमिसान या मेन्कोजेब के 0.25 प्रतिशत के घोल में बुवाई से पूर्व 4–5 मिनट तक डुबोएं। घोल के लिए 250 से 300 लीटर पानी प्रति हैक्टेयर पर्याप्त होता है।

बुवाई का समय

हमारे देश में गन्ने की बुवाई सामान्यतः वर्ष में तीन बार करते हैं।

● **बसंतकालीन बुवाई:–** बसंतकालीन गन्ने की बुवाई 15 फरवरी से अन्तिम मार्च तक की जाती है। वैसे उत्तरी राज्यों मे बुवाई अप्रैल से 15 मई तक की जाती है। उचित समय पर बुवाई न करने पर गन्ने का अंकुरण व बढ़वार अच्छी नहीं होती है।

● **शरदकालीन बुवाई:–** अक्टूबर माह में बोये गन्ने को शरदकालीन गन्ना कहते हैं। वर्षा ऋतु के बाद उचित नमी व तापमान (25 से 30 डिग्री से.) मिलने से इस समय बोये गन्ने का अंकुरण अच्छा होता है। शरदकालीन बुवाई बिहार में ज्यादा प्रचलित है।

● **वर्षाकालीन बुवाई:–** यह गन्ना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बोया जाता है। इस फसल की अवधि 18 महीने की होती है। इस फसल की बुवाई जून से अगस्त माह के मध्य की जाती है। कटाई दूसरे वर्ष दिसम्बर से जनवरी माह तक की जाती है।

बुवाई की विधि

गन्ने की बुवाई की विधि का चुनाव मुख्य रूप से भूमि की किस्म, जल निकास व सिंचाई साधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है। इसके लिए आमतौर पर निम्न विधियां प्रचलित हैं।

● **समतल विधि:–** यह गन्ने की बुवाई का सबसे आसान तरीका है। यह विधि साधारणतया उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वर्षा कम होती है तथा जल स्तर काफी ऊंचा होता है। इस विधि में 90 से. मी. के अन्तराल पर 7 से 10 सें.मी. गहरे कूंड ट्रेक्टर अथवा हल से बनाकर गन्ने की बुवाई की जाती है। बुवाई के बाद पाटा लगा दिया जाता है जिससे गन्ने के बीज मिट्टी से ढक जाएं तथा भूमि में नमी बनी रहे।

● **नाली विधि:–** यह विधि भरपूर खाद, पानी एवं श्रम की उपलब्धता वाली परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इस विधि में लागत अधिक आती है परन्तु उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। इस विधि में बुवाई के एक माह पूर्व 90 सें. मी. के अन्तराल पर 25 सें. मी. गहरी नालियां बना ली जाती हैं। इन नालियों में खाद, उर्वरक डालकर एवं गुड़ाई करके तैयार कर लिया जाता है। बाद में इन नालियों में गन्ने की बुवाई कर दी जाती है। फसल वृद्धि के साथ मेड़ों की मिट्टी नाली में गिराते रहते हैं जिससे अन्ततः मेड़ों के स्थान पर नाली एवं नाली के स्थान पर मेड़ बन जाती है।

● **रिज एवं फरो विधि:–** यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां वर्षा सामान्य होती है परन्तु जल निकासी की समस्या होती है। इसमें 90 सें.मी. की दूरी पर 15से 20 से.मी. गहरी नालियां बनाई जाती हैं। इसके बाद निश्चित खाद एवं उर्वरक मिलाकर गन्ने की बुवाई की जाती है। इसके बाद गन्ने के बीजों को मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे खेत पुनः समतल नजर आता है।

खाद एवं उर्वरक प्रबंधन

गन्ने की फसल वर्ष भर खेत में खड़ी रहती है। अतः खाद एवं उर्वरक प्रबंध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लम्बे समय तक पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु जैविक खादों का प्रयोग आवश्यक है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य सुधारने, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने, मृदा ताप नियन्त्रित करने और मृदा नमी संरक्षित करने में भी जैविक खादों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके लिए गोबर की खाद, हरी खाद, कम्पोस्ट, फसल अवशेषों व प्रैसमड का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त खादों का प्रयोग गन्ने की बुवाई से लगभग एक माह पूर्व खेत में अच्छी तरह बिखेरकर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए 150 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा फास्फोरस तथा 40 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हैक्टेयर आवश्यक है। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा को बुवाई के समय देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर क्रमशः कल्ले फूटने के समय व जुलाई के पूर्व टाप ड्रैसिंग के रूप में डालकर गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग फसल में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बाद दिए गए नाइट्रोजन उर्वरकों का फसल की उपज एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जुलाई के बाद नाइट्रोजन उर्वरक देने से पौधों में पानी का अवशोषण बढ़ जाता है। साथ ही गन्ने के रस में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक नाइट्रोजन देने से गन्ने में रेशे की मात्रा भी कम हो जाती है जिससे फसल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। मृदा परीक्षण के आधार पर यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो बुवाई के समय 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए।

सिंचाई प्रबंधन एवं जल निकास

गन्ने की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अतः गन्ने की खेती उन्हीं क्षेत्रों में करनी चाहिए जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो। गन्ने की अंकुरण अवस्था, कल्ले फूटने और बढ़वार के समय मृदा में पर्याप्त नमी होना अत्यंत आवश्यक है। गर्मी के दिनों में 15–20 दिनों के अन्तराल पर एवं वर्षा ऋतु में लगातार बारिश न होने पर 20 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में गन्ने के खेत से आवश्यकता से अधिक पानी का निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना सिंचाई देना। अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहने से उसमें वायु संचार एवं लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता घट जाती है। साथ ही पौधों की जड़ों का विकास नहीं हो पाता है और फसल सड़कर सूख जाती है।

खरपतवार नियंत्रण

बुवाई के 15 से 20 दिन बाद गन्ने के खेतों में एक बीज पत्री व द्विबीज पत्री खरपतवार पनपने लगते हैं। इनका प्रकोप जून –जूलाई तक बना रहता है जिससे गन्ने की वृद्धि, विकास और पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे गन्ने की पैदावार में लगभग 10–40 प्रतिशत तक कमी आ जाती है। यह फसल में खरपतवारों की सघनता और उनके प्रकार पर निर्भर करती है। इन खरपतवारों में बथुआ, खरबथुआ, कृष्णनील, गजरी, दूबघास व हिरणखुरी प्रमुख हैं। वर्षा ऋतु में घासकुल के खरपतवार पनपने लगते हैं। इनमें दूबघास, मकरा, जंगली चौलाई एवं कांटेदार चौलाई मुख्य हैं। इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए समय–समय पर फसल की गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे गन्ने के पौधों की जड़ों में नमी व वायु संचार में भी मदद मिलती है। गुड़ाई प्रत्येक सिंचाई के बाद बरसात शुरू होने तक की जा

इंदिरा आवास योजना के अधीन सब्सीडी में वृद्धि

वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने भवन निर्माण की उच्च लागत को देखते हुए एक अप्रैल 2008 के पश्चात् स्वीकृत नए मकानों के संबंध में मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सब्सीडी को 25000 रुपए से बढ़ाकर 35000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम इलाकों में 27500 रुपए से बढ़ाकर 38500 रुपए करने का प्रस्ताव किया। इंदिरा आवास योजना भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा है और इसके अधीन गरीब लोगों के लिए नए मकानों का निर्माण किया जाता है। वित्तमंत्री ने आज लोकसभा में वर्ष 2008–09 का बजट प्रस्ताव पेश करते हुए सदन को जानकारी दी कि मकानों के उन्नयन के लिए सब्सीडी 12500 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मकान को पूरा करने के लिए लाभार्थी को तब भी अपनी निधियों की आवश्यकता पड़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को यह सलाह दी जाएगी कि वे इंदिरा आवास योजना के मकानों को विभेदक ब्याज दर के तहत शामिल करें और चार प्रतिशत के ब्याज के दर पर प्रति इकाई 20 हजार रुपए की राशि का ऋण दें। साठ लाख मकानों के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 2007 तक 41.13 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है तथा मार्च 2008 के अंत तक 51.77 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो जाएगा (पसूका)

सकती है। आजकल मजदूरों की कम उपलब्धता और उनकी मजदूरी अधिक होने के कारण खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए बहुत से शाकनाशी बाजार में उपलब्ध हैं। शाकनाशी द्वारा खरपतवारों को नियन्त्रण करने हेतु गन्ने की बुवाई के 50–60 दिन बाद 1 कि.ग्रा. 2,4–डी/है. की दर से खेत में छिड़काव करना चाहिए। इससे सम्पूर्ण चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एट्राजिन सक्रिय तत्व 1कि.ग्रा. है. की दर से 500–600 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना जमाव से पहले छिड़काव करने से खरपतवार नियंत्रित किए जा सकते हैं। छिड़काव के समय मृदा में पर्याप्त नमी हो तथा तेज हवा न चल रही हो।

सहफसली खेती

गन्ने की फसल बुवाई के लगभग एक वर्ष बाद ही आय देती है। ऐसी स्थिति में गन्ने की फसल के साथ अन्य फसलों की सहफसली खेती अपनाना आवश्यक है। ऐसा करने से किसान भाइयों को फसल के मध्य में अतिरिक्त आय मिलेगी जो न केवल पारिवारिक आवश्यकताओं जैसे खाद्य, दलहन, तिलहन और चारा की आवश्यकता की पूर्ति करेगी बल्कि गन्ने की फसल में आने वाले खर्चों की भी आपूर्ति करेगी। इसके साथ ही गन्ने की एकल फसल से उत्पन्न दुष्प्रभावों को भी कम करेगी। बसंतकालीन गन्ने की दो लाइनों के बीच में उर्द, मूंग, लोबिया की एक–एक पंक्ति बोना चाहिए। इससे किसान भाई प्रति इकाई क्षेत्र से अतिरिक्त लाभ अर्जित कर सकते हैं। किसान भाई सह फसलों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फसल शीघ्र पकने वाली, कम फैलने वाली तथा गन्ने की तरह ही पानी चाहने वाली है। इसी प्रकार शरदकालीन गन्ने का अंकुरण व फुटाव धीमा होने के कारण इसकी बढ़वार शुरू के तीन–चार महीने तक न के बराबर होती है अर्थात् गन्ने का पौधा इस अवधि में सुषुप्तावस्था में रहता है। इन दिनों में रबी की कोई अन्य फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों, फूलगोभी, प्याज या अन्य कोई सब्जी की शीघ्र पकने वाली फसल गन्ने की दो पंक्तियों के बीच बोई जा सकती है। इसके अलावा गेंदा व गन्ना की सहफसली खेती भी की जा सकती है। इस प्रकार गन्ने की अकेली फसल की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्रफल और प्रति इकाई समय में अधिक उपज व अधिक लाभ कमाया जा सकता है। सहफसली खेती में उचित प्रजाति का चुनाव, समय पर बुवाई, उचित खाद व सिंचाई प्रबंधन अति आवश्यक है।

गन्ने की पकी फसल कटाई के लिए तैयार

मिट्टी चढ़ाना एवं बंधाई

जड़ों की पूर्ण वृद्धि व विकास के लिए तथा बरसात के दिनों में फसल को गिरने से बचाने के लिए पौधों के दोनों ओर मिट्टी चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जून–जुलाई के महीनों में अंतिम निदाई–गुड़ाई के समय पर्याप्त मिट्टी चढ़ाकर गन्ने को गिरने से बचाकर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। गन्ना अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है इसलिए इसका गिरना स्वाभविक है। गन्ने की फसल के गिरने से इसकी उपज व गुणवत्ता में कमी हो जाती है। साथ ही गन्ने के गिरने से पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है जिससे इसकी बढ़वार रुक जाती है। अगस्त–सितम्बर में तेज हवा चलने के कारण कभी–कभी मिट्टी चढ़ा गन्ना भी गिर जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए 8–10 गन्नों को एक साथ जमीन से एक मीटर की ऊंचाई पर सूखी पत्तियों से बांध देते हैं जिससे गन्ना गिरता नहीं है।

कीट प्रबंधन

गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों में दीमक, सफेद लट, तनाभेदक, जड़ भेदक, चोटी भेदक, पायरिला तथा काला चिटका प्रमुख हैं।

दीमक :– दीमक बहुभक्षी कीट होने के कारण गन्ने की फसल का सबसे बड़ा शत्रु है। यह वर्षभर पौधों को हानि पहुंचाती रहती है। दीमक पौधों की जड़ों को काट देती है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और अन्ततः पौधे सूख जाते हैं। दीमक से बचाव हेतु खेतों में गोबर की कच्ची खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फसल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, गार्मियों में खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे दीमक के प्राकृतिक शत्रु चिड़िया इत्यादि इन्हें खाकर नष्ट कर देती हैं क्लोरोपाइरीफोस 20 ई.सी. के 0.5 प्रतिशत घोल में गन्ने की कलमों को डुबोकर बोयें।

सफेद लट :– यह सफेद रंग के छोटे कीट होते हैं। इनका रंग मटमैला होता है। यह कीट पौधे की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं जिसके परिणामस्वरूप पौधा सूख जाता है। इससे बचाव हेतु ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए।

तना भेदक :– इसे गन्ने की सूंडी कहते हैं। इसका प्रकोप ग्रीष्म

ऋतु में होता है। इसके प्रकोप से पौधे के ऊपर वाली पत्तियां सूख जाती है। यह सूंडी गन्नों को जमीन के पास से छेद करके पौधों को खाती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस कीट से बचाव हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, ग्रीष्मकालीन जुताई करें और सूखी व प्रभावित पत्तियों को खेत में जला दें।

पायरिला :– इस कीट का प्रकोप अप्रैल से नवम्बर के मध्य होता है। यह पत्तियों का रस चूसता है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा शर्करा की कमी हो जाती है। फसल पर अधिक प्रकोप होने पर 400 से 600 मि.ली. एण्डोसल्फान 35 ई.सी. का छिड़काव करें।

सफेद मक्खी :– इस कीट का वयस्क सफेद रंग का होता है जबकि निम्फ कीट काले रंग के होते हैं। दोनों ही गन्ने का रस चूसते हैं जिससे गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अन्ततः पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह प्रकोप अगस्त से नवम्बर के बीच होता है। इससे बचाव हेतु सूखी पत्तियों को खेत में जलाएं व उचित फसल चक्र अपनाएं। अधिक प्रकोप होने पर 800 मि.ली. मिथाइल डेमेटान को 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

प्रमुख बीमारियां

वैसे तो गन्ने की फसल में अनेक बीमारियां लगती हैं परन्तु कवक जनित चार प्रमुख बीमारियां ही गन्ने की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें लाल सड़न रोग, म्लानि या उखठा रोग, कण्डुआ व गन्ने का पर्ण चित्ती रोग है। ये सभी बीमरियां बड़ी घातक हैं। भारत में ये बीमरियां सभी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कभी–कभी इन बीमारियों की वजह से हजारों हैक्टेयर गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती है। इन बीमारियों के कारण गन्ने के उत्पादन में लगभग 10–12 प्रतिशत तक की हानि आंकी गई है।

इन रोगों से सामान्यः बरसात के बाद गन्ने की बढ़वार रुक जाती है जिसका शर्करा संश्लेषण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त रोगों से बचाव हेतु रोगरोधी संस्तुत प्रजातियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, गन्ने का बीज स्वस्थ एवं निरोग होना चाहिए, जिस खेत में इन बीमारियों का संक्रमण हो उस खेत में गन्ने की फसल नहीं लेनी चाहिए तथा कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं, खाद व उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करें जिससे फसल स्वस्थ एवं रोग को सहन करने की क्षमता पैदा हो सके, संक्रमित खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। गन्ने के बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। इसके लिए इमीसान–6 की 250 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में या कारबेन्डाजीन की 100 ग्राम दवा को 100 लीटर पानी में घोलकर कम से कम 10 मिनट तक कलमों को उपचारित करके बोना चाहिए। इससे गन्ना की कलमों में उपस्थित रोगजनक के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

कटाई

उत्तर भारत में गन्ने की कटाई नवम्बर से लेकर मार्च तक की जाती है। इस समय गन्ने में चीनी की मात्रा सर्वाधिक होती है। चीनी की मात्रा हैण्डरिफ्रेक्टोमीटर द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यदि इस यंत्र का अंक 20 या इससे अधिक हो तो समझ लेना चाहिए कि फसल पककर तैयार है। कटाई जमीन से मिलाकर करें। अच्छी पेड़ी की फसल लेने हेतु गन्ने की कटाई फरवरी–मार्च में करनी चाहिए। कटाई के बाद सिंचाई अवश्य करें इससे फुटाव अच्छा होता है। फसल की समय पर कटाई करना स्वयं किसान के, चीनी मिलों के एवं राष्ट्रहित में लाभकारी होगा।

उपज

फसल की उचित देखभाल व उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने पर किसान भाई उत्तर भारत में गन्ने की उपज लगभग 800–1000 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तथा दक्षिण भारत में 1000 से 1200 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक प्राप्त कर सकते हैं।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग में तकनीकी अधिकारी हैं।)

ई–मेलः vkagro@yahoo.co.in

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा

वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने संसद में 2008–09 का बजट पेश करते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक 2007 संसद के समक्ष विचाराधीन है। इस विधेयक के कानून बनने की आशा में सरकार ने तीन योजनाएं आरम्भ की हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के हर कामगार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 30 हजार रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि ज्यादातर राज्य इस योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। 1 अप्रैल, 2008 को यह योजना दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में शुरू की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 205 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2008–09 में 4 सौ करोड़ रुपए योजना व्यय के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्यारहवीं योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 राष्ट्रीय संस्थान, 8 क्षेत्रीय केन्द्र और प्रत्येक राज्य में चिकित्सा अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। (पसूका)

बहु उपयोगी इमली

ईशान देव

भारतीय मूल के वृक्षों में इमली एक बहु उपयोगी वृक्ष है। इसके अलावा इसकी पत्ती, छाल, लकड़ी और जड़ सभी की ढेरों उपयोगितायें प्रमाणित हैं। सड़कों के किनारे लगाये गये छोटी–छोटी पत्तियों वाले सघन सदाबहार इमली के वृक्ष ग्रामीणों एवं यात्रा करने वालों को राहत एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुराने राजमार्गों के किनारे इमली के भारी संख्या में लगाये गये वृक्षों के मूल में उनकी शीतल सघन छाया, मौसम की मार सहने की क्षमता और इसके वृक्ष का लम्बे समय तक टिक सकने वाला गुण ही है। इसके फल के गूदे का सर्वाधिक प्रयोग स्वाद के लिए खटाई के रूप में भोजन को चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के साथ ही पारम्परिक औषधियों के रूप में भी होता है।

सड़क के किनारे लगे इमली के सघन वृक्ष

इमली के वृक्ष के विभिन्न भागों में पाये जाने वाले उपयोगी तत्व

इसके फल के गूदे में कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन 'बी', विटामिन 'सी' के साथ ही फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके पके फल गूदे में टाइटीरिक एसिड या पोटेशियम बाई टार्टरेट 8 से 18 प्रतिशत तथा नियंत्रित शर्करा 24 से 46 प्रतिशत होती है। इसमें पाये जाने वाले नियंत्रित शर्करा में 20 प्रतिशत ग्लूकोज, 30 प्रतिशत फ्रूकटोज होता है। इसके अतिरिक्त इमली के गूदे में टरपीन, लिमोनिन, जेरा नियोल, फेनाइल प्रोपेनायड्स, सैफॉल,सिनामिक अम्ल, इथिलसिनामेट, मिथाइल, सैलिजिलेट, पेकटीन, पाइजारीन और अल्काइथाईजाल्स की अल्प मात्रायें भी इमली के गूदे में पाई जाती हैं। बीज में स्थाई तेल तथा अल्बूमिनयडस, वसा, कार्बोहाइड्रेट फाइबर और राख जिसमें फास्फोरस एवं नाइट्रोजन भी मौजूद रहता है। इसकी पत्तियों और जड़ों में विटेक्सीन, आइसोविटेक्सीन, ओरियेटिन एवं आइसो ओरियेटिन जैसे ग्लाईकोसाइडस छाल में अल्कालॉयड एवं हार्डिनिन पाया जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने और औषधीय उपयोग के अलावा इमली के अन्य घरेलू और ढेरों औद्योगिक उपयोग भी हैं।

वानस्पतिक परिचय

इमली का वृक्ष पादप वर्ग के शिंबी कुल का वृक्ष है जो सेमी वर्ग के नजदीकी एक ऊष्ण कटिबन्धीय फलियों वाले उप कुल से सम्बन्धित है। यह धीमी गति से बढ़ने के साथ ही ज्यादा समय तक जिन्दा रहता है। यह 20 से. 25 मी. ऊंचा और 3 से. 4 मी. तक व्यास वाला पाया जाता है। इसका पेड़ 150 वर्षों तक फलता रहता है। इसकी पत्ती समूहों में एक से.मी. आस पास लम्बी होती है।

इमली को संस्कृत में अम्लिका, चुंचिका, अम्ली, दंतशठा, चिंचा आदि कहते हैं। हिन्दी में इसे इमली कहते हैं जो संस्कृत के अम्ली का ही बिगड़ा हुआ रूप है। बंगाली में इसे तेतुल, मराठी में चिंच, कर्नाटकी में हुणिसे, गुजराती में आंवली, तेलगू में चिंच, तमिल में तिमिल, हिन्दी, अंग्रेजी में टेमरिंड ट्री, लैटिन में इसे टेमरिण्डस इण्डिका लिन्न कहते हैं

इमली का मूल स्थान

भारत के जंगलों में बहुतायत से पाई जाने वाली इमली के मूल स्थान के विषय में कई तरह की अवधारणायें प्रचलित हैं। प्राचीन भारतीय पुस्तकों में इसकी चर्चा से यही प्रमाणित होता है यह भारतीय मूल का वृक्ष है। 1200 और 2000 ईसा पूर्व के भारतीय ग्रन्थ 'ब्रह्म संहिता' तथा 650 ईस्वी के बौद्ध ग्रन्थों एवं अन्य दक्षिण भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में जो उल्लेख आए हैं उनसे भी यही लगता है कि इमली भारतीय मूल का ही वृक्ष है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद कई विदेशी विद्वानों ने इसे अफ्रीकी मूल का बताया है।

इमली के वृक्ष की औषधीय उपयोगितायें

इमली के अनेक औषधीय उपयोग हैं। दुनिया की कई देशज

चिकित्सा पद्धतियों में इमली के फल के गूदे को हृदय रोगों के साथ ही रक्त शर्करा को कम करने वाली दवाओं के एक प्रमुख घटक के रूप में मान्यता दी गई है। इसका फल ज्वर से मुक्ति दिलाने वाला तथा आंतों के रोगों में उपयोगी है। स्कर्वी की यह सर्वमान्य औषधि है। इमली के विरेचन की एवं बुखार में शीतलता प्रदान करने वाली औषधि के रूप में मान्यता है। यह मृदु विरेचक दवा और वायुसारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इमली के गूदे को अकेले या नींबू के रस, शहद, दूध, खजूर, मसालों या कपूर के साथ मिलाकर हाथी जैसे विशाल जीव के लिए पाचक, औषधि एवं प्रतिस्कर्वी के रूप में प्रयोग किया जाता है। त्वचा संबंधी रोगों में इमली के गूदे का प्रयोग अवरोधक औषधि के रूप में होता है। गुदा की जलन में भी इसका प्रयोग होता है। गले के घाव में गरारा तथा गठिया में नमक के साथ इमली के गूदे का लेप लगाने से राहत मिलती है। लू की यह सर्वमान्य औषधि है। यह शराब के नशे से तात्कालिक मुक्ति में उपयोगी है। कोलम्बिया में मक्खन और इमली के गूदे के साथ कुछ अन्य तत्वों को मिलाकर उसका प्रयोग घरेलू पशुओं के कीड़ों को दूर करने के लिए होता है।

उबली या सूखी इमली की पत्ती और फूल को हड्डी की चोट–मोच और जोड़ों के दर्द और जलन में निवारक औषधि के रूप में भारतीय जनमानस द्वारा प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जाता है। इमली से बने लोशन और तत्व का प्रयोग आंख आने पर औषधि के रूप में होता है। यह कृमि, पेचिश, पीलिया, दाद, बवासीर और बहुत से अन्य रोगों में भी उपयोगी है। इसके फल को जलाने से प्राप्त क्षारीय राख को औषधीय फार्मूले में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसके बीज के बारीक चूर्ण से पेस्ट बनाकर पके हुए घाव पर लगाया जाता है। इमली के बीज के चूरे में जीरा एवं ताड़ का गुड़ मिलाकर या अकेले ही पुराने आंव और पेचिस में प्रयोग किया जाता है। इमली के बीज का छिलका भी एक स्तम्भक औषधि है। इमली के वृक्ष की जड़ का अर्क छाती संबंधी रोगों में उपयोगी है। यह कुष्ठ रोगों के लिए बनने वाली औषधि का भी प्रमुख घटक है।

कच्ची इमली के रस में अम्ल, गुरू, वात नाशक तथा पित्त कफ और रक्त विकारों को दूर करती है। पकी इमली अग्निदीपक, रूक्ष मलसारक, उष्ण एवं कफ व वात् व्याधियों को दूर करने वाली होती है। यह हृदय के लिए हितकारी, वस्तिशोधक, पित्त व जलन को दूर करने वाली बवासीर, प्यास, दस्त, ग्रहणी कृमि, कफ तथा वातनाशक है। इसके सेवन से मादक द्रव्यों का प्रभाव, कम हो जाता है।

इसके योग से आयुर्वेद में कई औषधियों का निर्माण होता है जिनमें प्रमुख है– चिंचा फल्लातक बटी, अम्लिकासव, इमलीपानक आदि।

घरेलू औषधि के रूप में इमली के उपयोग

- इसकी चटनी के सेवन से भूख बढ़ती है और भोजन आसानी से हजम हो जाता है।
- इसका गूदा पानी में मसल कर पीने से भांग का नशा तुरन्त उतर जाता है।
- पकी इमली के गूदे का घोल (पानक) अरूचि और पित्त की गर्मी से राहत दिलाता है।
- मरोड़ के साथ आंव और दस्त में पकी इमली का गूदा 20 ग्राम. पका केला 10 ग्राम और पिसा हुआ काला नमक 5 ग्राम के अनुपात में मिलाकर इस मिश्रण का 5 से 10 ग्राम की मात्रा दिन में तीन बार उपयोग करने से लाभ होता है।
- इमली के पेड़ के छाल के बारीक चूर्ण को जले हुए घाव पर मीठे तेल के साथ लगाने से लाभ होता है।
- शरीर के किसी भी अंग में मोच आ जाने पर इमली की पत्ती को पीसने के बाद गर्म करके लगाने से लाभ होता है।
- सूजन व दर्द में इमली के रस का लेपन लाभकारी होता है।
- पित्त विकार में इमली का 50 ग्राम गूदा पानी में भिगो दें। फिर इसे आधे लीटर पानी में डालकर उबालें। ठण्डा होने पर उबली हुई इमली को खूब मसल डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई धनिया, काली मिर्च का चूर्ण बनाकर शक्कर के साथ मिला लें। यह घोल पित्त की

आम आदमी बीमा योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद

सरकार ने वर्ष 2008–09 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3443 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने संसद में 2008–09 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी व्यक्तियों को इस योजना में शामिल करने हेतु 19 नवम्बर, 2007 से इस योजना का विस्तार किया गया। इसके फलस्वरूप इसके लाभार्थियों की संख्या 87 लाख से बढ़कर 157 लाख हो गई। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को चरणबद्ध ढंग से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की थी। वित्त मंत्री ने 2008–09 के लिए आम आदमी बीमा योजना के दूसरे वर्ष में एक करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करने का फैसला लिया है और भारतीय जीवन बीमा निगम को अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है। श्री चिदम्बरम ने घोषणा की कि योजना के पहले वर्ष में एलआईसी इस वर्ष 30 सितम्बर तक एक करोड़ से अधिक भूमिहीन परिवारों को इस योजना में शामिल कर लेगी। (पसूका)

गर्मी का शामक, पीने में रुचिकर तथा भूख बढ़ाने वाला होता है।

- धातु संबंधी रोगों के लिए 250 ग्राम इमली का बीज पानी में डालकर अच्छी तरह पकायें। पक जाने पर इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा करने के बाद इमली के बीज से छिलका हटा लें। छिलका रहित इमली के बीज को सिल पर अच्छी तरह पीस कर इसकी पिट्ठी बना लें। इस पिट्ठी को 25 ग्राम देशी घी में धीमी आंच में भून लें। फिर इसमें 50 ग्राम शक्कर मिलाकर रख लें। इस अवलेह को 5–5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से धातु पुष्ट होती है, पौरुष शक्ति दृढ़ होती है और स्वप्न दोष आदि रोगों से मुक्ति मिलती है।

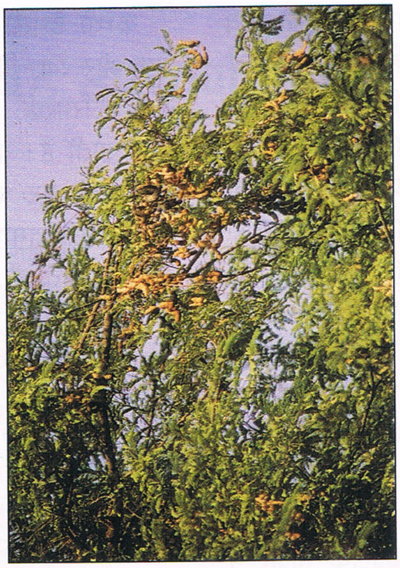

फलों से लदे इमली के वृक्ष

इमली के घरेलू उपयोग

इमली का कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का फल भोजन को स्वादिष्ट और चटकारा बनाता है। उत्तरी भारत में कच्ची इमली को हरी धनिया और पुदीना के साथ पीस कर चटनी के रूप में भोजन के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके पके फल के ढेरों उपयोग हैं। इसे भिगो कर बनी चटनी और घोल को उत्तर भारत में चाट में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अवसरों पर इसके घोल की चटनी को बड़े सामूहिक आयोजनों में भोजन के साथ परोसा जाता है। दक्षिण भारत में सांभर और रसम में पकी इमली के गूदे का प्रयोग किया जाता है। देश के कई अन्य भागों में पकी इमली को मांस, फलीदार सब्जियों और दालों में खटाई के रूप में स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इमली और अदरक वाला सॉस दक्षिण भारत के लोगों का प्रिय भोज्य पदार्थ है। चावल और इमली के गाढ़े घोल से तैयार 'पुलियोथरई,' पुलिहोरा और पुनियोगुर आदि तेलगू नववर्ष दिवस पर्व 'उगाड़ी उत्सव' के विशिष्ट व्यंजन हैं।

इमली का पानक (शर्बत) अत्यन्त उपयोगी होता है। इसके लिए पकी हुई इमली के गूदे को उबालने के बाद मसल कर गाढ़ा द्रव बना लिया जाता है। इस द्रव को छानकर बोतलों में संग्रहित कर लिया जाता है। इस संग्रहित द्रव में आवश्यकतानुसार पानी, शक्कर, सुगन्धी और अन्य उपयोगी चीजों को मिलाकर शर्बत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह शर्बत अत्यन्त लाभकारी है। यह गांजा और भांग का नशा तथा कब्ज को दूर करता है। प्यास, लू और शारीरिक गर्मी में राहत प्रदान करता है।

भारत के बाहर भी इमली के बने व्यंजनों को रुचिपूर्वक खाया जाता है। चीन और इण्डोनेशिया के अलावा जावा द्वीप में 'मेरिनेड मीट' या 'सोया चीज' को फ्राई करने के पहले मीठे सॉस के लिए इमली के गूदे से बना घोल प्रयोग किया जाता है। वियतनाम और थाईलैण्ड में इमली की कच्ची फलियां प्रयोग की जाती हैं। इसके पके फलों से लैटिन अमेरिका में रिफ्रेस्को डे, डे टेटमरिण्डों और जमैका में टेमरिनेड नामक शीतल पेय बनाये जाते हैं।

वैयक्तिक आयकर में राहत

व्यक्तिगत आयकर स्लैबों में परिवर्तन किया गया है। इससे प्रत्येक निर्धारितियों को राहत मिलेगी। कर में छूट की सीमा 1,10,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी। इससे प्रत्येक निर्धारिती को 4,000 रुपये की कम से कम राहत मिलेगी। नई श्रेणियां और कर दरें इस प्रकार हैं–

1,50,000 रुपये तक	शून्य
1,50,000 से 3,00,000 रुपये तक	10 प्रतिशत
3,00,001 से 5,00,000 रुपये तक	20 प्रतिशत
5,00,001 रुपये और इससे अधिक	30 प्रतिशत

महिलाओं को आयकर में छूट 1,45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये की जाएगी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 1,95,000 रुपये से बढ़ाकर 2,25,000 रुपये कर दी गई है।

जो लोग अपने माता–पिता के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं उन्हें धारा 80 घ के तहत 1500 रुपये की अतिरिक्त कटौती करने की अनुमति दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 और पोस्ट ऑफिस सावधि बचत खाता को आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के तहत बचत लिखतों के वर्ग में रखा जाएगा। (पसूका)

इमली की लकड़ी

इमली के वृक्ष की लकड़ी की भी अलग–अलग कई उपयोगितायें हैं। इसके बीच की लकड़ी काफी कड़ी, मजबूत और टिकाऊ होती है। इसकी कठोरता और मजबूती के चलते इसका प्रयोग भवन, फर्नीचर और लकड़ी की पेटियों के निर्माण में होता है। इसे मोड़ा जा सकता है और इस पर अच्छी पालिश भी चढ़ जाती है। ग्रामीणों के लिए यह विशेष उपयोगी है। इससे अनाज कूटने की ओखली, बैलगाड़ी का चक्का, धूरी, नावों के किनारे के पटरे, मुदगर एवं चाकू का हत्था और पिस्तौल की मुठिया आदि बनायी जाती है। जलावन के रूप में इसकी लकड़ी की आंच काफी टिकाऊ होती है। इसकी लकड़ी से सर्वश्रेष्ठ लकड़ी का कोयला (चारकोल) बनता है।

शहद निर्माण

दक्षिण भारत में इमली के फूलों के मकरन्द से मधुमक्खियों द्वारा संचित शहद को अत्यन्त उपयोगी माना जाता है। इसके फलों से संग्रहित शहद का रंग सुनहरा पीला और स्वाद अम्लीय होता है।

औद्योगिक उपयोगिता

इमली की फली का अर्क बकरी की खाल को रंगने वाले रंजक में मिलाया जाता है। इमली की फली की घोल का रबर के दूध का थक्का जमाने में प्रयोग होता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में इमली के बीज से बने पाउडर का उपयोग सूती, जूट एवं विस्कोस को आकार प्रदान करने में हो रहा है। कपड़ा मिलों में वस्त्रों की सफाई के लिए प्रयोग होने वाले स्टार्च के लिए इमली के बीज के चूर्ण को विशेष उपयोगी पाया गया है, इसमें अनाजों की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक स्टार्च पाया जाता है। इसका उपयोग गांवों में देशी विधि से बनने वाले कम्बलों की ड्रेसिंग के लिए भी किया जाता है। यह कपड़े की छपाई तथा विभिन्न तरह के प्लास्टिक के सामान निर्माण, लकड़ी के जोड़ने वाले पदार्थ, काष्ट चूर्ण, ब्रिकेट बंधनी और कुछ विस्फोटकों के प्रगाढ़क के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इमली के बीज से प्राप्त तेल का प्रयोग वार्निश के रूप में होता है, इसके तेल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए भी होता है। इमली की लकड़ी की राख का प्रयोग चर्मशोधन में होता है। इसकी छाल से चमड़े की रंगाई होती है। इमली के वृक्ष के अन्य भागों का प्रयोग सूती और ऊनी वस्त्रों की रंगाई में भी होता है।

श्रद्धा के वृक्ष के रूप में इमली

भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में इमली के वृक्ष को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रसिद्ध वैष्णव संत नामआवर को इमली के पेड़ के नीचे ही ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है। जंगलों में रहने वाली कई आदिम जन–जातियों में इमली का वृक्ष आज भी पूजा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में मान्यता है कि इमली के वृक्ष पर आत्मायें निवास करती हैं।

इस मान्यता से जुड़े लोग वर्ष में उस दिन जिसे 'अमली अगियारास' कहा जाता है, को इसकी विधिवत पूजा करते हैं। हिन्दू लोग आम की पहली फसल को खाने से पूर्व आम के पेड़ की शादी इमली के पेड़ से करते हैं। कई अफ्रीकी जनजातियां इमली के वृक्ष को अत्यन्त पवित्र मानती हैं। म्यांमार में भी कुछ जातियां इमली के वृक्ष की वर्षा देवता के निवास के रूप पूजा करती हैं।

पर्यावरण संरक्षण में इमली वृक्ष

इमली का वृक्ष जंगली बंजर और कंकड़ीली, कठोर जमीन पर आसानी से उग जाता है। यह पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर बांधे रहती हैं, जिससे मृदा का क्षरण और कटाव नहीं होता। इसकी पत्तियां बहुत शीघ्र सड़ कर जैविक खाद में बदल जाती हैं। इसकी पत्तियों से बनी जैविक खाद में पोषक तत्वों की बहुलता होती है।

इमली निर्यात में भारत

भारत विश्व का सबसे बड़ा इमली उत्पादक है। प्राचीन काल में भारत से यूरोप एवं अरब देशों को इमली का निर्यात होता रहा है। आधुनिक समय में भी अमेरिका, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत से इमली के गूदे का बड़ी मात्रा में निर्यात होता रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा इमली निर्यातक देश है। भारत में इसकी उपज शुष्क दक्षिणी राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रचुर मात्रा में होती है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं लोकोत्थान समिति से सम्बद्ध हैं।)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए 644 करोड़ रुपए का आवंटन

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एनएआईएस के लिए 644 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। वर्ष 2008–09 का संघीय बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि इस योजना को वर्तमान स्वरूप में खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के लिए जारी रखा जाएगा।

मंत्री महोदय ने इस बात की भी घोषणा की कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह योजना पांच राज्यों के चुनींदा क्षेत्रों में एक प्रायोगिक योजना के तौर पर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सब्सिडीयुक्त कीमतों पर उर्वरक मुहैया कराती रहेगी।

पिछले वर्ष पुनः रोपण और नवीकरण के लिए गठित विशेष प्रयोजन चाय निधि को 40 करोड़ रुपए मुहैया कराये जाएंगे। इसी प्रकार इलायची के लिए 10.68 करोड़ रुपए, रबड़ के लिए 19.41 करोड़ रुपए और कॉफी के लिए 18 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे (पसूका)

(सफलता की कहानी)

गांव की ढाणी में पेपरमेशी

राजस्थान के टोंक जिले के वनस्थली विद्यापीठ से सटे ग्राम पलई में तालाब किनारे अपने घर में पेपरमेशी के नये आयाम तय करने वाले पलई हस्तकला शोध एवं विकास संस्थान के वीरेन्द्र शर्मा द्वारा बनाई बेजोड़ कलाकृतियों की चमक अब विदेशों में भी आकर्षण का केन्द्र बन रही है।

वनस्थली (निवाई) के उदीयमान कलाकार वीरेन्द्र शर्मा ने रचना सामग्री और रूप आकारों को लेकर पेपरमेशी के लिये नए आयाम विकसित किए हैं। राजस्थान और गुजरात के ग्रामीण अंचलों में यह कला सदियों से विद्यमान हैं। चटख रंगों की अलंकारिक साज सज्जा से युक्त कश्मीर की पेपरमेशी कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

टोंक के निवाई उपखण्ड के निवाई वनस्थली मार्ग पर स्थित ग्राम पलई में रहने वाले कलाकार वीरेन्द्र ने अपनी अथक मेहनत व प्रयास से इस कला में अनूठी उजास भरने का प्रयास किया हैं। वीरेन्द्र का रचना कर्म मूलतः राजस्थान और गुजरात की परंपरागत कुट्टी–मिट्टी कला पर आधारित है।

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में कागज की लुगदी और मुल्तानी मिट्टी को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर वहां के लोग नित्य उपयोगी वस्तुओं को रखने के लिये अनेक आकार के बर्तन बनाते हैं। उन्हें स्थानीय भाषा में ठाठया कहा जाता हैं। गुजरात के ग्रामीण परिवारों में इसी सामग्री से पूजाघर बनाए जाते हैं।

सन् 1987–89 में वीरेन्द्र ने भी अपनी कला के अनेक नमूने दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रदर्शित किए जिसको लेकर विदेशी पर्यटक व कला प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कलाकार खासे आकर्षित हुए। इस प्रदर्शनी में पेपरमेशी की अनूठी कला के प्रतीक स्वरूप वीरेन्द्र द्वारा बनाई गई कलाकृतियां मुख्य आकर्षण का केन्द्र बनी। अनूठी कलाकृतियों से आकर्षित होकर नेपाल, अमेरिका, कनाडा व जापान के कई कला प्रेमियों ने जहां वीरेन्द्र को अपने लिए कलाकृतियां तैयार करने के आर्डर दिये, वहीं उनकी कला को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पेपरमेशी या कुट्टी–मिट्टी की कला भी अनूठी सृजनात्मक कला की श्रेणी में आती हैं। पेपरमेशी वस्तुतः फ्रेंच शब्द पापियर मेशी का अपभ्रंश हैं। पापियर शब्द का अर्थ है पेपर या कागज, मेशी से तात्पर्य हैं कुटा हुआ।

वीरेन्द्र शर्मा द्वारा बनाई गई नित्य उपयोगी वस्तुएं न केवल किसी अदभुत रचना सामग्री से तैयार की गई हैं, बल्कि यह श्रेष्ठ कलागत उपलब्धि भी हैं। हालांकि पेस्ट बनाने की प्रक्रिया लम्बी है। लेकिन वीरेन्द्र अपनी कलाकृतियों को अधिक आकर्षक बनाने के लिये कई तरह के उपादनों का प्रयोग करता हैं। जिसका परंपरागत पेपरमेशी में उपयोग नहीं किया जाता हैं।

अमूमन पेपरमेशी का पेस्ट कागज को पन्द्रह दिन तक पानी में भिगोकर उसमें मजबूती के लिये मेथी व उड़द की दाल का स्कार्च मिलाया जाता हैं। कागज की लुगदी तैयार होने पर उसमें आवश्यकता अनुसार पीली मिट्टी भी मिलाई जाती है और मजबूती के लिये पेस्ट में रेजिन डाला जाता है। वीरेन्द्र कलाकृतियों के ढांचे पर पेस्ट लगाते समय वह बीच–बीच में कांच और धातु के टुकड़े, रंग की हुई लकड़ी, मोती व सरकंडे आदि भी लगाते हैं। पेपरमेशी के काम में सादगी भरे रंगों का प्रयोग भी अदभुत है। वीरेन्द्र इसके लिये केवल प्राकृतिक रंगों जैसे गेरू, हिरमच, नीली, पीली मिट्टी व हरे भूरे पत्थर का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं। इन विलक्षण प्रयोगों से मिट्टी–कुट्टी के साधारण से दिखने वाले शिल्प में एक अनोखी जीवंतता आ जाती हैं। फर्नीचर में चमक के लिये वह प्रायः पारदर्शी वार्निश का इस्तेमाल करते हैं।

वीरेन्द्र बताते है कि पारदर्शी वार्निश दो तरह से उपयोगी है, एक तो इससे मिट्टी–कुटटी का मौलिक रूप बना रहता है, दूसरा इससे फर्नीचर में मजबूती व टिकाऊपन के साथ चमक आती है।

वीरेन्द्र का यह कलात्मक प्रदर्शन हालांकि श्रम साध्य का प्रतीक हैं। वीरेन्द्र द्वारा पहले कागज पर डमी स्वरूप डिजाइन बनाया जाता है। उसके आधार पर साज सज्जा की रूपरेखा तैयार की जाती हैं। फिर खजूर की खप्पचियों से उस वस्तु का ढांचा तैयार कर उस पर कुट्टी–मिट्टी के पेस्ट का लेप मोटा–मोटा किया जाता है। वीरेन्द्र को यह कला शिक्षा विरासत में मिली हैं। उसके पिता देवकीनंदन शर्मा व ज्येष्ठ भ्राता भवानी शंकर राजस्थान के चित्रकार हैं तथा उसकी बहन भी पेपरमेशी की एक अच्छी कलाकार हैं।

वीरेन्द्र के ग्राम पलई जहां वह पेपरमेशी का कार्य करते हैं, एक तालाब के किनारे स्थित है, जो स्थान वर्षा काल में एक रमणीय स्थल के समान लगता है। जहां आज कई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस कार्य को सीखने आने लगे हैं, जिनको वीरेन्द्र इस कला के गुर भी सिखा रहे हैं।

पलई के निकटवर्ती अनेक गांव भी इससे जुड़े हैं जहां पेपरमेशी का यह कार्य उनके रोजगार का साधन बना हुआ है।

(पसूका फीचर)

हमारे आगामी अंक

मई 2008 अंक ग्रामीण पर्यटन पर केंद्रित है।

जून 2008 अंक जल का ग्रामीण जीवन में महत्व पर आधारित होगा।

जुलाई 2008 अंक हरित क्रांति पर आधारित होगा।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से एक माह पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री एक माह पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ

प्रकाशन विभाग की भेंट

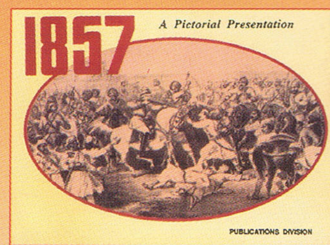

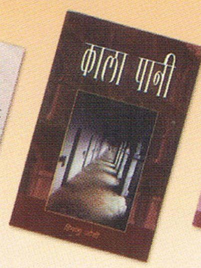

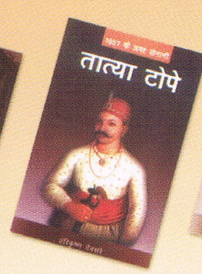

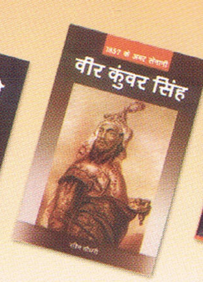

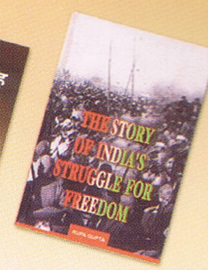

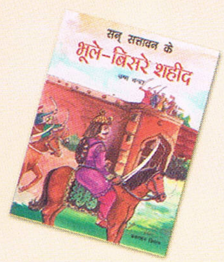

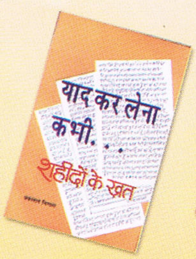

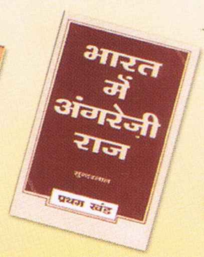

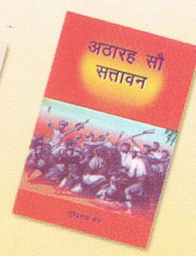

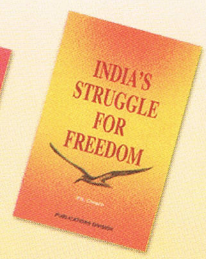

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

विक्रय केंद्र: सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, **नई दिल्ली**–110 003. हाल नं0 196, पुराना सचिवालय, **दिल्ली**–110 054. सी–701, केंद्रीय सदन, बेलापुर, **नवी मुंबई**–400 614. 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, **कोलकाता**–700 069. राजाजी भवन, एफ एंड जी ब्लॉक, 'ए' विंग बेसेंट नगर, **चेन्नई**–600 090. बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, **पटना**–800 004. प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस **तिरुअनंतपुरम**–695 001. हाल नं.1, दूसरी मंजिल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, **लखनउ**–226 024. ब्लॉक नं. 4, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, **हैदराबाद**–500 001. प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, **बंगलौर**–560 034. अम्बिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, **अहमदाबाद**–380 007. हाउस नं. 07, न्यू कालोनी, चेनीकुथी, के.के.बी. रोड, **गुवाहाटी**–781 003.

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें – www.publicationsdivision.nic.in

e-mail:dpd@sb.nic.in, dpd@hub.nic.in

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना